

भारत में धान का विपणन योग्य अधिशेष और उसकी फसलोत्तर हानि



भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
प्रधान शाखा कार्यालय
नागपुर
2002

एमआरपीसी – 41

विषय सूची

<u>अध्याय सं.</u>	<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ सं.</u>
	प्राक्कथन	xi – xii
	सारांश	xiii – xv
I	– प्रस्तावना	1 – 2
II	– साहित्य (सर्वेक्षण रिपोर्ट) की समीक्षा	3 – 6
III	– सेम्पल डिजाइन तैयार करना एवं उसका प्रचार-प्रसार (विज्ञापन) करना	7 – 12
IV	– अनुमान प्रक्रिया	13 – 16
V	– धान का उत्पादन और जोत क्षेत्र	17 – 25
VI	– किसान परिवारों द्वारा धान को रोक कर रखना	26 – 50
VII	– फार्म स्तर पर धान की फसलोत्तर हानि	51 – 55
VIII	– बेची गई धान की मात्रा	56 – 65
IX	– विपणन योग्य अधिशेष	66 – 73
	अनुलग्नक – I । LXIX	74 – 221
	संदर्भ	222 – 224
	आभार	225 – 228

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक सं.	विषय	पृष्ठ सं.
I	धान का जोत क्षेत्र (सिंचित / असिंचित)	74 – 75
II	धान का जोत क्षेत्र अधिक पैदावार वाली और परंपरागत किस्म की धान	76 – 77
III	धान का उत्पादन (सिंचित / असिंचित)	78 – 79
IV	धान का उत्पादन-अधिक पैदावार वाली और परंपरागत किस्म की धान	80 – 81
V	किसान परिवारों के उपयोग के लिए धान संरक्षित रखना	82 – 83
VI	स्थायी श्रमिकों के उपयोग के लिए धान संरक्षित रखना	84 – 85
VII	अस्थायी श्रमिकों के उपयोग के लिए धान संरक्षित रखना	86 – 87
VIII	कृषक स्तर पर उपयोग के लिए रखी गई धान की कुल मात्रा	88 – 89
IX	किसान परिवार द्वारा धान की कुल खरीद	90 – 91
X	कृषक स्तर पर उपयोग के लिए किसान परिवार हेतु अपेक्षित धान की कुल मात्रा	92 – 93
XI	बीज के लिए रखी गई धान की कुल मात्रा	94 – 95
XI-क	बीज के लिए रखी गई धान की कुल मात्रा (सिंचित / असिंचित)	96 – 97
XII	जानवरों को खिलाने के लिए रखी गई धान	98 – 99
XIII	छोटे किसानों के संबंध में स्थायी मजदूरों को वस्तु और नकद रुप में भुगतान के लिए धान का सदुपयोग	100– 101
XIV	मध्यम श्रेणी के किसानों के संबंध में स्थायी मजदूरों को वस्तु और नकद रुप में भुगतान के लिए धान का सदुपयोग	102– 103

(ii)

अनुलग्नक सं.	विषय	पृष्ठ सं.
XV	बड़े किसानों के संबंध में स्थायी मजदूरों को वस्तु और नकद रुप में भुगतान के लिए धान का सदुपयोग	104 – 105
XVI	सभी श्रेणियों के किसानों के संबंध में स्थायी मजदूरों को वस्तु और नकद रुप में भुगतान के लिए धान का सदुपयोग	106 – 107
XVII	चालू वर्ष की धान की बिक्री के कुछ अंश का छोटे किसानों के संबंध में अस्थायी मजदूरों को वस्तु रुप में भुगतान और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदुपयोग	108 – 109
XVIII	चालू वर्ष की धान की बिक्री से प्राप्त धनराशि के कुछ अंश का मध्यम वर्गीय किसानों के संबंध में अस्थायी मजदूरों को वस्तु रुप में भुगतान और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदुपयोग	110 – 111
XIX	चालू वर्ष की धान की बिक्री से प्राप्त धनराशि के कुछ अंश का बड़े किसानों के संबंध में अस्थायी मजदूरों को वस्तु रुप में भुगतान और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदुपयोग	112 – 113
XX	चालू वर्ष की धान की बिक्री से प्राप्त धनराशि के कुछ अंश का सभी वर्ग के किसानों के संबंध में अस्थायी मजदूरों को वस्तु रुप में भुगतान और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदुपयोग	114 – 115
XXI	गत वर्ष की धान की बिक्री से प्राप्त धनराशि के कुछ अंश का छोटे किसानों के संबंध में अस्थायी श्रमिकों को नकद भुगतान और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदुपयोग	116 – 117
XXII	गत वर्ष की धान की बिक्री से प्राप्त धनराशि के कुछ अंश का मध्यम वर्गीय किसानों के संबंध में अस्थायी श्रमिकों को नकद भुगतान और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदुपयोग	118 – 119

(iii)

अनुलग्नक सं.	विषय	पृष्ठ सं.
XXIII	गत वर्ष की धान की बिक्री से प्राप्त धनराशि के कुछ अंश का बड़े किसानों के संबंध में अस्थायी श्रमिकों को नकद भुगतान और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदुपयोग	120 – 121
XXIV	गत वर्ष की धान की बिक्री से प्राप्त धनराशि के कुछ अंश का सभी वर्ग के किसानों के संबंध में अस्थायी श्रमिकों को नकद भुगतान और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदुपयोग	122 – 123
XXV	छोटे वर्ग के किसानों के संबंध में अस्थायी मजदूरों को वस्तु रूप में भुगतान और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धान का सदुपयोग	124 – 125
XXVI	मध्यम वर्गीय किसानों के संबंध में अस्थायी मजदूरों को वस्तु रूप में भुगतान और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धान का सदुपयोग	126 – 127
XXVII	बड़े किसानों के संबंध में अस्थायी मजदूरों को वस्तु रूप में भुगतान और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धान का सदुपयोग	128 – 129
XXVIII	सभी वर्ग के किसानों के संबंध में अस्थायी मजदूरों को वस्तु रूप में भुगतान और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धान का सदुपयोग	130 – 131
XXIX	थ्रैशिंग के दौरान धान की हानि	132 – 133
XXX	थ्रैशिंग के दौरान धान की स्त्रोत-वार हानि	134 – 135
XXXI	ओसाई के दौरान धान की हानि	136 – 137
XXXII	मशीन / हाथ से ओसाई के दौरान धान की हानि	138 – 139
XXXIII	खेत से खलिहान तक लाने में हुई धान की हानि	140 – 141

(iv)

अनुलग्नक सं.	विषय	पृष्ठ सं.
XXXIV	खेत से खलिहान तक लाने में हुई धान की हानि - वहन के प्रयुक्त साधन	142 – 143
XXXV	खलिहान से भंडार तक ले जाने में हुई धान की हानि	144 – 145
XXXVI	खलिहान से भंडार तक लाने में हुई धान की हानि - वहन के प्रयुक्त साधन	146 – 147
XXXVII	खलिहान से छुट्टा लदान / बोरे में भंडार तक लाने में हुई धान की हानि	148 – 149
XXXVIII	भंडारण के दौरान धान की हानि	150 – 151
XXXIX	भंडारण के दौरान धान की हानि भंडारण का प्रकार / भंडारण का तरीका	152 – 153
XL	भंडारण के दौरान धान की हानि के कारण	154 – 155
XLI	उत्पादक स्तर पर धान की फसलोत्तर कुल हानि (छोटे किसानों के संबंध में)	156 – 157
XLII	उत्पादक स्तर पर धान की फसलोत्तर कुल हानि - मध्यम वर्गीय किसानों के संबंध में	158 – 159
XLIII	उत्पादक स्तर पर धान की फसलोत्तर कुल हानि - बड़े किसानों के संबंध में	160 – 161
XLIV	उत्पादक स्तर पर धान की फसलोत्तर कुल हानि - सभी वर्गों के किसानों के संबंध में	162 – 163
XLV	छोटे किसानों के संबंध में तिमाही-वार धान की कुल बिक्री	164 – 165
XLVI	मध्यम वर्गीय किसानों के संबंध में तिमाही-वार धान की कुल बिक्री	166 – 167
XLVII	बड़े किसानों के संबंध में तिमाही-वार धान की कुल बिक्री	168 – 169

(v)

अनुलग्नक सं.	विषय	पृष्ठ सं.
XLVIII	सभी वर्ग के किसानों के संबंध में तिमाही-वार धान की कुल बिक्री	170 – 171
XLIX	छोटे किसानों के संबंध में - एजेंसी वार धान की बिक्री	172 – 173
L	मध्यम वर्गीय किसानों के संबंध में - एजेंसी वार धान की बिक्री	174 – 175
LI	बड़े किसानों के संबंध में - एजेंसी वार धान की बिक्री	176 – 177
LII	एजेंसी वार धान की बिक्री - सभी वर्गों के किसानों के संबंध में	178 – 179
LIII	गाँव में धान की बिक्री- छोटे किसानों के संबंध में	180 – 181
LIV	गाँव में धान की बिक्री - मध्यम वर्गीय किसानों के संबंध में	182 – 183
LV	गाँव में धान की बिक्री - बड़े किसानों के संबंध में	184 – 185
LVI	गाँव में धान की बिक्री - सभी वर्गों के किसानों के संबंध में	186 – 187
LVII	गाँव से बाहर धान की बिक्री - छोटे किसानों के संबंध में	188 – 189
LVIII	गाँव से बाहर धान की बिक्री - मध्यम वर्गीय किसानों के संबंध में	190 – 191
LIX	गाँव से बाहर धान की बिक्री - बड़े किसानों के संबंध में	192 – 193
LX	गाँव से बाहर धान की बिक्री - सभी वर्गों के किसानों के संबंध में	194 – 195
LXI	विपणन योग्य अधिशेष - छोटे किसानों के संबंध में	196 – 199
LXII	विपणन योग्य अधिशेष - मध्यम वर्गीय किसानों के संबंध में	200 – 203
LXIII	विपणन योग्य अधिशेष - बड़े किसानों के संबंध में	204 – 207

(vi)

अनुलग्नक सं.	विषय	पृष्ठ सं.
LXIV	विपणन योग्य अधिशेष - सभी वर्गों के किसानों के संबंध में	208 – 211
LXV	विपणन योग्य अधिशेष के मुकाबले बेची गई धान की मात्रा - छोटे किसानों के संबंध में	212 – 213
LXVI	विपणन योग्य अधिशेष के मुकाबले बेची गई धान की मात्रा - मध्यम वर्गीय किसानों के संबंध में	214 – 215
LXVII	विपणन योग्य अधिशेष के मुकाबले बेची गई धान की कुल मात्रा बड़े किसानों के संबंध में	216 – 217
LXVIII	विपणन योग्य अधिशेष के मुकाबले बेची गई धान की कुल मात्रा सभी वर्गों के किसानों के संबंध में	218 – 219
LXIX	धान के विपणन योग्य अधिशेष, बेची गई धान की कुल मात्रा और धान की फसलोत्तर हानि के अनुमान में मानक त्रुटियाँ	220 – 221

(vii)

तालिकाओं की सूची

तालिका सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	खाद्यान्न फसलों के विपणन योग्य अधिशेष अनुपात (इकोस्टैट)	3
2.	चुनिंदा अनाज के विपणन योग्य अधिशेष अनुपात (डीएमआई)	4
3.	धान उत्पादक प्रतिदर्श गाँवों का बंटन	10
4.	धान का जोत क्षेत्र और उसकी प्रतिशतता (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	11
5.	धान का सिंचित / असिंचित और कुल जोत क्षेत्र (कोटिवार) (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	17
6.	धान का सिंचित / असिंचित राज्यवार जोत क्षेत्र (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	18
7.	अधिक उत्पादन वाली और पारम्परिक किस्मों की धान का जोत क्षेत्र (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	19

8.	अधिक उत्पादन वाली और परंपरागत किस्मों की धान के जोत क्षेत्र का राज्य वार विवरण (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	20
9.	धान का उत्पादन : सिंचित और असिंचित	21
10.	राज्यवार सिंचित / असिंचित धान के उत्पादन के ब्यौरे (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	22
11.	धान का उत्पादन : अधिक पैदावार वाली और पारंपारिक किस्में (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	23
12.	राज्यवार अधिक उत्पादन वाली और परंपरागत किस्मों की धान के उत्पादन के ब्यौरे (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	24
13.	किसान परिवारों द्वारा खपत के लिए धान संरक्षित रखा जाना (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	26
14.	राज्यवार किसान परिवारों (सभी वर्गों के किसानों के संदर्भ में) के उपभोग के लिए धान का रखा जाना (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	27
15.	फार्मों (खेतों) में कार्य करने वाले स्थायी और अस्थायी श्रमिकों के उपभोग के लिए खेतिहर किसानों द्वारा धान को रखना (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	28

(viii)

तालिका सं.	विषय	पृष्ठ सं.
16.	राज्यवार फार्मों (खेतों) में नियुक्त स्थायी और अस्थायी श्रमिकों के उपभोग के लिए खेतिहर किसानों द्वारा धान को रखना (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	29
17.	फार्म स्तर पर उपभोग के लिए रखी गई धान की कुल मात्रा	30
18.	राज्यवार फार्म स्तर पर उपभोग के लिए रखी गई धान की मात्रा (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	31
19.	उपभोग के लिए धान की खरीद (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	33
20.	राज्यवार धान की खरीद के ब्यौरे (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	35
21.	उपभोग के लिए धान की कुल आवश्यकता (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	36

22.	राज्यवार धान की कुल आवश्यकता (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	37
23.	बीज के लिए धान रखना (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	38
24.	राज्यवार बीज के लिए धान रखने के ब्यौरे (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	39
25.	बीज के लिए धान (सिंचित और असिंचित दोनों फसलों हेतु) को रखना (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	40
26.	जानवरों को खिलाने के लिए धान रखना (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	41
27.	राज्यवार जानवरों को खिलाने के लिए रखी गई धान (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	41
28.	स्थायी श्रमिकों को नकद और वस्तु रुप में भुगतान के लिए धान का सदुपयोग (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	43
29.	राज्यवार स्थायी श्रमिकों को नकद और वस्तु के रुप में भुगतान के लिए रखे गए धान के ब्यौरे (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	43
30.	चालू वर्ष की फसल से नकद रुप में भुगतान के लिए धान का सदुपयोग (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	45

(ix)

तालिका सं.	विषय	पृष्ठ सं.
31.	पिछले वर्ष की फसल की बिक्री से नकद रुप में भुगतान के लिए धान का सदुपयोग (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	46
32.	विभिन्न प्रयोजनों हेतु वस्तु रुप में भुगतान के लिए धान का सदुपयोग (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	47
33.	वस्तु के रुप में भुगतान के लिए धान के उपयोग के राज्यवार ब्यौरे (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	48
34.	उत्पादक स्तर पर धान की हानियाँ (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	52
35.	धान की बिक्री (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	57
36.	विभिन्न एजेंसियों की बिक्री (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	59

37.	गाँवों में धान की बिक्री (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	60
38.	गाँव से बाहर धान की बिक्री (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	62
39.	धान की कुल बिक्री के राज्यवार ब्यौरे (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	63
40.	धान के बेचे गए अधिशेष में विभिन्न राज्यों का योगदान (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	65
41.	किसान परिवार की कुल आवश्यकता और विपणन योग्य अधिशेष (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	67
42.	धान का विपणन योग्य अधिशेष (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	69
43.	विपणन योग्य अधिशेष पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम और वर्ष 1972 और 1996-99 में धान की फसलोत्तर हानियाँ	70
44.	धान के उत्पादन, किसान परिवारों के लिए अपेक्षित मात्रा, विपणन योग्य अधिशेष और बेची गई धान की मात्रा के राज्यवार ब्यौरे (वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 का औसत)	72

(x)

सारांश

1. उपभोक्ता संगठनों की ओर से निरंतर की जा रही माँग को ध्यान में रखते हुए अन्तर्विभागीय परामर्श के पश्चात् विपणन योग्य अधिशेष और फसलोत्तर हानियों का आकलन करने के लिए किए जाने वाले राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में 47 कृषि जिंसों को शामिल किया गया ।
2. प्रारंभ में जिलों (फसलों) अर्थात् धान, ज्वार, गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, चना और मसूर को शामिल किया गया ।
3. इस अध्ययन का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर उत्पादक स्तर पर फसलोत्तर होने वाली हानियों और विपणन योग्य अधिशेष का अनुमान लगाने के लिए विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध करना है ।
4. यह सर्वेक्षण में तकनीकी समिति द्वारा भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के परामर्श से अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार 25 राज्यों के 100 जिलों में किया गया । चुने गए 100 जिलों में से 1500 गाँवों का चयन किया गया । 1500 गाँवों में से यह पाया गया कि 1209 गाँवों में धान का उत्पादन किया जाता है । अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 80 प्रतिशत गाँवों में धान उगाई जाती थी ।
5. आकलन करने पर पता चला कि 43786.19 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान उगाई जाती थी । इसमें से औसतन 26804.38 हजार हेक्टेयर अर्थात् लगभग 61 प्रतिशत में सिंचित धान उगाई जाती थी । राज्य वार धान के जोत क्षेत्र के वितरण / बंटन से ज्ञात होता है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में धान को प्रमुख सिंचित फसल के रूप में उगाया जाता है । अन्य राज्यों में सिंचाई के साधनों का भरपूर उपयोग नहीं किया गया । (पैरा – 5)
6. अधिक पैदावार वाली प्रजातियों की धान 33798.58 हजार हेक्टेयर अर्थात् 77.19 प्रतिशत भू-भाग में उगाई जाती है । यह कृषि मंत्रालय द्वारा अधिक पैदावार वाली प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए किए गए सफल प्रयासों का ही परिणाम है । (पैरा – 5.2)
7. धान का अनुमानित उत्पादन 122270.29 हजार टन था, जिसमें से सिंचित धान का अंश (योगदान) 92800.70 हजार टन अर्थात् 75.8 प्रतिशत था । अनुमान लगाया गया कि उत्पादन में अधिक पैदावार वाली प्रजातियों का योगदान 104620.08 हजार टन अर्थात् 85.56 प्रतिशत था । इसके बाद धान की अधिक पैदावार वाली प्रजातियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता को और अधिक महत्व दिया गया ताकि प्रतियोगी वैश्विक विपणन परिदृश्य में हम प्रतियोगी रूप से और अधिक दक्ष हो सकें । (पैरा – 5.3, 5.4)

8. अनुमान लगाया गया कि किसान परिवार स्तर पर खपत के लिए धान की कुल आवश्यकता अर्थात् (किसान स्तर पर खपत और खरीद) 41171.95 हजार टन होगी, जो कि अनुमानित उत्पादन का लगभग 33.67 प्रतिशत था । **(पैरा – 6.6.1)**

9. किसान परिवार स्तर पर कुल आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रयोजनों हेतु धान को रखना और उसकी खरीद के अनुमान निम्नानुसार थे :

- i) किसान परिवारों की खपत के लिए - 26.08 प्रतिशत **(पैरा – 6.2.1)**
- ii) अस्थायी और स्थायी श्रमिकों द्वारा खपत के लिए - 2.22 प्रतिशत **(पैरा – 6.3.1)**
- iii) खपत के लिए अनुमानित खरीद - 5.38 प्रतिशत **(पैरा – 6.5.1)**
- iv) बीज के लिए - 1.80 प्रतिशत **(पैरा – 6.7.1)**
- v) जानवरों को खिलाने के लिए - 0.18 प्रतिशत **(पैरा – 6.8.1)**
- vi) नकद और वस्तु रूप में भुगतान के लिए - 1.54 प्रतिशत **(पैरा – 6.10.1)**

10. उत्पादक स्तर पर फसलोत्तर (खेत से खलिहान तक ले जाने, गहाई, ओसाई, परिवहन और गोदाम आदि) की कुल अनुमानित हानि कुल उत्पादन की 2.72 प्रतिशत थी । **(पैरा – 7.1.2)**

11. बेची गई धान की कुल अनुमानित मात्रा 51.97 प्रतिशत थी । उत्पादक द्वारा सीधे उपभोक्ता को बेची गई धान का 3.64 प्रतिशत, सहकारी समितियों को 3.90 प्रतिशत और भारतीय खाद्य निगम को 9.73 प्रतिशत था । किसान समुदाय के लाभार्थ धान के विपणन में अपनी भूमिका का मूल्यांकन करना सहकारी क्षेत्र और भारतीय खाद्य निगम दोनों के लिए ही गहन विचार का विषय है । यह भी अनिवार्य है कि विपणन सुधारों के माध्यम से उत्पादक द्वारा लक्ष्य समूहों को सीधे धान की बिक्री के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएं ताकि उपभोक्ता की राशि में उनका अंश बढ़ाया जा सके । **(पैरा – 8.3)**

12. कुल बिक्री में से 64.66 प्रतिशत बिक्री गाँवों में की गई । इससे यह स्वतः स्पष्ट है कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए गाँव स्तर पर ही सुदृढ़ ढाँचे और सुविधाओं का विकास करने की आवश्यकता है । यह भी आवश्यक है कि शहरी बाजार केन्द्रों (व्यापक रूप से विकसित) की बजाए ग्रामीण विपणन केन्द्रों के विकास के लिए ध्यान दिया जाए । **(पैरा – 8.5)**

13. वर्ष 1972-73 के दौरान धान के विपणन योग्य अधिशेष और उसकी फसलोत्तर हानि के संबंध में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि किसान परिवारों की जरूरत के लिए अनुमानित 53188.58 हजार टन अर्थात् उस वर्ष के उत्पादन का 91.13 प्रतिशत धान की आवश्यकता थी । संयोग से वर्ष 1972-73 में मौसम बड़ा ही प्रतिकूल हो गया और देश को घाटे का सामना करना पड़ा ।

(xiv)

14. वर्ष 1972-73 में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि विपणन योग्य अधिशेष 5176.42 हजार टन अर्थात् उत्पादन का 8.87 प्रतिशत था । वर्तमान सर्वेक्षण से पता चलता है कि विपणन योग्य अधिशेष बढ़कर 67805.00 हजार टन हो गया है जो कि वर्तमान में 55.46 प्रतिशत है और उत्पादक / कृषक स्तर पर होने वाली हानि सहित किसान परिवारों के लिए आवश्यक धान की कुल मात्रा 54465.29 हजार टन अर्थात् कुल उत्पादन का 44.54 प्रतिशत थी ।
(पैरा – 9.4)

15. अनुमान लगाया गया कि बेची गई धान की मात्रा 63541.65 हजार मीट्रिक टन अथवा कुल उत्पादन का 51.97 प्रतिशत । इसका तात्पर्य यह था कि उत्पादक के पास सुरक्षित (आगे ले जाया गया) स्टॉक 4265.35 हजार टन अथवा कुल उत्पादन का 3.49 प्रतिशत था ।
(पैरा – 9.4)

16. वर्तमान सर्वेक्षण से पता चला कि किसान परिवारों की खपत / जरूरत 54465.29 हजार टन थी वर्ष 1972-73 के सर्वेक्षण से पता चला कि यह 53188.58 हजार टन थी अर्थात् किसानों की जरूरत काफी कुछ (कुल मिलाकर) स्थिर थी ।
(पैरा – 9.4)

17. पूर्व के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि प्रत्येक परिवार में सदस्य संख्या का औसत 6.26 प्रतिशत था जबकि वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार यह 6.45 प्रतिशत है ।

(xv)

अध्याय – I

प्रस्तावना

1.1 विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी एम आई) अपनी स्थापना वर्ष 1935 से लगातार कृषि जिनो के विपणन पर सर्वेक्षण करता रहा है । इन सर्वेक्षणों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया (सिद्धान्त) विभिन्न बाजारों में विपणन के भिन्न-भिन्न पहलुओं से जुड़े सर्वाधिक ज्ञानपरक कार्यकारी संस्थाओं से की गई व्यक्तिगत पूछताछ (जानकारियों) पर आधारित थी । प्रश्नावलियों में जहाँ कहीं संभव या सांख्यिकीय सूचना प्राप्त करने का भी विकल्प रखा था । उस दौरान देश में अधिक सांख्यिकीय विशेषज्ञता का विकास नहीं हुआ था, न ही विभिन्न कृषि जिनो के विपणन के लिए देश के विभिन्न भागों में उसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर विस्तृत तथ्यपरक सूचना ही उपलब्ध थी ।

1.2 इन सर्वेक्षणों से विपणन तंत्र और विभिन्न कृषि जिनो के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में आधार-भूत सूचना प्राप्त हुई । फिर भी इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि विपणन योग्य अधिशेष और कृषि विकास, वितरण कार्यक्रमों और मूल्य नीतियों के लिए योजना तैयार करने के प्रसंग में खाद्यान्नों की फसलोत्तर हानियों का संक्षिप्त अनुमान लगाया जाए । चूंकि डी एम आई द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर उपलब्ध डाटा लुप्त प्राय (पुराना) हो गया था, इसलिए कुछ चुनिंदा कृषि जिनो के विपणन योग्य अधिशेष तथा फसलोत्तर की हानियों पर तथा क्रमबद्ध ढंग से राष्ट्रीय सर्वेक्षण शुरू किए गए । यह सर्वेक्षण 1972-73 में धान जिनो के सर्वेक्षण से शुरू किए गए, इसके पश्चात गेहूँ, ज्वार, बाजरा और मक्का का सर्वेक्षण आने वाले वर्षों के दौरान किया गया । इन सर्वेक्षणों में उस समय उपलब्ध परिवर्धित आधुनिक सांख्यिकीय तकनीकों को अपनाया गया । समय के साथ डाटा भी पुराना हो गया । उपभोक्ता संगठनों से लगातार माँग को ध्यान में रखते हुए और अन्तर विभागीय विचार-विमर्श के पश्चात् 47 कृषि जिनो के विपणन योग्य अधिशेष और फसलोत्तर हानियों को सर्वेक्षण के लिए चुना गया । ये सर्वेक्षण प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित 12 खाद्यान्नों को चुना गया :

धान्य		दालें	
धान	मक्का	अरहर	चना
ज्वार	जौ	मूँग	मसूर
गेहूँ	रागी	उड़द	
बाजरा			

1.3 अध्ययन के लक्ष्य (उद्देश्य) :

इन अध्ययनों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

- ➔ खाद्यान्नों के विपणन योग्य अधिशेष के अनुमानों का संशोधन और उन्हें अद्यतन करना ।
- ➔ खपत, बीज, आपूर्ति, मजदूरी और मदों वस्तु के रूप में अन्य भुगतानों आदि के लिए फार्म प्रतिरक्षण पर नवीनतम डाटा संकलित करना, और
- ➔ उत्पादकताओं के स्तर पर फसलोत्तर हानियों का अनुमान लगाना ।

अध्ययन का उद्देश्य विपणन योग्य अधिशेष, फार्म प्रतिरक्षण और उत्पादकताओं के स्तर पर राज्य-वार फसलोत्तर हानियों के साथ-साथ संपूर्ण देश के लिए विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध कराना है ।

अध्याय – II

साहित्य की समीक्षा

2.1 डी एम आई वर्ष 1935 में अपनी स्थापना से ही कृषि विपणन सर्वेक्षण कर रही है । जिस सर्वेक्षण रिपोर्टों में जिनसे के विपणन की पृष्ठभूमि, समस्याएं और उनको हल करने के लिए आवश्यक उपाय उपलब्ध कराए । इन रिपोर्टों से विपणन योग्य अधिशेष अनुपात उपलब्ध कराए, जिनका सदुपयोग योजना मंत्रालय के सांख्यिकीय विभाग में “सकल राष्ट्रीय उत्पाद” के अनुपात तैयार करने में किया तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय ने विभिन्न कृषि जिनसे का थोक भावों का “अखिल भारतीय सूचकांक संख्याओं” के अनुसरण में वजन निर्धारित करने के लिए किया । खाद्यान्न फसलों और स्त्रोतों के संदर्भ में विपणन योग्य अधिशेष अनुपात नीचे दर्शाए गए हैं :

तालिका संख्या – 1

खाद्यान्न फसलों के विपणन योग्य अधिशेष अनुपात

क्रम सं.	जिस	विपणन योग्य अधिशेष अनुपात (प्रतिशतता)	संबंधित डाटा वर्ष
1.	चावल	32.2	विपणन रिपोर्ट 1951
2.	गेहूँ	37.8	विपणन रिपोर्ट 1957-58 एवं 1958-59
3.	ज्वार	29.6	लागू नहीं
4.	बाजरा	27.2	”
5.	जौ	28.0	”
6.	मक्का	38.5	”
7.	रागी	18.2	”
8.	चना	45.2	”
9.	अरहर	65.4	विपणन रिपोर्ट 1956-57
10.	उड़द	63.5	-
11.	मसूर	28.8	-
12.	मूँग	60.7	-

स्त्रोत - अर्थशास्त्र और सांख्यिकीय निदेशालय यू.ओ.सं.8-8/76-ए डब्लू पी टी-ई एस तारीख 22.11.1976 *

2.2 उपभोक्ता संगठनों से निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए डी.एम.आई. द्वारा वर्ष 1972-73 के दौरान धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और मक्का के संबंध में एक अन्य राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया । इससे प्राप्त विपणन योग्य अधिशेष के अनुपात नीचे दिए गए हैं :

तालिका संख्या – 2

चुनिंदा अनाजों के विपणन योग्य अधिशेष अनुपात

क्रम सं.	कृषि उत्पाद	विपणन योग्य अधिशेष अनुपात (प्रतिशतता)	संदर्भित वर्ष	रिपोर्ट प्रकाशन का वर्ष
1.	धान	8.87	1972-73	1979
2.	गेहूँ	65.10	1973-74	1986
3.	ज्वार	33.14	1974-75	1984
4.	बाजरा	36.31	1974-75	1985
5.	मक्का	30.86	1974-75	1987

2.3 इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में सूक्ष्म अध्ययन किए जा रहे हैं । विपणन योग्य अधिशेष और फसलोत्तर हानि के संबंध में इन निष्कर्षों के कुछ अंश नीचे दिए गए हैं :-

- ➔ पाण्डे पी.एच.⁶ ने दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एरिया में चावल की फसलोत्तर हानि का अनुमान लगाते हुए बताया कि यह 10 से 37 प्रतिशत है ।
- ➔ विश्व बैंक प्रचालन एवं मूल्यांकन अध्ययन⁷ (1974-85) से पता चला कि चावल की भण्डारण संबंधी हानि मलेशिया में न्यूनतम 1.2 प्रतिशत और भारत में अधिकतम 4.3 प्रतिशत है ।
- ➔ राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी⁸ (1978) से पता चला कि चावल की फसलोत्तर हानि भारत में 6 प्रतिशत, बांग्लादेश में 7 प्रतिशत, इंडोनेशिया में 6-17 प्रतिशत, मलेशिया में 17-25 प्रतिशत, नेपाल में 4-22 प्रतिशत, पाकिस्तान में 7 प्रतिशत, फिलीपींस में 9-34 प्रतिशत, श्रीलंका में 13-40 प्रतिशत और थाइलैण्ड में 8-14 प्रतिशत है ।
- ➔ बॉक्सआल, आर.ए.,⁹ एट.अल. से पता चला कि भारत में चावल भण्डारण संबंधी हानि 4.3 प्रतिशत है, जिसमें से 3.2 प्रतिशत को रोका जा सकता है ।
- ➔ भारतीय अनाज भण्डारण संस्थान, हापुड के टी.सिंह¹⁰ एट.अल. ने भारत में धान की फसलोत्तर अनुमानित हानि 11 प्रतिशत तक बताई, जिसमें से 2.5 प्रतिशत श्रेसिंग, 0.5 प्रतिशत परिवहन, 2 प्रतिशत संसाधन व 6 प्रतिशत भण्डारण के फलस्वरूप होती है ।

- एम जे एम रेड्डी ¹¹ ने 1987 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में धान के विपणन योग्य अधिशेष का अध्ययन किया और बताया कि लघु व सीमांत कोटि के किसानों के संदर्भ में विपणन योग्य अधिशेष 4.59 प्रतिशत, मध्यम कोटि में 31.12 प्रतिशत और बड़े किसानों के संदर्भ में 52.51 प्रतिशत है ।
 - उपेन्द्रर ¹² एट.अल. ने आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में छोटे किसानों के संदर्भ में धान का विपणन योग्य अधिशेष 33.49 प्रतिशत, मध्यम वर्गीय किसानों में 27.96 प्रतिशत और बड़े किसानों के संदर्भ में 38.56 प्रतिशत बताया ।
 - तोमर ¹³ एट.अल. ने हिमाचल प्रदेश की पाओटा घाटी में फसल लाभप्रदता और विपणन योग्य अधिशेष का अध्ययन किया । इस अध्ययन से पता चला कि छोटे किसानों के संदर्भ में उसकी घरेलू खपत के लिए 90.84 प्रतिशत, बीज के लिए 2.2 प्रतिशत, वस्तु रूप में मजदूरी के भुगतान के लिए 3.66 प्रतिशत और विपणन योग्य अधिशेष हेतु 3.3 प्रतिशत धान रखी जाती है । मध्यम वर्गीय किसानों के संदर्भ में विपणन योग्य अधिशेष 4.61 प्रतिशत बताया गया जबकि बड़े किसानों के संदर्भ में 0 प्रतिशत रिपोर्ट किया गया ।
 - टी.एस.देवराज ¹⁴ ने 1999 में कर्नाटक के हसन जिले में धान का विपणन योग्य अधिशेष 45.74 प्रतिशत बताया ।
 - गिल ¹⁵ एट.अल. ने बताया कि खपत के लिए भण्डारित धान की भण्डारण के दौरान 1.78 प्रतिशत और बीज के लिए रखी गई धान की हानि 1.48 प्रतिशत होती है ।
 - अहमद ¹⁶ एट.अल. ने 1990 में असम के दारंग, कामरूप, सिबसागर और डिब्रूगढ़ जिलों का अध्ययन करने के पश्चात् धान का विपणन योग्य अधिशेष 48.56 प्रतिशत बताया । उन्होंने यह भी बताया कि जाड़े वाली स्थूल धान की तुलना में पतली और अच्छी धान अधिक मात्रा में बेची गई ।
 - पवार ¹⁷ एट.अल. ने 1990 में बताया कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में चावल का विपणन योग्य अधिशेष वहाँ की जोतों के अनुकूल था ।
- 5**
- पी.एस.रांगी, ¹⁸ ने 1993 में बताया कि पंजाब में धान का विपणन योग्य अधिशेष इसके कुल उत्पादन का 94 प्रतिशत था, जो कि देश में धान के कुल विपणन योग्य अधिशेष 30 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक था । कुछ क्षेत्रों में तो यह 97 प्रतिशत तक रिपोर्ट किया गया ।
 - मलिक, ¹⁹ एट.अल. ने 1992 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में धान का विपणन योग्य अधिशेष 72.90 प्रतिशत बताया ।

- एस.एस.चव्हाण, ²⁰ एट.अल. ने 1999 में बताया कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में धान का विपणन योग्य अधिशेष धान बोए जाने वाले क्षेत्र और जोतों के आकार के अनुकूल है ।
- पांसे समिति ²¹ ने 1998 में बताया कि खाद्यान्नों की फसलोत्तर हानि कुल उत्पादन का 9.33 प्रतिशत तक है और किसानों द्वारा अपने उपयोग हेतु 65 प्रतिशत तक धान रखी जाती है ।
- के.कृष्णामूर्ति ²² ने 1973-76 के दौरान रिपोर्ट किया कि खाद्यान्नों की भण्डारण संबंधी सकल हानि 9.33 प्रतिशत है, जिसमें श्रेसिंग के परिणाम स्वरूप 1.68 प्रतिशत, परिवहन 0.15 प्रतिशत, संसाधन 0.92 प्रतिशत कृतक पक्षियों (प्राणियों) 2.50 प्रतिशत, चिड़ियों 0.85 प्रतिशत कीड़ों 2.55 प्रतिशत और नमी के कारण 0.68 प्रतिशत हानि शामिल है ।
- प्रमोद कुमार ²³ ने 1999 में हरियाणा में बेची गई धान को निम्नानुसार दर्शाया :

क्रम सं	किसानों की कोटि	बेची गई धान (उत्पादन के प्रतिशत में)
1.	सीमांत	90.02
2.	छोटे	90.73
3.	अल्प मध्यम	94.39
4.	मध्यम	96.39
5.	बड़े	98.14
6.	कुल	96.31

अध्याय – III

प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया (डिज़ाइन) और सर्वेक्षण में जिलों व किसानों को शामिल करना

3.1 प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया (डिज़ाइन) :

तकनीकी समिति ने इस सर्वेक्षण के लिए बहुस्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया (डिज़ाइन) की अनुशंसा की । जिलों का चयन खाद्यान्नों की सभी फसलों के उत्पादन की समेकित प्रक्रिया के आधार पर किया गया । तदनुसार जिलों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर 20 प्रतिशत करने के बजाय प्रत्येक राज्य के जिलों की कुल संख्या का 20 प्रतिशत की दर से किया गया और पूर्व में डी.एम.आई. द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुसार उनके आकार क्षेत्रफल और उत्पादन के आधार पर राज्यों में उनका आंशिक प्रतिशत किया गया ताकि राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विपणन योग्य अधिशेष का सही एवं विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकें । प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल थे :

- i) प्रत्येक राज्य में सर्वेक्षण के लिए कुल जिलों में से 20 प्रतिशत जिलों का चयन किया गया ।
- ii) प्रत्येक चयनित जिले से 15 गाँवों का चयन उनके खाद्यान्नों के कुल जोत क्षेत्र के आधार पर उन्हें 03 समूहों में बांटने के बाद किया गया ।
- iii) प्रत्येक चयनित गाँव में 10 किसान परिवारों का चयन उन्हें 03 कोटियों यथा छोटे, मध्यम और बड़े में वर्गीकृत करने के बाद किया गया ।

तदनुसार, सभी राज्यों से अखिल भारतीय स्तर पर 100 जिलों से 1500 गाँवों (100 x 15) के 15000 किसान परिवारों (1500 x 10) पर यह सर्वेक्षण किया गया और 03 वर्ष की सर्वेक्षण अवधि के दौरान तिमाही आधार पर निर्धारित अनुसूचियों में आँकड़े एकत्र किए गए ।

3.1.1 प्रतिदर्श चयन की पद्धति (प्रतिदर्श जिलों का चयन) :

जैसा पहले बताया जा चुका है कि जिलों का चयन निदेशक, आई ए एस आर आई, नई दिल्ली के परामर्श से तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित चयन प्रक्रिया के अनुसार खाद्यान्नों की सभी फसलों के उत्पादन की समग्र (समेकित) प्रक्रिया के आधार पर किया गया। जिलों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर 20 प्रतिशत के हिसाब से न करके प्रत्येक राज्य में जिलों की कुल संख्या के 20 प्रतिशत की दर से किया गया और डी एम आई द्वारा पूर्व में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार राज्यों के उत्पादन के आधार पर राज्यों के बीच उनका आंबटन किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर विपणन योग्य अधिशेष का विश्वस्तरीय अनुमान लगाया जा सके। प्रत्येक राज्य में जिलों को 03 कोटियों यथा उत्पादन की दृष्टि से उच्च, मध्यम और निम्न में वर्गीकृत किया गया। उनका यह वर्गीकरण 03 वर्ष (1991-92, 1992-93 और 1993-94) के दौरान खाद्यान्नों के वार्षिक उत्पादन के आधार पर किया गया। खाद्यान्नों के वार्षिक उत्पादन के संबंध में आँकड़े राजकीय विभागों से प्राप्त किए गए। प्रत्येक राज्य में कुल जिलों में से 20 प्रतिशत जिलों का चयन किया गया। इसके लिए कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का आपस में आमेलित भी किया गया ताकि प्रत्येक कोटि में हर राज्य से कम से कम 02 और कुल मिलाकर 06 जिलों का चयन सुनिश्चित किया जा सके। चूंकि विभिन्न राज्यों में जिलों की संख्या जैसे गोवा में 02 और उत्तर प्रदेश में 63 होने से 30 से कम जिलों वाले राज्यों में एक समस्या पैदा हो गई।

- i) राज्य, जिनमें 30 अथवा या अधिक जिले हैं - बिहार (42), उत्तर प्रदेश (63), महाराष्ट्र (31), और मध्य प्रदेश (45)।
- ii) 6 से अधिक किंतु 30 से कम जिलों वाले राज्य - आंध्र प्रदेश (23), अरुणाचल प्रदेश (11), असम (23), गुजरात (14), हरियाणा (16), हिमाचल प्रदेश (12), जम्मू कश्मीर (14), कर्नाटक (20), केरल (14), मणिपुर (8), नागालैंड (7), उड़ीसा (13), पंजाब (12), राजस्थान (27), तमिलनाडु (22), और पश्चिम बंगाल (17) *
- iii) 6 से कम जिलों वाले राज्य / संघ क्षेत्र - गोवा (2), मेघालय (5), मिजोराम (3), सिक्किम (4), त्रिपुरा (3), अंदमान निकोबार द्वीप समुह (2), पाँडिचेरी (4), दमन व दीव (2), दिल्ली (1), चंडीगढ़ (1), लक्षद्वीप (1) और दादरा नगर हवेली (1)।

इसलिए कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आमेलित करना पड़ा ताकि प्रत्येक कोटि से कम से कम दो जिलों का चयन सुनिश्चित किया जा सके। तदनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण के लिए 100 जिलों का चयन किया गया। इसमें यह भी शामिल किया गया कि जिलों का चयन करते समय सुनिश्चित किया जाए कि इन चुनिंदा जिलों का खाद्यान्नों के उत्पादन में कम से कम 20 प्रतिशत योगदान अवश्य हो।

3.1.2 प्रतिदर्श गावों का चयन :

तकनीकी समिति ने पहली बैठक में यह भी सुझाव दिया कि जिलों का चयन करते समय राज्य के विभिन्न क्षेत्रों और कृषि-जलवायु क्षेत्रों (अंचलों) का भी यथासंभव ध्यान रखा जाए । संयोग से पश्चिमी शुष्क क्षेत्र (अंचल) और द्वीप समूह अंचल को छोड़कर चुनिंदा सभी 100 जिलों में इन सभी बातों का बराबर ध्यान रख गया ।

प्रत्येक चयनित जिले में 15 गाँवों को उनके कृषि उत्पादन की दृष्टि से 03 वर्गों यथा उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग में वर्गीकृत करने के बाद चुना गया । प्रत्येक गाँवों से खाद्यान्नों के उत्पादन संबंधी आँकड़े शामिल करने में होने वाली व्यावहारिक कठिनाई के मद्देनजर तकनीकी समिति ने अनुशंसा की कि गाँवों को वर्गीकृत करने के लिए खाद्यान्नों के अधीन कुल जोत क्षेत्र को आधार बनाया जाए । तदनुसार चुनिंदा जिलों के सभी गाँवों का खाद्यान्नों के जोत क्षेत्र की दृष्टि से कुल, सकल अथवा शुद्ध जोत क्षेत्र के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया और फिर 03 भागों में इस प्रकार बांटा गया ताकि जिले में कुल क्षेत्र के कम से कम एक तिहाई क्षेत्र में जोत की जाती हो । गाँवों की सूची के शीर्षस्थ स्थान में 'उच्च उत्पादन' वाले, मध्य स्थान में 'मध्यम उत्पादन' वाले और शेष बचे जिलों को 'निम्न उत्पादन' वाले वर्ग में रखा गया । प्रत्येक वर्ग से 05 गाँवों का चयन यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया द्वारा सर्वेक्षण के लिए किया गया ।

3.1.3 किसान परिवारों का चयन :

चुने गए प्रत्येक गाँव से 10 किसान परिवारों का चयन किया गया । गाँव के राजस्व रिकार्ड से वहां के सभी किसान परिवारों की एक सूची तैयार की गई । किसान परिवारों को खाद्यान्नों की खेती के अंतर्गत उनके जोत क्षेत्र के अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया गया और सूची को तीन भागों में विभाजित किया गया । प्रत्येक भागों में गाँव में खाद्यान्नों की खेती के अंतर्गत आने वाले कुल जोत क्षेत्र का एक तिहाई जोत क्षेत्र लिया गया । सूची के उपरी भाग सूचीबद्ध किए गए किसान परिवार को "बड़े" वर्ग में, मध्य भाग में "मध्यम" वर्गीय और शेष भाग में "छोटे" वर्ग के किसानों को स्थान दिया गया । "छोटे" वर्ग से 04 तथा "मध्यम" एवं "बड़े" वर्ग में से 3-3 किसान परिवारों को सर्वेक्षण के लिए सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रणाली के माध्यम से चुना गया ।

3.2 सर्वेक्षण कार्यक्षेत्र :

3.2.1 सर्वेक्षण में तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली के अनुसार 25 राज्यों में से 100 जिलों का चयन किया गया । सर्वेक्षण की अवधि के दौरान धान का उत्पादन करने वाले प्रतिदर्श गाँवों का राज्यवार श्रेणीवार बंटन नीचे तालिका में दर्शाया गया है ।

तालिका संख्या - 3

धान उगाने वाले प्रतिदर्श गाँवों का वितरण

(वर्ष 1993-94 और 1994-95 के आँकड़ों के आधार पर)

क्रम सं.	राज्य	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या	धान उगाने वाले गाँवों की संख्या	धान उगाने वाले किसान परिवारों की संख्या			
				श्रेणी			
				छोटे	मध्यम	बड़े	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	आंध्र प्रदेश	75	73	243	196	203	642
2.	अरुणाचल प्रदेश	30	30	129	90	90	309
3.	असम	75	74	298	224	225	747
4.	बिहार	165	158	645	486	487	1618
5.	गोवा	15	15	59	45	45	149
6.	गुजरात	60	30	67	62	71	200
7.	हरियाणा	45	39	137	108	110	355
8.	हिमाचल प्रदेश	45	32	68	55	77	200
9.	जम्मू और कश्मीर	45	41	122	102	105	329
10.	कर्नाटक	60	35	93	81	94	268
11.	केरल	45	45	176	132	132	440
12.	मध्य प्रदेश	135	76	146	120	122	388
13.	महाराष्ट्र	90	50	123	105	110	338
14.	मणिपुर	15	15	60	45	45	150
15.	मेघालय	15	15	60	45	45	150
16.	मिजोराम	15	15	59	45	45	149
17.	नागालैंड	15	15	59	45	45	149
18.	उड़ीसा	90	90	347	266	267	880
19.	पंजाब	45	43	103	92	96	291
20.	राजस्थान	90	10	18	12	12	42
21.	सिक्किम	15	9	8	9	17	34
22.	तमिलनाडु	75	73	237	175	183	595
23.	त्रिपुरा	15	15	60	45	45	150
24.	उत्तर प्रदेश	180	166	559	443	468	1470
25.	पश्चिम बंगाल	45	45	180	135	135	450
26.	अखिल भारत	1500	1209	4042	3152	3263	10457

3.2.2 ऐसा देखा गया कि चुने गए 1500 गाँवों में से 1209 गाँवों में धान उगाया जाता है । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 80 प्रतिशत गाँवों में धान उगाया जाता है । यह भी देखा गया कि धान उगाने वाले प्रतिदर्श गाँवों में से 166 गाँव उत्तर प्रदेश से, 158 गाँव बिहार से, 90 गाँव उड़ीसा से है ।

3.2.3 औसत जोत क्षेत्र, धान उत्पादन का औसत क्षेत्र और उनका प्रतिशत तालिका सं. 4 में दर्शाया गया है ।

तालिका संख्या – 4

प्रतिदर्श गाँवों में धान उत्पादन वाला औसत जोत क्षेत्र और उसका प्रतिशत
(औसत: वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के आँकड़ों के आधार पर)

क्रम सं.	राज्य	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या	औसत जोत क्षेत्र	धान उत्पादन का औसत क्षेत्र	
				क्षेत्र	कालम 4 की तुलना में कालम 5 का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	आंध्र प्रदेश	75	544.79	417.52	76.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	30	198.80	182.51	91.81
3.	असम	75	145.86	128.16	87.87
4.	बिहार	165	270.22	142.63	52.78
5.	गोवा	15	163.42	138.42	84.7
6.	गुजरात	60	471.74	75.00	15.9
7.	हरियाणा	45	841.15	246.19	29.27
8.	हिमाचल प्रदेश	45	106.15	10.61	10.00
9.	जम्मू और कश्मीर	45	337.52	78.06	23.13
10.	कर्नाटक	60	492.72	172.35	34.98
11.	केरल	45	998.56	998.56	100
12.	मध्य प्रदेश	135	357.42	84.28	23.58
13.	महाराष्ट्र	90	474.03	60.25	12.71
14.	मणिपुर	15	282.67	258.67	91.51
15.	मेघालय	15	69.80	69.8	100
16.	मिजोराम	15	141.09	118.85	84.23
17.	नागालैंड	15	318.20	278.29	87.46
18.	उड़ीसा	90	190.49	169.25	88.85
19.	पंजाब	45	1065.79	427.99	40.16
20.	राजस्थान	90	483.29	2.69	0.56
21.	सिक्किम	15	116.51	15.15	13
22.	तमिलनाडु	75	323.54	218.84	67.64

1.	2.	3.	4.	5.	6.
23.	त्रिपुरा	15	339.51	329.29	96.99
24.	उत्तर प्रदेश	180	215.97	67.75	31.37
25.	पश्चिम बंगाल	45	495.86	448.31	90.41
26.	अखिल भारत	1500	379.60	205.58	54.42

ऐसा देखा गया है कि पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आदि जैसे राज्यों में कुल औसत जोत क्षेत्र का 90 प्रतिशत और उससे अधिक जोत क्षेत्र में धान उगाई जाती है । अन्य पूर्वी राज्यों जैसे उड़ीसा, नागालैंड, मिजोराम, असम आदि के प्रतिदर्श गाँवों में कुल जोत क्षेत्र के लगभग 80 प्रतिशत भाग में धान उगाई जाती है ।

अध्याय – IV

अनुमान प्रक्रिया

माना कि

- h** – पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के औसत वार्षिक उत्पादन के आधार पर जिला समूहों के h स्तर अर्थात् “उच्च”, “मध्यम” और “निम्न” स्तर को दर्शाया है ,
- i** – h ों जिला समूह से चुने गए i ों जिले को इंगित करता है ,
- h'** – खाद्यान्नों की खेती के अंतर्गत कुल जोत क्षेत्र के आधार पर गाँव समूहों h ों स्तर अर्थात् “उच्च”, “मध्यम” और “निम्न” को इंगित करता है ,
- j** – h ों जिला समूह से चुने गए i ों जिले के h ों गाँव समूह से चुने गए j गाँव को इंगित करता है ,
- k** – गाँव में खाद्यान्नों की खेती के अंतर्गत जोत क्षेत्र के आधार पर किसानों की k ों श्रेणी अर्थात् “बड़े”, “मध्यम” और “छोटे” को इंगित करता है और
- l** – h ों जिलों के समूह से त वें चयनित जिला और उनके ण वे गाँव समूह से ः वे गाँव और उसके ः वें श्रेणी से गाँव से ः वाँ चयनित किसान
- Y_{hihi'jkl}** – (hih' jkl) ों किसान का अध्ययन y करेक्टर का मान ।
- X_{hihi'jkl}** – (hih' jkl) ों किसान का फसलें उगाने का जोत क्षेत्र ।
- m_{hih' jk}** – किसानों की (णत्त' ऋ) वें श्रेणी में चुने गए के किसानों की संख्या ।
- M_{hih' jk}** – किसानों की (णत्त' ऋ) वें श्रेणी में किसानों की कुल संख्या ।
- v_{hih'}** – (hih') - ों गाँव समूह से चुने गए गाँवों की संख्या ।
- V_{hih'}** – (hih') - ों गाँव समूह में गाँवों की कुल संख्या ।
- n_h** – h - ों जिला समूह से चुने गए जिलों की संख्या ।
- N_h** – h - ों जिला समूह में जिलों की कुल संख्या ।
- X_h** – h - ों जिला समूह में फसल के तहत कुल जोत क्षेत्र ।

k-th श्रेणी के किसान के लिए कुल अनुमान निम्नानुसार लगाया जा सकता है :

$$\hat{Y}_k = \sum_{h=1}^H \frac{\hat{Y}_{hk}}{X_{hk}} X_{hk}$$

जहाँ

$$\hat{Y}_{hk} = \frac{N_h}{n_h} \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{h'=1}^{H'} \frac{V_{hih'}}{v_{hih'}} \sum_{j=1}^{M_{hih'jk}} \frac{m_{hih'jk}}{m_{hih'jk}} y_{hih'jkl}$$

$$\hat{X}_{hk} = \frac{N_h}{n_h} \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{h'=1}^{H'} \frac{V_{hih'}}{v_{hih'}} \sum_{j=1}^{M_{hih'jk}} \frac{m_{hih'jk}}{m_{hih'jk}} x_{hih'jkl}$$

$$X_{hk} = \frac{\hat{X}_{hk}}{\sum_{k=1}^{H'} \hat{X}_{hk}} X_h$$

\hat{Y}_k वेरियेंस का अनुमानित मान

$$\hat{V}(\hat{Y}_k) = \sum_{h=1}^H \left[\frac{N_h^2}{n_h} (1-f_{nh}) A_{hk} + \frac{N_h}{n_h} \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{h'=1}^{H'} \frac{V_{hih'}^2}{v_{hih'}} (1-f_{vhih'}) B_{hih'k} + \right.$$

$$\left. \frac{N_h}{n_h} \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{h'=1}^{H'} \frac{V_{hih'}}{v_{hih'}} \sum_{j=1}^{M_{hih'jk}} \frac{M_{hih'jk}^2}{m_{hih'jk}} (1-f_{mhih'jk}) C_{hih'jk} \right]$$

जहाँ

$$A_{hk} = \frac{1}{n_h - 1} \sum_{i=1}^{n_h} (\hat{Y}_{hik} - \hat{R}_{hk} \hat{X}_{hi k})^2$$

$$B_{hih'k} = \frac{1}{V_{hih'} - 1} \sum_{j=1}^{V_{hih'}} [(\hat{Y}_{hih'jk} - \hat{R}_{hk} \hat{X}_{hih'jk}) - (\hat{\bar{Y}}_{hih'k} - \hat{R}_{hk} \hat{\bar{X}}_{hih'k})]^2$$

$$C_{hih'jk} = \frac{1}{m_{hih'jk} - 1} \sum_{l=1}^{m_{hih'jk}} [(y_{hih'jkl} - \hat{R}_{hk} x_{hih'jkl}) - (\hat{\bar{Y}}_{hih'jk} - \hat{R}_{hk} \hat{\bar{X}}_{hih'jk})]^2$$

$$\hat{R}_{hk} = \frac{\hat{Y}_{hk}}{\hat{X}_{hk}}$$

$$\hat{Y}_{hi'h'jk} = \frac{M_{hih'jk}}{m_{hih'jk}} \frac{m_{hih'jk}}{\sum_{1=1} y_{hih'jk1}}$$

$$\hat{\bar{Y}}_{hi'h'jk} = \frac{1}{m_{hih'jk}} \frac{m_{hih'jk}}{\sum_{1=1} y_{hih'jk1}}$$

$$\hat{X}_{hi'h'jk} = \frac{M_{hih'jk}}{m_{hih'jk}} \frac{m_{hih'jk}}{\sum_{1=1} x_{hih'jk1}}$$

$$\hat{\bar{X}}_{hi'h'jk} = \frac{1}{m_{hih'jk}} \frac{m_{hih'jk}}{\sum_{1=1} x_{hih'jk1}}$$

$$f_{mhih'jk} = \frac{m_{hih'jk}}{M_{hih'jk}}$$

$$\hat{Y}_{hi'h''k} = \frac{V_{hih'}}{v_{hi'h'}} \sum_{j=1} v_{hi'h'} \hat{Y}_{hi'h'jk}$$

$$\hat{\bar{Y}}_{hi'h''k} = \frac{1}{v_{hi'h'}} \sum_{j=1} v_{hih'} \hat{Y}_{hi'h'jk}$$

$$\hat{X}_{hi'h''k} = \frac{V_{hih'}}{v_{hi'h'}} \sum_{j=1} v_{hih'} \hat{X}_{hi'h'jk}$$

$$\hat{\bar{X}}_{hi'h''k} = \frac{1}{v_{hih'}} \sum_{j=1} v_{hih'} \hat{X}_{hi'h'jk}$$

$$f_{vhi'h'} = \frac{v_{hih'}}{V_{hih'}}$$

$$\hat{Y}_{hi'k} = \sum_{h'=1}^{H'} \hat{Y}_{hi'h'k}$$

$$H'$$

$$\hat{X}_{hi k} = \sum_{h'=1} \hat{X}_{hi h' k}$$

सभी श्रेणी के किसानों के कुल पूल्लड Y का अनुमानित मान

$$\hat{Y} = \sum_{k=1}^K \hat{Y}_k$$

Y वेरियेंस का अनुमानित मान

$$\hat{V}(\hat{Y}) = \sum_{k=1}^K \hat{V}(\hat{Y}_k)$$

अध्याय – V

धान का उत्पादन और जोत क्षेत्र

5.1 धान का जोत क्षेत्र : सिंचित और असिंचित

5.1.1 वर्ष 1996-97 और 1998-99 के लिए धान के राज्यवार अनुमानित वार्षिक औसत जोत क्षेत्र के साथ-साथ सिंचित और असिंचित क्षेत्र के विवरण और किसानों के वर्ग अनुलग्नक-I में दिए गए हैं। इसका संपूर्ण सार निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

तालिका संख्या – 5

धान जोत क्षेत्र

सिंचित, असिंचित और कुल (वर्ग वार)

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

(000 हेक्टेयर)

क्रम सं.	वर्ग	दर्शाया गया क्षेत्र		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	छोटे	11729.84(60.17) (43.76)	7763.24(39.83) (45.72)	19493.08(100.00) (44.52)
2.	मध्यम	7710.39(61.28) (28.77)	4870.68(38.72) (28.68)	12581.07(100.00) (28.73)
3.	बड़े	7364.15(63.87) (27.47)	4347.89(36.13) (25.60)	11712.04(100.00) (26.75)
4.	कुल	26804.38 (100.00)	16981.81 (100.00)	43786.19 (100.00)

(कोष्ठक में दिए गए आँकड़ों की पंक्ति / कॉलम के जोड़ से प्रतिशतता है)

5.1.2 ऐसा देखा गया है कि देश में धान के जोत क्षेत्र के 43786.19 हजार हेक्टेयर के कुल अनुमानित क्षेत्र में से छोटे वर्ग के किसानों का 19493.08 हजार हेक्टेयर अर्थात् 44.52 प्रतिशत, मध्यम वर्ग के किसानों का 12581.07 हजार हेक्टेयर अर्थात् 28.73 और बड़े वर्ग के किसानों का 11712.04 हजार हेक्टेयर अर्थात् 26.75 प्रतिशत का योगदान था।

5.1.3 वर्ग-वार विश्लेषण यह दर्शाया है कि छोटे वर्ग के किसानों का सिंचित जोत क्षेत्र 60.17 प्रतिशत, मध्यम वर्ग के किसानों का 61.27 प्रतिशत और बड़े वर्ग के किसानों का 62.88 प्रतिशत था। ऐसा देखा गया है कि सिंचाई की संभावनाओं का अभी और सुचारु रूप से उपयोग करना बाकी है।

तालिका संख्या – 6

राज्यवार धान का जोत क्षेत्र (सिंचित / असिंचित)

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

(000 हेक्टेयर)

क्रम सं.	राज्य का नाम	सभी वर्ग					
		सिंचित		असिंचित		कुल क्षेत्र	
		क्षेत्र	प्रतिशत	क्षेत्र	प्रतिशत	क्षेत्र	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	आंध्र प्रदेश	3905.96	14.57	70.83	0.42	3976.79	9.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.98	0.16	73.86	0.43	115.84	0.26
3.	असम	288.57	1.08	2188.59	12.89	2477.16	5.66
4.	बिहार	2113.66	7.89	3206.33	18.88	5319.99	12.15
5.	गोवा	7.51	0.03	47.54	0.28	55.05	0.13
6.	गुजरात	431.41	1.61	185.03	1.09	616.44	1.41
7.	हरियाणा	909.19	3.39	0.00	0.00	909.19	2.08
8.	हिमाचल प्रदेश	49.08	0.18	32.68	0.19	81.76	0.19
9.	जम्मू और कश्मीर	167.73	0.63	104.44	0.62	272.17	0.62
10.	कर्नाटक	469.52	1.75	898.36	5.29	1367.88	3.12
11.	केरल	170.98	0.64	223.07	1.31	394.05	0.90
12.	मध्य प्रदेश	2429.43	9.06	2917.23	17.18	5346.66	12.21
13.	महाराष्ट्र	276.73	1.03	1197.74	7.05	1474.47	3.37
14.	मणिपुर	0.00	0.00	159.56	0.94	159.56	0.36
15.	मेघालय	37.34	0.14	65.93	0.39	103.27	0.24
16.	मिजोराम	34.83	0.13	31.39	0.18	66.22	0.15
17.	नागालैंड	31.12	0.12	110.56	0.65	141.68	0.32
18.	उड़ीसा	1232.04	4.60	3222.20	18.97	4454.24	10.17
19.	पंजाब	2212.84	8.26	0.00	0.00	2212.84	5.05
20.	राजस्थान	139.68	0.52	0.00	0.00	139.68	0.32
21.	सिक्किम	14.99	0.06	0.00	0.00	14.99	0.03
22.	तमिलनाडु	2268.23	8.46	0.68	0.00	2268.91	5.18
23.	त्रिपुरा	161.73	0.60	93.57	0.55	255.30	0.58
24.	उत्तर प्रदेश	5479.90	20.43	218.95	1.30	5698.85	13.03
25.	पश्चिम बंगाल	3929.93	14.66	1933.27	11.39	5863.20	13.39
26.	अखिल भारत	26804.38	100.00	16981.81	100.00	43786.19	100.00

5.1.4 जोत क्षेत्र के आधार पर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि प्रमुख राज्य थे । आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि ऐसे राज्य हैं जहाँ धान मुख्यता सिंचित फसल के रूप में उगाया जाता है ।

5.2 धान का जोत क्षेत्र : अधिक पैदावार वाली किस्में और पारंपारिक किस्में

5.2.1 अधिक पैदावार तथा पारंपारिक किस्म के अन्तर्गत अनुमानित जोत क्षेत्र अनुलग्नक-II में दिए गए हैं तथा उनका सार तालिका संख्या-7 में दिया गया है ।

तालिका संख्या - 7

धान का जोत क्षेत्र : अधिक पैदावार वाली (एच.वाई.वी.) और पारंपारिक किस्में (टी.वी.)

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

(000 हेक्टेयर)

क्रम सं.	वर्ग	दर्शाया गया क्षेत्र		
		एच.वाई.वी.	टी.वी.	योग
1.	छोटे	14619.10(75.00) (43.25)	4873.98(25.00) (48.80)	19493.08(100.00) (44.52)
2.	मध्यम	9985.94(79.37) (29.55)	2595.13(20.63) (25.98)	12581.07(100.00) (28.73)
3.	बड़े	9193.54(78.50) (27.20)	2518.50(21.50) (25.22)	11712.04(100.00) (26.75)
4.	जोड़	33798.58(77.19) (100.00)	9987.61(22.81) (100.00)	43786.19(100.00) (100.00)

(कोष्टक में दर्शाए गए आँकड़े कॉलम / रो के जोड़ के प्रतिशत है)

5.2.2 ऐसा देखा गया है कि धान के कुल जोत क्षेत्र के 33798.58 हजार हेक्टेयर अथवा उसके 77.19 प्रतिशत क्षेत्र में अधिक पैदावार वाली किस्में बोई जाती है । पारंपारिक किस्में केवल 9987.61 हजार हेक्टेयर अथवा 22.81 प्रतिशत क्षेत्र में ही बोई जाती है । इससे यह पता चलता है कि कृषि मंत्रालय ने अधिक पैदावार वाली किस्मों की बढ़ोत्तरी के लिए काफी प्रयास किए हैं ।

5.2.3 अधिक पैदावार तथा पारंपरिक किस्म के अंतर्गत क्षेत्र का राज्य वार विवरण तालिका संख्या-8 में दिया गया है ।

तालिका संख्या – 8
अधिक पैदावार वाली (एच.वाइ.वी) तथा पारंपरिक किस्मों (टी.वी)
के अंतर्गत राज्य-वार जोत क्षेत्र का विवरण
(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)
(000 हेक्टेयर)

क्रम सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र				जोड़	
		एच.वाइ.वी		टी.वी		क्षेत्र	प्रतिशत
		क्षेत्र	प्रतिशत	क्षेत्र	प्रतिशत		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	आंध्र प्रदेश	3902.39	11.55	74.4	0.74	3976.79	9.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.2	0.00	114.64	1.15	115.84	0.26
3.	असम	1044.12	3.09	1433.04	14.35	2477.16	5.66
4.	बिहार	4571.38	13.53	748.61	7.50	5319.99	12.15
5.	गोवा	30.12	0.09	24.93	0.25	55.05	0.13
6.	गुजरात	213.16	0.63	403.28	4.04	616.44	1.41
7.	हरियाणा	861.05	2.55	48.14	0.48	909.19	2.08
8.	हिमाचल प्रदेश	12.53	0.04	69.23	0.69	81.76	0.19
9.	जम्मू और कश्मीर	235.12	0.70	37.05	0.37	272.17	0.62
10.	कर्नाटक	609.55	1.80	758.33	7.59	1367.88	3.12
11.	केरल	300	0.89	94.05	0.94	394.05	0.90
12.	मध्य प्रदेश	3430.98	10.15	1915.68	19.18	5346.66	12.21
13.	महाराष्ट्र	1404.19	4.15	70.28	0.70	1474.47	3.37
14.	मणिपुर	142.91	0.42	16.65	0.17	159.56	0.36
15.	मेघालय	32.11	0.10	71.16	0.71	103.27	0.24
16.	मिजोराम	0.00	0.00	66.22	0.66	66.22	0.15
17.	नागालैंड	100.8	0.30	40.88	0.41	141.68	0.32
18.	उड़ीसा	2985.75	8.83	1468.49	14.70	4454.24	10.17
19.	पंजाब	2208.86	6.54	3.98	0.04	2212.84	5.05
20.	राजस्थान	139.68	0.41	0.00	0.00	139.68	0.32
21.	सिक्किम	0.00	0.00	14.99	0.15	14.99	0.03
22.	तमिलनाडु	2261.24	6.69	7.67	0.08	2268.91	5.18
23.	त्रिपुरा	232.28	0.69	23.02	0.23	255.3	0.58
24.	उत्तर प्रदेश	4916.18	14.54	782.67	7.85	5698.85	13.03
25.	पश्चिम बंगाल	4162.98	12.31	1700.22	17.02	5863.2	13.39
26.	अखिल भारत	33798.58	100.00	9987.61	100.00	43786.19	100.00

5.2.4 अखिल भारतीय स्तर पर अधिक पैदावार वाली किस्में लगभग 77.19 प्रतिशत क्षेत्र में और शेष जोत क्षेत्र में पारंपारिक किस्में बोई गई । राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि जैसे राज्यों में 90 प्रतिशत से अधिक जोत क्षेत्र में अधिक पैदावार वाली (एच.वाइ.वी) किस्में बोई गई । जबकि अन्य राज्यों में ये किस्में 70 से 80 प्रतिशत जोत क्षेत्र में बोई जाती हैं ।

5.3 धान का उत्पादन : सिंचित / असिंचित :

5.3.1 सिंचित और असिंचित धान का अनुमानित उत्पादन अनुलग्नक-III में दिया गया है और उसका सारांश तालिका संख्या-9 में दिया गया है ।

तालिका संख्या - 9

धान का उत्पादन : सिंचित / असिंचित
(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं	वर्ग	दर्शाया गया क्षेत्र		
		सिंचित	असिंचित	जोड़
1.	छोटे	39123.89(75.20) (42.16)	12904.78(24.80) (43.79)	52028.67(100.00) (42.55)
2.	मध्यम	27789.83(75.78) (29.94)	8882.52(24.22) (30.14)	36672.35(100.00) (29.99)
3.	बड़े	25886.98(77.11) (27.90)	7682.29(22.89) (26.07)	33569.27(100.00) (27.46)
4.	अखिल भारत	92800.70(75.90) (100.00)	29469.59(24.10) (100.00)	122270.29(100.00) (100.00)

(कोष्टक में दर्शाए गए आँकड़े कॉलम / रो के जोड़ के प्रतिशत है)

5.3.2 तालिका संख्या-9 में दिए गए आँकड़े, यह दर्शाते हैं कि 122270.29 हजार टन के कुल अनुमानित उत्पादन में से छोटे वर्ग के किसानों का योगदान 52028.67 हजार टन अर्थात् 42.55 प्रतिशत है । इसमें से 39123.89 हजार टन अर्थात् 42.16 प्रतिशत उत्पादन सिंचित फसल के रूप में किया गया । इसी प्रकार मध्यम और बड़े वर्ग के किसानों का प्रतिशत क्रमशः 29.94 प्रतिशत और 27.90 प्रतिशत रहा ।

5.3.3 अनुमानित उत्पादन का राज्यवार विवरण तालिका संख्या-10 में दिया गया है ।

तालिका संख्या - 10

राज्य-वार धान के उत्पादन का विवरण : सिंचित / असिंचित

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	उत्पादन					
		सिंचित		असिंचित		जोड़	
		उत्पादन	प्रतिशत	उत्पादन	प्रतिशत	उत्पादन	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	आंध्र प्रदेश	16357.85	17.63	198.71	0.67	16556.56	13.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	72.46	0.08	92.6	0.31	165.06	0.13
3.	असम	900.8	0.97	4887.56	16.59	5788.36	4.73
4.	बिहार	4789.46	5.16	4484.85	15.22	9274.31	7.59
5.	गोवा	36.01	0.04	154.61	0.52	190.62	0.16
6.	गुजरात	964.43	1.04	303.13	1.03	1267.56	1.04
7.	हरियाणा	4073.39	4.39	0.00	0.00	4073.39	3.33
8.	हिमाचल प्रदेश	97.37	0.10	48.62	0.16	145.99	0.12
9.	जम्मू और कश्मीर	529.05	0.57	158.96	0.54	688.01	0.56
10.	कर्नाटक	2042.4	2.20	2108.16	7.15	4150.56	3.39
11.	केरल	527.4	0.57	540.32	1.83	1067.72	0.87
12.	मध्य प्रदेश	5013.97	5.40	3546.15	12.03	8560.12	7.00
13.	महाराष्ट्र	701.37	0.76	2491.87	8.46	3193.24	2.61
14.	मणिपुर	0.00	0.00	619.97	2.10	619.97	0.51
15.	मेघालय	104.72	0.11	139.83	0.47	244.55	0.20
16.	मिजोराम	110.46	0.12	75.54	0.26	186	0.15
17.	नागालैंड	80.92	0.09	212.33	0.72	293.25	0.24
18.	उड़ीसा	3960.23	4.27	4909.3	16.66	8869.53	7.25
19.	पंजाब	10920.03	11.77	0.00	0.00	10920.03	8.93
20.	राजस्थान	252.85	0.27	0.00	0.00	252.85	0.21
21.	सिक्किम	28.08	0.03	0.00	0.00	28.08	0.02
22.	तमिलनाडु	8233.19	8.87	2.17	0.01	8235.36	6.74
23.	त्रिपुरा	625.4	0.67	296.93	1.01	922.33	0.75
24.	उत्तर प्रदेश	16677.51	17.97	243.47	0.83	16920.98	13.84
25.	पश्चिम बंगाल	15701.35	16.92	3954.51	13.43	19655.86	16.09
26.	अखिल भारत	92800.7	100.00	29469.59	100.00	122270.3	100.00

5.3.4 धान उत्पादक महत्वपूर्ण राज्यों में पश्चिम बंगाल 16.09 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 13.84 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश 13.54 प्रतिशत, बिहार 7.59 प्रतिशत, उड़ीसा 7.25 प्रतिशत और मध्य प्रदेश 7.00 प्रतिशत प्रमुख थे । अन्य रूँध्यों का योगदान 34.72 प्रतिशत हैं ।

ऐसा भी देखा गया है कि पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे रूँध्यों में 98 प्रतिशत से अधिक उत्पादन सिंचित फसल के रूप में किया जाता है ।

5.4 धान का उत्पादन अधिक पैदावार वाली तथा पारंपारिक किस्में :

100.00.1 धान का अंशमानित उत्पादन अधिक पैदावार वाली (एच वाई वी) तथा पारंपारिक (टी वी) किस्मों का उल्लेख अंशमानक-IV में किया गया है तथा उसका सार्वजनिक संख्या-11 में दिया गया है ।

संख्या - 11

धान का उत्पादन : अधिक पैदावार वाली और पारंपारिक किस्में

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

(‘000 टन)

क्रम सं.	वर्ग	दर्शाया गया क्षेत्र		
		एच.वाई.वी.	टी.वी.	जोड़
1.	छोटे	43628.23(83.85) (41.70)	8400.44(16.15) (47.59)	52028.67(100.00) (42.55)
2.	मध्यम	31890.83(86.96) (30.48)	4781.52(13.04) (27.09)	36672.35(100.00) (29.99)
3.	बड़े	29101.02(86.69) (27.82)	4468.25(13.31) (25.32)	33569.27(100.00) (27.46)
4.	सभी वर्ग	104620.08(85.56) (100.00)	17650.21(14.44) (100.00)	122270.29(100.00) (100.00)

(कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कॉलम / रो के जोड़ के प्रतिशत हैं)

5.4.2 ऊपर किए गए उल्लेखनुसार छोटे वर्ग के किसानों का योगदान 42.55 प्रतिशत था और शेष उत्पादन अन्य वर्ग के किसानों द्वारा किया गया । ऐसा भी देखा गया कि छोटे वर्ग के किसानों द्वारा अधिक पैदावार वाली किस्मों का उत्पादन लगभग 83.85 प्रतिशत, मध्यम वर्ग द्वारा 86.96 प्रतिशत और बड़े किसानों द्वारा 84.69 प्रतिशत किया गया । उससे यह तथ्य उजागर होता है कि छोटे वर्ग के किसान अधिक पैदावार वाली किस्मों की धान पैदा करने तथा नई तकनीकों को अपनाने के मामले में किसी से पीछे नहीं थे ।

5.4.3 अधिक पैदावार वाली तथा पारंपारिक किस्मों की धान के अनुमानित उत्पादन का राज्यवार विवरण तालिका संख्या-12 में दिया गया है ।

तालिका संख्या – 12

**राज्य-वार धान के उत्पादन का ब्यौरा : अधिक पैदावार (एच.वाई.वी) और
पारंपारिक किस्में (टी.वी)**

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	उत्पादन					
		सिंचित		असिंचित		जोड़	
		उत्पादन	प्रतिशत	उत्पादन	प्रतिशत	उत्पादन	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	आंध्र प्रदेश	16389.57	15.67	166.97	0.95	16556.56	13.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.79	0.00	162.28	0.92	165.07	0.14
3.	असम	3067.84	2.93	2720.52	15.41	5788.36	4.73
4.	बिहार	8287.98	7.92	986.34	5.59	9274.32	7.59
5.	गोवा	111.93	0.11	78.69	0.45	190.62	0.16
6.	गुजरात	495.23	0.47	772.33	4.38	1267.56	1.04
7.	हरियाणा	3974.09	3.80	99.28	0.56	4073.37	3.33
8.	हिमाचल प्रदेश	25.56	0.02	120.43	0.68	145.99	0.12
9.	जम्मू और कश्मीर	621.2	0.59	66.82	0.38	688.02	0.56
10.	कर्नाटक	2173.03	2.08	1977.52	11.20	4150.55	3.39
11.	केरल	882.67	0.84	185.06	1.05	1067.73	0.87
12.	मध्य प्रदेश	6304.74	6.03	2255.4	12.78	8560.14	7.00
13.	महाराष्ट्र	3121.52	2.98	71.72	0.41	3193.24	2.61
14.	मणिपुर	569.57	0.54	50.39	0.29	619.96	0.51
15.	मेघालय	99.36	0.09	145.2	0.82	244.56	0.20
16.	मिजोराम	0.00	0.00	186	1.05	186	0.15
17.	नागालैंड	217.44	0.21	75.81	0.43	293.25	0.24
18.	उड़ीसा	6407.22	6.12	2462.29	13.95	8869.51	7.25
19.	पंजाब	10909.55	10.43	10.48	0.06	10920.03	8.93
20.	राजस्थान	252.85	0.24	0.00	0.00	252.85	0.21
21.	सिक्किम	1.2	0.00	26.88	0.15	28.08	0.02
22.	तमिलनाडु	8224.4	7.86	10.96	0.06	8235.36	6.74
23.	त्रिपुरा	864.38	0.83	57.95	0.33	922.33	0.75
24.	उत्तर प्रदेश	15191.26	14.53	1729.73	9.80	16920.99	13.84
25.	पश्चिम बंगाल	16424.7	15.71	3231.16	18.30	19655.86	16.08
26.	अखिल भारत	104620.1	100.00	17650.21	100.00	122270.3	100.00

5.4.4 धान के 122270.29 हजार टन के कुल उत्पादन में पश्चिम बंगाल का योगदान 19655.86 हजार टन (16.08 प्रतिशत); इसके पश्चात् उत्तर प्रदेश 16920.98 हजार टन (13.84 प्रतिशत); आंध्र प्रदेश 16556.56 हजार टन (13.54 प्रतिशत); पंजाब 10920.03 हजार टन (8.93 प्रतिशत); बिहार 9274.31 हजार टन (7.59 प्रतिशत); उड़ीसा 8869.53 हजार टन (7.25 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश 8560.12 हजार टन (7.00 प्रतिशत) रहा । इन राज्यों का कुल योगदान 74.23 प्रतिशत था और शेष राज्यों का प्रतिशत 25.77 रहा । अधिक पैदावार वाली किस्मों का प्रतिशत राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में कुल फसल के 95 प्रतिशत से भी अधिक था ।

अध्याय – VI

किसान परिवार द्वारा धान को रोककर रखना

6.1 धान निम्नलिखित उपयोग के लिए रखी जाती है:-

- i) किसान परिवार में खपत के लिए,
- ii) खेतों में लगे स्थायी और अस्थायी श्रमिकों को खपत के लिए,
- iii) बीज के लिए,
- iv) जानवरों को खिलाने के लिए,
- v) वस्तु-विनिमय (जो अब लगभग लुप्तप्राय हो गए हैं) के लिए, और
- vi) विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वस्तु और नकद रुप में भुगतानों के लिए ।

6.2 किसान परिवारों द्वारा खपत के लिए :

6.2.1 किसान परिवारों द्वारा खपत के लिए धान की कुल मात्रा अनुमानित 31883.84 1/2जार टन थी । यह कुल उत्पादन का लगभग 26.08 प्रतिशत रही । किसान परिवारों द्वारा खपत के लिए रखी गई धान का राज्यवार तथा वर्ग वार अनुमान वर्ष 1996-97 से 1998-99 के औसत अनुलग्नक-V में दिए गए हैं। अनुलग्नक-V की संपूर्ण सारांश तालिका संख्या-13 में नीचे दिया गया हैं ।

तालिका संख्या – 13

किसान परिवारों द्वारा खपत के लिए धान संरक्षित रखा जाना

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	वर्ग	कुल उत्पादन	रखी गई मात्रा	उत्पादन का प्रतिशत
1.	छोटे	52028.67	17018.20	32.71
2.	मध्यम	36672.35	9142.23	24.93
3.	बड़े	33569.27	5723.38	17.05
4.	सभी वर्ग	122270.29	31883.84	26.08

6.2.2 किसान परिवारों द्वारा खपत के लिए रखी गई धान की कुल मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा तालिका संख्या-14 में दिया गया है ।

तालिका संख्या – 14

किसान परिवारों द्वारा खपत के लिए रखी गई धान की कुल मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा
(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	रखी गई मात्रा	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	16556.56	2630.09	15.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	165.06	74.29	45.01
3.	असम	5788.36	1742.29	30.10
4.	बिहार	9274.31	4042.33	43.59
5.	गोवा	190.62	93.29	48.94
6.	गुजरात	1267.56	202.94	16.01
7.	हरियाणा	4073.39	139.08	3.41
8.	हिमाचल प्रदेश	145.99	116.61	79.88
9.	जम्मू और कश्मीर	688.01	280.93	40.83
10.	कर्नाटक	4150.56	776.10	18.70
11.	केरल	1067.72	305.05	28.57
12.	मध्य प्रदेश	8560.12	2279.21	26.63
13.	महाराष्ट्र	3193.24	2056.57	64.40
14.	मणिपुर	619.97	290.50	46.86
15.	मेघालय	244.55	104.33	42.66
16.	मिजोराम	186.00	84.02	45.17
17.	नागालैंड	293.25	80.20	27.35
18.	उड़ीसा	8869.53	2839.00	32.01
19.	पंजाब	10920.03	68.07	0.62
20.	राजस्थान	252.85	7.02	2.78
21.	सिक्किम	28.08	9.17	32.66
22.	तमिलनाडु	8235.36	2845.06	34.55
23.	त्रिपुरा	922.33	437.59	47.44
24.	उत्तर प्रदेश	16920.98	5865.69	34.67
25.	पश्चिम बंगाल	19655.86	4514.41	22.97
26.	अखिल भारत	122270.29	31883.83	26.08

ऐसा देखा गया है कि किसान परिवारों द्वारा खपत के लिए रखी गई धान का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक (79.88 प्रतिशत), इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र (64.40 प्रतिशत), गोवा (48.94 प्रतिशत) और मणिपुर (46.86 प्रतिशत) आदि का प्रतिशत रहा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में चावल बुनियादी (प्रमुख) खाद्यान्न नहीं था और इसीलिए किसान परिवारों द्वारा इसकी खपत के लिए बहुत ही कम चावल रखा गया।

6.3 स्थायी और अस्थायी श्रमिकों द्वारा खपत के लिए धान का रखा जाना

6.3.1 किसान परिवारों द्वारा खेत पर कार्य करने के लिए लगाए गए स्थायी और अस्थायी श्रमिकों द्वारा खपत के लिए रखी गई अनुमानित मात्रा के राज्यवार एवं वर्ग-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-VI और VII में दिए गए हैं। वर्गवार विवरण के संपूर्ण सारांश तालिका संख्या-15 में निम्नानुसार दिए गए हैं :

तालिका संख्या – 15

खेतों पर कार्य करने के लिए किसान परिवारों द्वारा लगाए गए स्थायी और अस्थायी श्रमिकों द्वारा खपत के लिए रखी गई धान

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	वर्ग	कुल उत्पादन	खपत के लिए रखी गई मात्रा			
			स्थायी श्रमिक	प्रतिशत	अस्थायी श्रमिक	प्रतिशत
1.	छोटे	52020.67	55.04	0.11	988.01	1.90
2.	मध्यम	36672.35	75.54	0.21	837.70	2.28
3.	बड़े	32569.27	78.43	0.23	680.75	2.03
4.	अखिल भारत	122270.29	209.01	0.17	2506.46	2.05

स्थायी और अस्थायी श्रमिकों द्वारा खपत के लिए रखी गई अनुमानित मात्रा की गणना उत्पादन के क्रमशः 0.17 प्रतिशत और 2.05 प्रतिशत के बराबर की गई।

6.3.2 खेत पर काम करने वाले अस्थायी और स्थायी श्रमिकों के खपत के लिए सभी वर्ग के किसानों द्वारा रखी गई धान के राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक-VI एवं VII में दिए गए हैं तथा इसका सारांश तालिका संख्या-16 में दिया गया है।

तालिका संख्या – 16

खेत पर काम करने वाले स्थायी और अस्थायी श्रमिकों द्वारा खपत के लिए किसान परिवारों (सभी वर्ग) द्वारा राज्यवार रखी गई धान के विवरण

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	खपत के लिए रखी गई धान की मात्रा				जोड़	
			स्थायी श्रमिक		अस्थायी श्रमिक			
			मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	16556.56	133.55	0.81	258.15	1.56	391.70	2.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	165.06	1.40	0.85	2.07	1.25	3.47	2.10
3.	असम	5788.36	25.69	0.44	67.40	1.16	93.09	1.61
4.	बिहार	9274.31	0.05	0.001	135.10	1.46	135.15	1.46
5.	गोवा	190.62	0.00	0.00	0.03	0.02	0.03	0.02
6.	गुजरात	1267.56	0.00	0.00	11.38	0.90	11.38	0.90
7.	हरियाणा	4073.39	3.48	0.09	13.60	0.33	17.08	0.42
8.	हिमाचल प्रदेश	145.99	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
9.	जम्मू और कश्मीर	688.01	0.00	0.00	4.95	0.72	4.95	0.72
10.	कर्नाटक	4150.56	1.06	0.03	21.19	0.51	22.25	0.54
11.	केरल	1067.72	0.00	0.00	22.47	2.10	22.47	2.10
12.	मध्य प्रदेश	8560.12	0.29	0.003	195.29	2.28	195.58	2.28
13.	महाराष्ट्र	3193.24	0.80	0.03	42.82	1.34	43.62	1.37
14.	मणिपुर	619.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	244.55	2.63	1.08	7.77	3.18	10.40	4.25
16.	मिजोराम	186	1.66	0.89	2.45	1.32	4.11	2.21
17.	नागालैंड	293.25	8.48	2.89	10.70	3.65	19.18	6.54
18.	उड़ीसा	8869.53	2.09	0.02	156.36	1.76	158.45	1.79
19.	पंजाब	10920.03	7.98	0.07	52.44	0.48	60.42	0.55
20.	राजस्थान	252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	28.08	0.00	0.00	0.75	2.67	0.75	2.67
22.	तमिलनाडु	8235.36	10.41	0.13	112.25	1.36	122.66	1.49
23.	त्रिपुरा	922.33	1.34	0.15	15.86	1.72	17.20	1.86
24.	उत्तर प्रदेश	16920.98	7.61	0.04	415.42	2.46	423.03	2.50
25.	पश्चिम बंगाल	19655.86	0.49	0.00	958.00	4.87	958.49	4.88
26.	अखिल भारत	122270.3	209.01	0.17	2506.46	2.05	2715.47	2.22

ऐसा पाया गया कि स्थायी और अस्थायी श्रमिकों के खपत के लिए रखी गई धान की मात्रा राजस्थान में बहुत ही कम थी, जबकि अन्य राज्यों में यह 0.01 प्रतिशत से लेकर 6.80 प्रतिशत तक रही ।

6.4 फार्म स्तर (किसान परिवारों तथा खेत पर काम करने वाले स्थायी और अस्थायी श्रमिकों के खपत के लिए) पर रखी गई कुल धान

6.4.1 फार्म स्तर पर खपत के लिए रखी गई अनुमानित कुल धान के राज्यवार तथा वर्गवार विवरण अनुलग्नक-VI में दिए गए हैं * वर्गवार ब्यौरों के साथ समग्र सार तालिका संख्या-17 में दिया गया है ।

तालिका संख्या – 17

फार्म स्तर पर खपत के लिए रखी गई कुल धान

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

(‘000 टन)

क्रम सं.	वर्ग	कुल उत्पादन	फार्म स्तर पर खपत के लिए रखी गई धान की मात्रा	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1.	छोटे	52028.67	18061.27	34.71
2.	मध्यम	36672.35	10055.47	27.42
3.	बड़े	33569.27	6482.55	19.31
4.	अखिल भारत	122270.29	34599.27	28.30

इस प्रकार फार्म स्तर पर खपत के लिए रखी गई कुल धान का अनुमान 28.30 प्रतिशत लगाया गया ।

6.4.2 फार्म स्तर पर सभी वर्गों के किसानों द्वारा सामूहिक रूप से खपत के लिए रखी गई कुल धान के राज्यवार विवरण तालिका संख्या-18 में दिए गए हैं ।

तालिका संख्या – 18

फार्म स्तर पर खपत के लिए रखी गई धान के राज्यवार विवरण

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	फार्म स्तर पर खपत के लिए रखी गई धान	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	16556.56	3021.79	18.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	165.06	77.76	47.10
3.	असम	5788.36	1835.38	31.71
4.	बिहार	9274.31	4177.48	45.04
5.	गोवा	190.62	93.32	48.96
6.	गुजरात	1267.56	214.32	16.91
7.	हरियाणा	4073.39	156.16	3.83
8.	हिमाचल प्रदेश	145.99	116.62	79.88
9.	जम्मू और कश्मीर	688.01	285.88	41.55
10.	कर्नाटक	4150.56	798.35	19.23
11.	केरल	1067.72	327.52	30.67
12.	मध्य प्रदेश	8560.12	2474.79	28.91
13.	महाराष्ट्र	3193.24	2100.19	65.77
14.	मणिपुर	619.97	290.50	46.86
15.	मेघालय	244.55	114.73	46.91
16.	मिजोराम	186.00	88.13	47.38
17.	नागालैंड	293.25	99.38	33.89
18.	उड़ीसा	8869.53	2997.45	33.79
19.	पंजाब	10920.03	128.49	1.18
20.	राजस्थान	252.85	7.02	2.78
21.	सिक्किम	28.08	9.92	35.33
22.	तमिलनाडु	8235.36	2967.72	36.04
23.	त्रिपुरा	922.33	454.79	49.31
24.	उत्तर प्रदेश	16920.98	6288.72	37.17
25.	पश्चिम बंगाल	19655.86	5472.90	27.84
26.	अखिल भारत	122270.29	34599.30	28.30

हिमाचल प्रदेश में फार्म स्तर पर खपत के लिए रखी गई धान का 79.88 प्रतिशत था और यह देश में सर्वाधिक था । इस मद से न्यूनतम आँकड़ा पंजाब में 1.18 प्रतिशत रिपोर्ट किया गया । राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है :

10 प्रतिशत तक	10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक	50 प्रतिशत और उससे अधिक
हरियाणा (3.83)	त्रिपुरा (49.31)	हिमाचल प्रदेश (79.88)
राजस्थान (2.78)	गोवा (48.96)	महाराष्ट्र (66.77)
पंजाब (1.18)	मणिपुर (46.86)	
	मिजोराम (47.38)	
	अरुणाचल प्रदेश (47.10)	
	मेघालय (46.91)	
	बिहार (45.04)	
	जम्मू और कश्मीर (41.55)	
	उत्तर प्रदेश (37.17)	
	तमिलनाडु (36.04)	
	सिक्किम (35.29)	
	नागालैंड (33.89)	
	उड़ीसा (33.79)	
	असम (31.71)	
	केरल (30.67)	
	मध्य प्रदेश (28.91)	
	पश्चिम बंगाल (27.84)	
	कर्नाटक (19.24)	
	आंध्र प्रदेश (18.25)	
	गुजरात (16.91)	

6.5 खपत के लिए धान की खरीद :

6.5.1 किसान परिवार द्वारा धान दो कारणों से खरीदी जाती है । उत्पादन पर्याप्त न होने या धन की जरूरत होने पर कृषि उत्पाद कटाई के तुरंत बाद बेच दिया गया हो । किसान को अपनी घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए बाद में उसे खरीदना पड़ता है । यह किसान द्वारा खपत के लिए रखे जाने वाली धान की कुल मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण घटक है । खपत के लिए धान की अनुमानित खरीद का राज्यवार और श्रेणी-वार ब्यौरा अनुलग्नक-IX में दिया गया है । वर्गवार ब्यौरे सहित संपूर्ण सार नीचे तालिका संख्या-19 में दिया गया है :-

तालिका संख्या – 19

खपत के लिए धान की खरीद

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)


('000 टन)

क्रम सं.	वर्ग	कुल उत्पादन	खपत के लिए खरीदी गई मात्रा	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1.	छोटे	52028.67	4892.08	9.40
2.	मध्यम	36672.35	1208.04	3.29
3.	बड़े	33569.27	472.52	1.41
4.	सभी वर्ग	122270.29	6572.64	5.38

यह स्पष्ट है कि छोटे वर्ग के किसान मध्यम और बड़े की तुलना में ज्यादातर धान की खरीद पर ही निर्भर रहते हैं ।

6.5.2 सभी वर्गों के किसानों द्वारा सामूहिक खपत के लिए धान की कुल खरीद के राज्यवार ब्यौरे तालिका संख्या-20 में दिए गए हैं ।

फार्म स्तर पर खपत के लिए किसान परिवारों द्वारा रखी गई धान (मात्रा '000 टन में और कुल उत्पादन का प्रतिशत)



तालिका संख्या – 20

धान की खरीद के राज्य-वार ब्यौरे
(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	खरीदी गई धान की कुल मात्रा	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	16556.56	632.75	3.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	165.06	1.01	0.61
3.	असम	5788.36	142.02	2.45
4.	बिहार	9274.31	521.08	5.62
5.	गोवा	190.62	26.54	13.92
6.	गुजरात	1267.56	1.36	0.11
7.	हरियाणा	4073.39	3.22	0.08
8.	हिमाचल प्रदेश	145.99	63.88	43.76
9.	जम्मू और कश्मीर	688.01	52.14	7.58
10.	कर्नाटक	4150.56	249.86	6.02
11.	केरल	1067.72	72.82	6.82
12.	मध्य प्रदेश	8560.12	307.06	3.59
13.	महाराष्ट्र	3193.24	1245.48	39.00
14.	मणिपुर	619.97	18.75	3.02
15.	मेघालय	244.55	21.99	8.99
16.	मिजोराम	186.00	0.00	0.00
17.	नागालैंड	293.25	3.93	1.34
18.	उड़ीसा	8869.53	1237.44	13.95
19.	पंजाब	10920.03	3.77	0.03
20.	राजस्थान	252.85	0.00	0.00
21.	सिक्किम	28.08	0.19	0.68
22.	तमिलनाडु	8235.36	1267.55	15.39
23.	त्रिपुरा	922.33	55.30	6.00
24.	उत्तर प्रदेश	16920.98	554.64	3.28
25.	पश्चिम बंगाल	19655.86	89.86	0.46
26.	अखिल भारत	122270.29	6572.64	5.38

यह देख गया है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मिजोराम आदि जैसे राज्यों में खपत के लिए धान की खरीद न के बराबर थी, जबकि हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में काफी मात्रा में धान की खरीद की गई ।

6.6 खपत के लिए धान की कुल आवश्यकता (फार्म स्तर पर खपत के लिए धान का रखा जाना और उसकी खरीद)

6.6.1 धान की कुल आवश्यकता के राज्यवार तथा वर्गवार विवरण अनुलग्नक-X में दिए गए हैं । वर्गवार ब्यौरों के साथ समग्र सार तालिका संख्या-21 में दिए गए हैं ।

तालिका संख्या – 21

खपत के लिए धान की कुल आवश्यकता

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	वर्ग	कुल उत्पादन	खपत के लिए अपेक्षित कुल धान	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1.	छोटे	52020.67	22953.35	44.12
2.	मध्यम	33672.35	11263.51	30.71
3.	बड़े	33569.27	6955.09	20.72
4.	अखिल भारत	122270.29	41171.95	33.67

अखिल भारतीय आधार स्तर पर खपत के लिए धान की कुल आवश्यकता का आकलन 33.67 प्रतिशत किया गया । छोटे वर्ग के किसानों की आवश्यकता सर्वाधिक 44.12 प्रतिशत, इसके बाद मध्यम वर्ग के किसानों की 30.71 प्रतिशत और बड़े वर्ग के किसानों की 20.72 प्रतिशत रही ।

6.6.2 सभी वर्ग के किसानों द्वारा सामूहिक खपत के धान की कुल अनुमानित मात्रा के राज्य-वार विवरण नीचे तालिका संख्या-22 में दिए गए हैं ।

तालिका संख्या – 22

राज्य वार धान की कुल आवश्यकता

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	कुल आवश्यकता	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	16556.56	3654.54	22.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	165.06	78.77	47.72
3.	असम	5788.36	1977.40	34.16
4.	बिहार	9274.31	4698.56	50.66

5.	गोवा	190.62	119.86	62.88
6.	गुजरात	1267.56	215.68	17.02
7.	हरियाणा	4073.39	159.38	3.91
8.	हिमाचल प्रदेश	145.99	180.50	123.64
9.	जम्मू और कश्मीर	688.01	338.02	49.13
10.	कर्नाटक	4150.56	1048.21	25.25
11.	केरल	1067.72	400.34	37.49
12.	मध्य प्रदेश	8560.12	2781.85	32.50
13.	महाराष्ट्र	3193.24	3345.67	104.77
14.	मणिपुर	619.97	309.25	49.88
15.	मेघालय	244.55	136.72	55.91
16.	मिजोराम	186.00	88.13	47.38
17.	नागालैंड	293.25	103.31	35.23
18.	उड़ीसा	8869.53	4234.89	47.75
19.	पंजाब	10920.03	132.26	1.21
20.	राजस्थान	252.85	7.02	2.78
21.	सिक्किम	28.08	10.11	36.00
22.	तमिलनाडु	8235.36	4235.27	51.43
23.	त्रिपुरा	922.33	510.09	55.31
24.	उत्तर प्रदेश	16920.98	6843.36	40.44
25.	पश्चिम बंगाल	19655.86	5562.76	28.30
26.	अखिल भारत	122270.29	41171.95	33.67

यह देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में काफी कमी थी और ऐसे राज्य, जिनमें इनकी अपेक्षा कम थी वे बिहार, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्य थे ।

37

6.7 बीज के उद्देश्य से धान का रखा जाना :

6.7.1 बीज के उद्देश्य से रखी गई अनुमानित धान के राज्य-वार तथा वर्ग-वार विवरण अनुलग्नक-XI और अनुलग्नक-XIक में दिए गए हैं । अखिल भारतीय स्तर पर वर्ग-वार विवरणों का सार नीचे तालिका संख्या-23 में दिया गया है ।

तालिका संख्या – 23

बीज के उद्देश्य से धान का रखा जाना

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	वर्ग	कुल उत्पादन	बीज के लिए रखी गई धान की मात्रा	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1.	छोटे	52020.67	904.48	1.74
2.	मध्यम	36672.35	643.63	1.76
3.	बड़े	33569.27	655.75	1.95
4.	अखिल भारत	122270.29	2203.86	1.80

यह देखा गया है कि बीज के उद्देश्य से रखी जाने वाली धान का औसत प्रतिशत 1.80 था ।

6.7.2 सभी वर्गों के किसानों द्वारा सामूहिक रूप से बीज के लिए रखी जाने वाली कुल धान के राज्य-वार विवरण नीचे तालिका संख्या-24 में दिए गए हैं :

38

तालिका संख्या – 24

बीज के लिए धान का रखा जाना : राज्य-वार विवरण

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	बीज के लिए रखी गई मात्रा	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	16556.56	84.63	0.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	165.06	2.27	1.38
3.	असम	5788.36	56.37	0.97
4.	बिहार	9274.31	319.82	3.45
5.	गोवा	190.62	6.98	3.66
6.	गुजरात	1267.56	4.29	0.34
7.	हरियाणा	4073.39	8.31	0.20
8.	हिमाचल प्रदेश	145.99	8.09	5.54
9.	जम्मू और कश्मीर	688.01	12.40	1.80
10.	कर्नाटक	4150.56	73.50	1.77
11.	केरल	1067.72	36.05	3.38
12.	मध्य प्रदेश	8560.12	295.12	3.45

13.	महाराष्ट्र	3193.24	135.03	4.23
14.	मणिपुर	619.97	16.52	2.66
15.	मेघालय	244.55	3.37	1.38
16.	मिजोराम	186.00	2.35	1.26
17.	नागालैंड	293.25	7.20	2.46
18.	उड़ीसा	8869.53	330.05	3.72
19.	पंजाब	10920.03	56.19	0.51
20.	राजस्थान	252.85	13.58	5.37
21.	सिक्किम	28.08	0.53	1.89
22.	तमिलनाडु	8235.36	196.05	2.38
23.	त्रिपुरा	922.33	20.17	2.19
24.	उत्तर प्रदेश	16920.98	325.54	1.92
25.	पश्चिम बंगाल	19655.86	189.45	0.96
26.	अखिल भारत	122270.29	2203.86	1.80

39

6.7.3 सिंचित और असिंचित फसलों के रूप में बीज के लिए रखी जाने वाली अनुमानित धान के राज्य-वार और वर्ग-वार विवरण अनुलग्नक-XI में दर्शाए गए हैं । इस अनुलग्नक के सार नीचे तालिका संख्या-25 में दिए गए हैं :

तालिका संख्या - 25

बीज के लिए धान का रखा जाना : सिंचित और असिंचित फसल के रूप में

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	फसल	कुल उत्पादन	बीज के लिए रखा जाना	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1.	सिंचित	92800.70	1398.52	1.51
2.	असिंचित	29469.59	805.34	2.73
3.	जोड़	122270.29	2203.86	1.80

बीज के लिए कुल उत्पादन की औसतन 1.80 प्रतिशत धान रखी गई । असिंचित फसल के रूप में रखी जाने वाली धान का प्रतिशत सिंचित फसल की तुलना में अधिक पाया गया । उत्पादकता और उत्पादन का उच्च स्तर इसके परिणामस्वरूप बढ़ा है ।

6.8 जानवरों को खिलाने के लिए धान का रखा जाना :

6.8.1 धान का उपयोग जानवरों को खिलाने के रूप में सामान्यतः नहीं किया जाता था । परन्तु कुछ राज्यों में इसका उपयोग दुधारु जानवरों, साँड और सूअर प्रजाति, पोल्ट्री आदि को खिलाने के लिए किया जाता है । जानवरों को खिलाने के लिए रखी जाने वाली अनुमानित धान के राज्य वार और वर्ग वार विवरण अनुलग्नक-XII में दिए गए हैं । तालिका संख्या-26 में अखिल भारतीय स्तर पर जानवरों को खिलाने के लिए रखी जाने वाली धान के वर्ग-वार विवरण दिए गए हैं ।

तालिका संख्या – 26

जानवरों को खिलाने के लिए धान का रखा जाना

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	वर्ग	कुल उत्पादन	जानवरों को खिलाने के लिए रखी गई धान	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1.	छोटे	52020.67	101.74	0.20
2.	मध्यम	36672.35	63.26	0.17
3.	बड़े	33569.27	51.73	0.15
4.	अखिल भारत	122270.29	216.73	0.18

6.8.2 जानवरों को खिलाने के लिए रखी जाने वाली कुल धान के राज्य-वार विवरण नीचे तालिका संख्या-27 में दिए गए हैं :

तालिका संख्या – 27

जानवरों को खिलाने के लिए धान का रखा जाना : राज्य-वार विवरण

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	जानवरों को खिलाने के लिए रखी गई धान	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आंध्र प्रदेश	16556.56	0.07	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	165.06	0.05	0.03
3.	असम	5788.36	68.39	1.18
4.	बिहार	9274.31	1.19	0.01
5.	गोवा	190.62	0.31	0.16
6.	गुजरात	1267.56	0.37	0.03

7.	हरियाणा	4073.39	0.44	0.01
8.	हिमाचल प्रदेश	145.99	0.02	0.01
9.	जम्मू और कश्मीर	688.01	4.16	0.60
10.	कर्नाटक	4150.56	21.60	0.52
11.	केरल	1067.72	0.30	0.03
12.	मध्य प्रदेश	8560.12	0.63	0.01

41

1.	2.	3.	4.	5.
13.	महाराष्ट्र	3193.24	4.96	0.16
14.	मणिपुर	619.97	0.30	0.05
15.	मेघालय	244.55	0.00	0.00
16.	मिजोराम	186.00	0.67	0.36
17.	नागालैण्ड	293.25	7.10	2.42
18.	उड़ीसा	8869.53	0.75	0.01
19.	पंजाब	10920.03	23.71	0.22
20.	राजस्थान	252.85	0.17	0.07
21.	सिक्किम	28.08	0.02	0.07
22.	तमिलनाडु	8235.36	2.64	0.03
23.	त्रिपुरा	922.33	1.47	0.16
24.	उत्तर प्रदेश	16920.98	42.73	0.25
25.	पश्चिम बंगाल	19655.86	34.68	0.18
26.	अखिल भारत	122270.29	216.73	0.18

जानवरों को खिलाने के लिए धान को रखने की रिपोर्ट मुख्यतः नगालैण्ड, असम, जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक जैसे राज्यों से प्राप्त हुई है । अखिल भारतीय स्तर पर जानवरों को खिलाने के लिए धान के कुल उत्पादन की केवल 0.18 प्रतिशत धान ही रखी गई ।

6.9 वस्तु-विनिमय के लिए धान का सदुपयोग :

6.9.1 अतीत में वस्तु-विनिमय की परंपरा काफी प्रचलित थी । परन्तु आधुनिकीकरण के परिणाम-स्वरूप कुछ समय पश्चात् वस्तु-विनिमय की परंपरा लगभग समाप्त हो गई ।

6.10 स्थायी श्रमिकों को उनकी मजदूरी के बदले भुगतान के रूप में धान का सदुपयोग : नकद और वस्तु रूप में

6.10.1 विभिन्न कार्यकलापों के लिए तथा खेत में कार्य करने के लिए स्थायी श्रमिक नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें नकद और वस्तु दोनों रूपों में भुगतान किया जाता है । इसके लिए धान के संभावित सदुपयोग के वर्ग-वार विवरण अनुलग्नक-XIII, XIV और XV में दिए गए हैं और सभी वर्गों के किसानों का सामूहिक जोड़ अनुलग्नक-XVI में दिया गया है । तालिका संख्या-28 में वर्ग-वार व्यौरों के साथ इसका संपूर्ण सारांश दिया गया है ।

तालिका संख्या – 28

स्थायी श्रमिकों को नकद और वस्तु रूप में भुगतान करने के लिए धान का सदुपयोग
(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	वर्ग	कुल उत्पादन	नकद और वस्तु रूप में भुगतान हेतु सदुपयोग (*)	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1.	छोटे	52020.67	589.52	1.13
2.	मध्यम	36672.35	565.43	1.54
3.	बड़े	33569.27	724.08	2.16
4.	अखिल भारत	122270.29	1879.03	1.54

(*मद में पिछले तथा चालू दोनों वर्षों का सदुपयोग शामिल है)

इस प्रकार स्थायी श्रमिकों को नकद तथा वस्तु रूप में भुगतान के लिए उपयोग में लाई गई धान की मात्रा उसके कुल उत्पादन की लगभग 1.54 प्रतिशत रही ।

6.10.2 सभी वर्ग के किसानों द्वारा उपयोग की गई धान के राज्य-वार विवरण तालिका संख्या-29 में दिए गए हैं :

तालिका संख्या – 29

स्थायी श्रमिकों को नकद और वस्तु रूप में भुगतान के लिए उपयुक्त धान के राज्य-वार विवरण

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	स्थायी श्रमिकों को नकद और वस्तु रूप में भुगतान के लिए धान का सदुपयोग	
			मात्रा	कुल उत्पादन का प्रतिशत

1.	2.	3.	4.	5.
1.	आंध्र प्रदेश	16556.56	760.25	4.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	165.06	0.23	0.14
3.	असम	5788.36	149.88	2.59
4.	बिहार	9274.31	0.00	0.00
5.	गोवा	190.62	0.00	0.00
6.	गुजरात	1267.56	49.75	3.92
7.	हरियाणा	4073.39	46.63	1.14
8.	हिमाचल प्रदेश	145.99	0.00	0.00

43

1.	2.	3.	4.	5.
9.	जम्मू और कश्मीर	688.01	1.14	0.17
10.	कर्नाटक	4150.56	270.06	6.51
11.	केरल	1067.72	0.99	0.09
12.	मध्य प्रदेश	8560.12	217.06	2.54
13.	महाराष्ट्र	3193.24	5.84	0.18
14.	मणिपुर	619.97	0.00	0.00
15.	मेघालय	244.55	8.55	3.50
16.	मिजोराम	186.00	12.53	6.74
17.	नागालैंड	293.25	56.75	19.35
18.	उड़ीसा	8869.53	36.64	0.41
19.	पंजाब	10920.03	116.45	1.07
20.	राजस्थान	252.85	0.00	0.00
21.	सिक्किम	28.08	0.82	2.92
22.	तमिलनाडु	8235.36	114.57	1.39
23.	त्रिपुरा	922.33	22.57	2.45
24.	उत्तर प्रदेश	16920.98	8.32	0.05
25.	पश्चिम बंगाल	19655.86	0.00	0.00
26.	अखिल भारत	122270.29	1879.03	1.54

यह देखा गया है कि इस मद में उपयोग में लाई गई धान का प्रतिशत कुल उत्पादन के 5 प्रतिशत से कम रहा है । यह प्रतिशत मिजोराम में 6.74 प्रतिशत, कर्नाटक में 6.51 प्रतिशत और नागालैण्ड में 19.35 प्रतिशत रहा ।

6.11 चालू वर्ष अथवा पिछले वर्ष की फसल के उत्पादन से विभिन्न उद्देश्यों के लिए नकद और वस्तु रुप में भुगतान के लिए धान का सदुपयोग

किसानों को निम्नलिखित के लिए नकद और वस्तु रुप में भुगतान करना पड़ता है :

- खेत पर काम करने वाले अस्थायी श्रमिकों को;
- खेत में किराए पर लगाई गई मशीनरी और उपस्कर;
- ग्रामीण कारीगरों को परम्परा अनुसार भुगतान के लिए;
- भू-स्वामियों को उत्पाद के अंश के रूप में;
- ऋणों की वापसी के लिए;

44

- भू-राजस्व के रूप में;
- सिंचाई तथा लागू अन्य मदों के लिए;
- अन्य विविध भुगतानों के लिए ।

6.11.1 चालू वर्ष की फसल से इन मदों पर नकद भुगतान हेतु धान के सदुपयोग संबंधी वर्गवार विवरण अनुलग्नक-XVII, XVIII और XIX में दिए गए हैं और सभी वर्गों का जोड़ अनुलग्नक-XX में दिया गया है । इन अनुलग्नकों का सारांश तालिका संख्या-30 में दिया गया है ।

तालिका संख्या - 30

चालू वर्ष की फसल की बिक्री आय से नकद भुगतान के लिए धान का सदुपयोग

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं	मद	(वर्ग)			बेची गई कुल मात्रा
		छोटे	मध्यम	बड़े	
		बेची गई मात्रा	बेची गई मात्रा	बेची गई मात्रा	
1.	अस्थायी खेतिहर मजदूर (श्रमिक)	2456.17(33.17) (24.09)	3387.67(45.74) (39.08)	1561.83(21.09) (24.67)	7405.67(100.00) (29.39)
2.	कृषि मशीनरी एवं उपस्कर	792.89(32.20) (7.78)	961.79(39.06) (11.10)	707.60(18.74) (11.17)	2462.28(100.00) (9.77)
3.	कारिगरों को ग्राहकोन्मुखी भुगतान	93.37(45.54) (0.91)	61.19(29.84) (0.70)	50.51(24.62) (0.80)	205.07(100.00) (0.82)
4.	भू-स्वामी का किराए के रूप में	246.90(54.05) (2.42)	134.00(29.33) (1.55)	75.90(16.61) (1.20)	456.80(100.00) (1.81)
5.	भू-स्वामी को उत्पादन के अंश के रूप में	7.99(32.43) (0.08)	10.05(40.78) (0.12)	6.60(16.79) (0.10)	24.64(100.00) (0.10)
6.	ऋण की वापसी के	1111.52(44.71)	740.55(29.79)	633.91(25.50)	2485.98(100.00)

	लिए	(10.90)	(8.54)	(10.01)	(9.87)
7.	भू-राजस्व के रूप में	500.65(83.18) (4.91)	49.52(8.23) (0.57)	51.69(8.59) (0.82)	601.86(100.00) (2.39)
8.	सिंचाई और अन्य मामलों में	950.26(48.09) (9.32)	521.79(26.41) (6.02)	503.96(25.50) (7.96)	1976.01(100.00) (7.84)
9.	अन्य	4037.48(42.15) (39.59)	2800.91(29.25) (32.32)	2739.72(28.60) (43.27)	9578.11(100.00) (38.01)
	जोड़	10197.23(40.47) (100.00)	8667.47(34.40) (100.00)	6331.72(25.13) (100.00)	25196.42(100.00) (100.00)

(कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल जोड़ का प्रतिशत हैं)

45

यह देखा गया कि छोटे वर्ग के किसानों द्वारा तालिका-30 में दर्शाए गए मदों के लिए खर्च की गई कुल 25196.42 हजार टन धान का 40.47 प्रतिशत, मध्यम वर्ग द्वारा 34.40 प्रतिशत और बड़े किसानों द्वारा 25.13 प्रतिशत धान का उपयोग किया गया। यह मात्रा कुल उत्पादन का लगभग 20.61 प्रतिशत थी। यह नोट किया जा सकता है कि इस भुगतान की गणना कुल बिक्री में से की गई है। यहाँ दर्शाए गए आँकड़े शैक्षिक प्रयोजन के लिए हैं।

6.11.2 पिछले वर्ष की फसल की बिक्री से होने वाली आय से नकद रूप में भुगतान के लिए धान के उपयोग संबंधी वर्ग-वार विवरण अनुलग्नक-XXI, XXII और XXIII में दिए गए हैं और सभी वर्गों का जोड़ अनुलग्नक XXIV में दिया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर इसका सार नीचे तालिका संख्या-31 में दिया गया है :

तालिका संख्या - 31

पिछले वर्ष की फसल की बिक्री से होने वाली आय से नकद भुगतान के लिए धान का सदुपयोग

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	मद	(वर्ग)			जोड़
		छोटे	मध्यम	बड़े	
1.	अस्थायी खेतिहर मजदूर	4889.51(59.50) (73.23)	2190.02(26.65) (57.76)	1138.29(13.85) (49.31)	8217.82(100.00) (64.33)
2.	कृषि मशीनरी एवं उपस्कर	233.01(23.77) (3.49)	505.83(51.60) (13.34)	241.48(24.63) (10.46)	980.32(100.00) (7.67)
3.	ग्रामीण कारीगरों को ग्राहकोन्मुखी भुगतान	12.00(57.97) (0.18)	4.66(22.51) (0.12)	4.04(19.52) (0.18)	20.70(100.00) (0.16)
4.	भू-स्वामी को	1.88(64.38)	0.12 (4.11)	0.92(31.51)	2.92(100.00)

	किराया	(0.02)	(Neg)	(0.04)	(0.02)
5.	भू-स्वामी को हिस्सा	0.76(33.93) (0.01)	0.10(4.46) (Neg)	1.38(61.61) (0.06)	2.24(100.00) (0.02)
6.	ऋण	32.40(40.72) (0.49)	25.56(32.12) (0.68)	21.61(27.16) (0.94)	79.57(100.00) (0.62)
7.	भू-राजस्व	8.24(45.13) (0.12)	5.34(29.24) (0.14)	4.68(25.63) (0.20)	18.26(100.00) (0.14)
8.	सिंचाई और अन्य मामले	43.62(34.75) (0.65)	38.00(30.27) (1.00)	43.91(34.98) (1.90)	125.53(100.00) (0.98)
9.	विविध	1456.16(43.72) (21.81)	1021.88(30.69) (26.96)	852.05(25.59) (36.91)	3330.09(100.00) (26.06)
	जोड़	6677.58(52.26) (100.00)	3791.51(29.67) (100.00)	2308.36(18.07) (100.00)	12777.45(100.00) (100.00)

(कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल जोड़ का प्रतिशत हैं)

46

यह देखा गया है कि धान की कुल मात्रा में से 12777.45 हजार टन धान का उपयोग पिछले वर्ष की फसल से होने वाली बिक्री आय से नकद भुगतान के लिए किया गया, जिसमें से छोटे वर्ग के किसानों द्वारा 6677.58 हजार टन, मध्यम वर्ग के किसानों द्वारा 3791.51 हजार टन और बड़े वर्ग के किसानों द्वारा 2308.36 हजार टन धान का उपयोग इस मद में किया गया। छोटे, मध्यम और बड़े किसानों का प्रतिशत क्रमशः 52.26 प्रतिशत, 29.67 प्रतिशत और 18.07 प्रतिशत थी। इस मद में सभी वर्गों के किसानों के उत्पादन की लगभग 10.45 प्रतिशत धान का उपयोग किया गया। इसकी गणना बिक्री मद के अन्तर्गत की गई।

6.11.3 जैसा कि पहले बताया गया है कि किसान के दायित्वों में से एक यह भी है कि वे धान का वस्तु रूप में भी भुगतान करें। छोटे, मध्यम और बड़े किसानों द्वारा वस्तु रूप में भुगतान के लिए धान के उपयोग और रखी गई धान के राज्यवार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-XXV, XXVI और XXVII में दिए गए हैं और सभी वर्ग के किसानों का जोड़ अनुलग्नक-XXVIII में दिया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर सभी वर्गों के किसानों के सामूहिक आँकड़े नीचे तालिका संख्या-32 में दिए गए हैं :

तालिका संख्या - 32

विभिन्न उद्देश्यों के लिए नकद रूप में भी भुगतान हेतु धान का सदुपयोग

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

(‘000 टन)

क्रम सं.	मद	(वर्ग)			जोड़
		छोटे	मध्यम	बड़े	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	अस्थायी खेतिहर मजदूर	1662.73(37.78) (54.14)	1325.76(30.12) (62.80)	1412.51(32.10) (77.31)	4401.00(100.00) (62.79)
2.	कृषि मशीन और	68.96(44.21) (2.25)	36.25(23.24) (1.72)	50.77(32.55) (2.78)	155.98(100.00) (2.22)

	उपस्कर				
3.	ग्रामीण कारीगरों को भुगतान	587.84(65.31) (19.14)	164.32(18.26) (7.78)	147.90(16.43) (8.09)	900.06(100.00) (12.85)
4.	भू-स्वामी को दिया गया किराया	381.62(44.85) (12.43)	364.41(42.82) (17.26)	104.91(12.33) (5.74)	850.94(100.00) (12.15)
5.	भू-स्वामी को हिस्सा	290.60(61.12) (9.46)	131.42(27.64) (6.22)	53.46(11.24) (2.93)	475.48(100.00) (6.78)
6.	ऋण का भुगतान	6.16(33.37) (0.20)	3.60(19.50) (0.17)	8.70(47.13) (0.48)	18.46(100.00) (0.26)
7.	भू-राजस्व	4.84(40.57) (0.16)	4.73(39.65) (0.22)	2.36(19.78) (0.13)	11.93(100.00) (0.17)

47

1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	सिंचाई और अन्य मामलें	22.94(37.38) (0.75)	21.94(35.76) (1.04)	16.48(26.86) (0.90)	61.36(100.00) (0.88)
9.	विविध	45.01(33.62) (1.47)	58.97(44.05) (2.79)	29.89(22.33) (1.64)	133.87(100.00) (1.90)
	जोड़	3070.70(43.81) (100.00)	2111.40(30.12) (100.00)	1826.98(26.07) (100.00)	7009.08(100.00) (100.00)

(कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल जोड़ का प्रतिशत हैं)

यह देखा गया है कि वस्तु रूप में भुगतान के लिए सभी वर्गों द्वारा धान का सर्वाधिक उपयोग अस्थायी श्रमिकों को भुगतान के लिए किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर वस्तु रूप में 7009.08 हजार टन धान का भुगतान में से 4401.00 हजार टन या 62.79 प्रतिशत धान का भुगतान अस्थायी श्रमिकों को किया गया। वस्तु रूप में किया गया कुल भुगतान कुल उत्पादन का 5.73 प्रतिशत रहा।

6.11.4 सभी वर्ग के किसानों द्वारा विभिन्न मदों में वस्तु रूप में भुगतान के लिए धान के उपयोग के राज्यवार ब्यौरे नीचे तालिका संख्या-33 में दिए गए हैं :

तालिका संख्या - 33

वस्तु रूप में भुगतान हेतु धान के सदुपयोग के राज्यवार विवरण

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	वस्तु रूप में भुगतान के लिए कुल धान का उपयोग			
			छोटे	मध्यम	बड़े	जोड़
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	आंध्र प्रदेश	16556.56	1040.47	589.66	280.45	1910.58


2.	अरुणाचल प्रदेश	165.06	3.33	2.50	3.04	8.87
3.	असम	5788.36	31.20	22.69	21.56	75.45
4.	बिहार	9274.31	290.15	281.24	321.72	893.11
5.	गोवा	190.62	7.44	2.61	2.57	12.62
6.	गुजरात	1267.56	0.00	39.20	0.00	39.20
7.	हरियाणा	4073.39	44.98	27.85	19.16	91.99
8.	हिमाचल प्रदेश	145.99	0.50	0.43	0.32	1.25
9.	जम्मू और कश्मीर	688.01	22.29	15.10	10.20	47.59

48

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10.	कर्नाटक	4150.56	83.85	53.95	41.91	179.71
11.	केरल	1067.72	46.98	46.50	44.66	138.14
12.	मध्य प्रदेश	8560.12	134.68	88.26	81.55	304.49
13.	महाराष्ट्र	3193.24	80.52	40.26	34.82	155.60
14.	मणिपुर	619.97	2.44	1.48	1.85	5.77
15.	मेघालय	244.55	6.40	0.00	3.34	9.74
16.	मिजोराम	186.00	4.14	2.32	1.95	8.41
17.	नागालैंड	293.25	0.14	0.73	0.88	1.75
18.	उड़ीसा	8869.53	220.08	166.72	170.98	557.78
19.	पंजाब	10920.03	89.07	37.81	53.47	180.35
20.	राजस्थान	252.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	28.08	1.88	0.20	0.43	2.51
22.	तमिलनाडु	8235.36	441.55	317.33	355.33	1114.21
23.	त्रिपुरा	922.33	0.59	0.83	2.74	4.16
24.	उत्तर प्रदेश	16920.98	472.57	298.96	286.06	1057.59
25.	पश्चिम बंगाल	19655.86	45.47	74.77	87.98	208.22
26.	अखिल भारत	122270.29	3070.70	2111.40	1826.98	7009.08

वस्तु रूप में इन भुगतानों के लिए धान का उपयोग आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में अधिकतर देखा गया ।

फसलोत्तर धान की कुल हानि
(मात्रा '000 टन में और कुल उत्पादन का प्रतिशत)



अध्याय – VII

फार्म स्तर पर धान की फसलोत्तर हानि

7.1 इस सर्वेक्षण के दौरान उत्पादक के स्तर पर धान की हानि का अध्ययन किया गया और डाटा नीचे सूचीबद्ध अनुलग्नकों में दिया गया है:-

- i) खलिहान (थ्रेसिंग फ्लोर) में धान की अनुमानित हानि, वर्गवार और स्रोतवार – अनुलग्नक-XXIX और XXX;
- ii) ओसाई के दौरान धान की अनुमानित हानि, वर्गवार और स्रोतवार – अनुलग्नक-XXXI और XXXII;
- iii) खेत से खलिहान (थ्रेसिंग फ्लोर) तक ढुलाई के दौरान धान की हानि, वर्गवार तथा परिवहन के साधन वार – अनुलग्नक-XXXIII तथा XXXIV;
- iv) फार्म स्तर पर खलिहान से भण्डार तक लाने के दौरान धान की अनुमानित हानि, वर्गवार और स्रोतवार – अनुलग्नक-XXXV;
- v) खेत से खलिहान और खलिहान से भण्डार तक लाने में होने वाली हानि – परिवहन के साधन (थोक अथवा बोरी) और पैकिंग के तरीके के अनुसार – अनुलग्नक-XXXVI तथा XXXVII;
- vi) उत्पादक के स्तर पर धान की अनुमानित हानि – वर्गवार और भण्डारण के प्रकारानुसार – अनुलग्नक-XXXVIII तथा XXXIX;
- vii) उत्पादक के स्तर पर धान की अनुमानित हानि – हानि के कारण वार – अनुलग्नक-XL;
- viii) फसलोत्तर कुल हानि – वर्गवार – अनुलग्नक-XLI, XLII तथा XLIII;
- ix) फसलोत्तर कुल हानि – सभी वर्गों का जोड़ – अनुलग्नक-XLIV;

7.1.2 थ्रेसिंग, ओसाई, खेत से खलिहान तक ढोने और उसे भण्डारण के लिए भण्डार तक लाने जैसे विभिन्न कार्यों के दौरान फार्म स्तर पर फसलोत्तर धान की कुल हानि का सारांश निम्नलिखित तालिका संख्या-34 में दिया गया है।

तालिका संख्या – 34

उत्पादक के स्तर पर धान की हानि (वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)


क्रम सं.	मद	हानि की मात्रा	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1.	खेत से खलिहान तक लाने में होने वाली हानि	971.39	0.79
2.	थ्रेसिंग में होने वाली हानि	1085.76	0.89
3.	ओसाई में होने वाली हानि	584.62	0.48
4.	खलिहान से भण्डार तक लाने में होने वाली हानि	193.40	0.16
5.	उत्पादक के स्तर पर भण्डारण के दौरान हानि	484.40	0.40
6.	उत्पादक के स्तर पर कुल हानि	3319.57	2.72

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि फसलोत्तर हानि का अध्ययन उत्पादक के स्तर पर होने वाली हानियों तक ही सीमित रहा है, इसमें कटाई के बाद उसे खेत से खलिहान तक लाने और इसके पश्चात उत्पादक के स्तर पर ही उसके भण्डारण में होने वाली हानि शामिल है, (इसके पश्चात होने वाली हानि पर इसमें कोई विचार नहीं किया गया) इसमें किसान के भण्डार से बिक्री के लिए बाजार तक लाने, बाजार में रोकने और वितरण के दौरान होने वाली हानि भी शामिल नहीं है। ऊपर दी गई तालिका में दर्शाए अनुसार उत्पादक अर्थात् किसान के स्तर पर होने वाली धान की फसलोत्तर कुल हानि उत्पादन के 2.72 प्रतिशत के बराबर होने का अनुमान लगाया गया।

7.1.3 अनुलग्नक-XXX के एक संदर्भ में दर्शाया गया है कि मशीनीकृत साधनों से की गई थ्रेसिंग के दौरान 461.24 हजार टन धान का नुकसान हुआ (कुल उत्पादन का 0.38 प्रतिशत) जानवरों के माध्यम से गहाई के दौरान 268.22 हजार टन और श्रमिकों द्वारा हाथ से गहाई करने पर 356.29 हजार टन की हानि हुई।

7.1.4 ओसाई के दौरान धान की अनुमानित हानि की गणना 384.62 ½जार टन की गई, (कुल उत्पादन की 0.48 प्रतिशत) डाटा अनुलग्नक-XXXI में दिया गया हैं ।

भण्डारण के दौरान धान की हानि और उसके कारण
(मात्रा '000 टन में और कुल हानि का प्रतिशत)



7.1.5 फार्म स्तर पर परिवहन के दौरान यह देखा गया है कि खेत से खलिहान तक परिवहन के दौरान धान की हानि कुल उत्पादन का 971.39 हजार टन रही अथवा परिवहन के लिए प्रयुक्त विभिन्न साधनों द्वारा कुल हानि कुल उत्पादन की 0.79 प्रतिशत रही (अनुलग्नक-XXXIII तथा XXXIV) ।

7.1.6 खलिहान से किसान के भण्डार तक लाने में धान की कुल हानि 193.40 हजार टन अथवा कुल उत्पादन की 0.16 प्रतिशत रही (अनुलग्नक- XXXV) ।


7.1.7 खेत से किसान के भण्डार तक लाने में धान की कुल हानि 1164.79 हजार टन अथवा 0.95 प्रतिशत रही (अनुलग्नक- XXXVII) ।

7.1.8 भण्डारण के दौरान धान की हानि के अध्ययन के दौरान जो तथ्य प्रमुख रूप से ज्ञात हुआ कि वह है कि किसान परिवारों द्वारा लगभग 74 प्रतिशत भण्डारण कच्चे भण्डारों में तथा 26 प्रतिशत पक्के भण्डारों में रखी गई धान की मात्रा 45923.48 हजार टन और पक्के गोदामों में 16314.10 हजार टन रही (अनुलग्नक- XXXIX) *

7.1.9 भण्डारण के दौरान धान की हानि वाली कुल हानि 484.42 हजार टन आँकी गई । यह हानि कुल उत्पादन की 0.40 प्रतिशत रही । भण्डारण के दौरान होने वाली हानि में ड्राईएज, कृन्तक, जीवबाधा, रख-रखाव, गुणवत्ता ह्रास आदि शामिल है ।

7.1.10 उत्पादक के स्तर पर कटाई पश्चात धान की कुल हानि अनुमानित 3319.57 हजार टन अथवा उत्पादक की 2.71 प्रतिशत रही । यहाँ यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि भण्डारण की अवधि और भण्डारण के लिए रखी गई मात्रा दोनों कम रही । इसलिए उत्पादन के स्तर पर भण्डारण के दौरान होने वाली हानि 2.71 प्रतिशत रही । परन्तु, भविष्य में भण्डारण का वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से फार्म स्तर पर इस हानि को और कम किया जा सकता है ।

तिमाही वार धान की कुल बिक्री
(मात्रा '000 टन में और कुल बिक्री का प्रतिशत)



अध्याय – VIII

बेची गई धान की मात्रा

8.1 किसान परिवार आवश्यकतानुसार एक समयावधि में पश्चात ही धान की बिक्री के लिए आश्रय ढूँढ़ते हैं । छोटे वर्ग के किसान अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कटाई के तुरंत बाद ही फसल को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जबकि सक्षम किसान जो अपनी फसलों को रोकने में सक्षम होते हैं वे तभी बेचते हैं, जब बाजार भाव अच्छे या उनके अनुकूल होते हैं । किसान परिवारों द्वारा बेचे गए कुल उत्पाद (फसल) को बाजार में बिक्री के लिए लाया गया अधिशेष माना जाता है अर्थात् उत्पादन का ऐसा अधिशेष जो किसान परिवारों की अपरिहार्य जरूरत को ध्यान में रखे बगैर भी बाजार में बेचा जाता है । यह ऐसी मात्रा होती है, जो अनुत्पादकों अर्थात् गैर किसान परिवारों के लोगों को खाने के लिए उपलब्ध कराई जाती है, इसमें किसान परिवारों द्वारा वापस खरीदी मात्रा भी शामिल होती है । सर्वेक्षण के दौरान किसान परिवारों द्वारा बिक्री के निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया गया :

- i) आवर्तिता;
- ii) एजेंसियाँ जिन्हें फसल बेची गई;
- iii) गाँव के अन्दर बिक्री; और
- iv) गाँव के बाहर बिक्री *

8.2 बिक्री आवर्तिता :

विभिन्न वर्गों के किसानों द्वारा तिमाही वार धान की अनुमानित बिक्री के राज्यवार विवरण अनुलग्नक XLV, XLVI और XLVII में दिए गए हैं और सभी वर्गों के समेकित ब्यौरे अनुलग्नक XLVIII में दिए गए हैं । इन परिशिष्टियों का सारांश तालिका संख्या-35 में निम्नानुसार दिया गया है ।

तालिका संख्या – 35

धान की बिक्री

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन)


क्रम सं	तिमाही	तिमाही वार धान की बिक्री			
		वर्ग			
		छोटे	मध्यम	बड़े	जोड़
1.	पहली तिमाही	645.80 (2.83)	256.42 (1.30)	458.39 (2.16)	1360.61 (2.14)
2.	दूसरी तिमाही	11926.57 (52.36)	9672.53 (49.30)	9799.70 (46.35)	31398.80 (49.41)
3.	तीसरी तिमाही	3270.06 (14.36)	3312.94 (16.89)	3656.95 (17.30)	10239.95 (16.12)
4.	चौथी तिमाही	6936.02 (30.45)	6377.20 (32.51)	7229.07 (34.19)	20542.29 (32.33)
	जोड़	22778.45	19619.09	21144.11	63541.65

ऐसा देखा गया है कि 49.41 प्रतिशत धान की बिक्री दूसरी तिमाही के दौरान प्रभावित हुई, इसी क्रम में चौथी ओर तीसरी तिमाही में क्रमशः 32.33 प्रतिशत और 16.12 प्रतिशत बिक्री प्रभावित हुई ।

8.3 एजेंसियाँ, जिन्हें बिक्री की जाती है :

छोटे, बड़े और मध्यम वर्ग के किसानों द्वारा एजेंसीवार धान की बिक्री के राज्यवार विवरण तथा सभी वर्गों के समेकित विवरण क्रमशः अनुलग्नक -LIX, LX, LVI और LII में दिए गए हैं । इन अनुलग्नकों का सारांश नीचे तालिका संख्या-36 में दिया गया है ।

धान की बिक्री – एजेंसीवार
(मात्रा '000 टन में. और कुल बिक्री का प्रतिशत)



तालिका संख्या – 36

विभिन्न एजेंसियों को की गई बिक्री
(वर्ष 1996-97, 1997-98, और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	एजेंसी	बेची गई मात्रा			
		वर्ग			
		छोटे	मध्यम	बड़े	जोड़
1.	उपभोक्ता	855.49 (3.76)	758.20 (3.87)	697.47 (3.30)	2311.16 (3.64)

2.	व्यापारी (ट्रेडर्स)	18387.67 (80.72)	15674.33 (79.89)	17563.50 (83.07)	51625.50 (81.25)
3.	सहकारी समितियाँ	863.20 (3.79)	818.71 (4.18)	793.79 (3.75)	2475.70 (3.90)
4.	भारतीय खाद्यनिगम	2270.51 (9.97)	2065.94 (10.53)	1814.44 (8.58)	6150.89 (9.68)
5.	महाजन	228.36 (1.00)	196.95 (1.00)	183.00 (0.87)	608.31 (0.96)
6.	अन्य	173.22 (0.76)	104.96 (0.53)	91.91 (0.43)	370.09 (0.57)
	जोड़	22778.45	19619.09	21144.11	63541.65

सर्वेक्षण से पता चला कि उत्पादकों द्वारा सीधे उपभोक्ता कों की गई धान की बिक्री अधिक से अधिक 3.64 प्रतिशत थी, उत्पादकों द्वारा सहकारी समितियों कों 3.90 प्रतिशत; उत्पादकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को 9.68 प्रतिशत । इस बिक्री का अधिकांश भाग अर्थात् 81.25 प्रतिशत व्यापारियों का रहा । इस तरह के आँकड़े सहकारी समितियों तथा भारतीय खाद्य निगम के लिए बड़ा ही विचारणीय मामला है कि वे किसान समुदायों के लाभार्थ अनाजों के विपणन में अपनी भूमिका का मूल्यांकन करें । अनुलग्नक - LII में दर्शाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम की भूमिका पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा जैसे राज्यों तक ही सीमित रही है तथा सहकारी समितियों ने अपनी प्रमुख भूमिका पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में अदा की है ।

59

8.4 गाँवों में धान की बिक्री :

गाँवों में ही धान की राज्यवार अनुमानित बिक्री के तिमाही वार और वर्ग वार आँकड़े (विवरण) क्रमशः अनुलग्नक-LIII, LIV और LV में दिए गए हैं और सभी वर्गों के समेकित आँकड़े अनुलग्नक-LVI में दिए गए हैं । उनका सारांश नीचे तालिका संख्या-37 में दिया गया है :

तालिका संख्या - 37

गाँवों में ही धान की बिक्री

(वर्ष 1996-97, 1997-98, और 1998-99 का औसत)


(‘000 टन)

क्रम सं.	एजेंसी	गाँवों में ही धान की बिक्री			
		वर्ग			
		छोटे	मध्यम	बड़े	जोड़
1.	पहली तिमाही	390.05 (0.75)	190.53 (0.51)	238.01 (0.71)	818.59 (0.67)
2.	दूसरी तिमाही	6183.53 (11.89)	4795.61 (13.08)	4669.08 (13.91)	15648.22 (12.80)
3.	तिसरी तिमाही	2311.49 (4.44)	2905.19 (7.92)	2943.15 (8.77)	8159.83 (6.67)
4.	चौथी तिमाही	5709.35 (10.47)	5203.77 (14.19)	5543.96 (16.51)	16457.08 (13.46)
5.	जोड़	14594.42	13095.10	13394.20	41083.72

(कोष्ठक में दिए गए आँकड़े उस वर्ग द्वारा किए गए उत्पादन का प्रतिशत हैं)

ऐसा पाया गया कि 63541.65 हजार टन धान की कुल बिक्री में से गाँवों में बेची गई मात्रा लगभग 41083.72 हजार टन अथवा कुल बिक्री का 64.66 प्रतिशत रही ।

धान की बिक्री गाँव में और गाँव से बाहर
(मात्रा '000 टन में और उत्पादन का प्रतिशत)



8.5 गाँव से बाहर धान की बिक्री :

देश के विभिन्न राज्यों में गाँव से बाहर धान की वर्गवार तथा तिमाही-वार अनुमानित बिक्री के आँकड़े अनुलग्नक-LVII, LVIII, LIX में और सभी वर्गों के समेकित आँकड़े अनुलग्नक-LX में दिए गए हैं । इन अनुमानों का सार तालिका संख्या-38 में दिया गया है ।

तालिका संख्या – 38

गाँव से बाहर धान की बिक्री

(वर्ष 1996-97, 1997-98, और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम सं.	तिमाही	गाँव से बाहर धान की बिक्री			
		वर्ग			
		छोटे किसान	मध्यम किसान	बड़े किसान	जोड़
1.	पहली तिमाही	255.75 (0.49)	65.89 (0.18)	220.38 (0.66)	542.02 (0.44)
2.	दूसरी तिमाही	5743.04 (11.04)	4876.92 (13.30)	5130.62 (15.28)	15750.58 (12.88)
3.	तिसरी तिमाही	958.57 (1.84)	407.75 (1.11)	713.80 (2.13)	2080.12 (1.70)
4.	चौथी तिमाही	1226.67 (2.36)	1173.43 (3.20)	1685.11 (5.02)	4085.21 (3.34)
5.	जोड़	8184.03	6523.99	7749.91	22457.93

(कोष्ठक में दिए गए आँकड़े वर्गवार उत्पादन का प्रतिशत हैं)

तालिका संख्या-37 एवं 38 के अवलोकन से पता चलता है कि 63541.65 हजार टन धान की कुल बिक्री में 41083.72 हजार टन (64.66 प्रतिशत) गाँव के भीतर और गाँव से बाहर 22457.93 हजार टन (35.34 प्रतिशत) धान की बिक्री की गई। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसान परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए गाँव स्तर पर बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि शहरी विपणन केन्द्रों (पूर्ण विकसित) की ओर से ध्यान हटाकर ग्रामीण विपणन केन्द्रों के विकास में लगाया जाए।

8.6 धान की राज्य वार बिक्री (बाजार में बिक्री के लिए लाया गया अधिशेष)

सभी वर्गों के किसानों द्वारा सामूहिक रूप से उत्पादित धान की कुल बिक्री के राज्य वार ब्यौरे तालिका संख्या-39 में दिए गए हैं।

तालिका संख्या - 39

धान की कुल बिक्री राज्य वार विवरण

(वर्ष 1996-97, 1997-98, और 1998-99 का औसत)

(‘000 टन)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	कुल बिक्री	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आन्ध्र प्रदेश	16556.56	9935.31	60.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	165.06	45.11	27.33
3.	असम	5788.36	2104.20	36.35
4.	बिहार	9274.31	2867.67	30.92
5.	गोवा	190.62	46.29	24.28
6.	गुजरात	1267.56	772.10	60.91
7.	हरियाणा	4073.39	3518.77	86.38
8.	हिमाचल प्रदेश	145.99	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	688.01	262.43	38.14
10.	कर्नाटक	4150.56	2131.04	51.34
11.	केरल	1067.72	427.25	40.02
12.	मध्य प्रदेश	8560.12	4423.11	51.67
13.	महाराष्ट्र	3193.24	194.12	6.08
14.	मणिपुर	619.97	181.95	29.35

63

1.	2.	3.	4.	5.
15.	मेघालय	244.55	68.99	28.21
16.	मिजोराम	186.00	54.19	29.13
17.	नागालैण्ड	293.25	120.23	41.00
18.	उड़ीसा	8869.53	3621.14	40.83
19.	पंजाब	10920.03	10052.35	92.05

20.	राजस्थान	252.85	213.20	84.32
21.	सिक्किम	28.08	11.00	39.17
22.	तमिलनाडु	8235.36	3126.71	37.97
23.	त्रिपुरा	922.33	344.56	37.36
24.	उत्तर प्रदेश	16920.98	7640.82	45.16
25.	पश्चिम बंगाल	19655.86	11379.10	57.89
26.	अखिल भारत	122270.29	63541.65	51.97

धान के विपणन योग्य कुल अधिशेष में विभिन्न राज्यों के योगदान का निम्नलिखित तालिका संख्या में किया गया है :

64

तालिका संख्या - 40

विपणन योग्य अधिशेष में राज्यों का योगदान

(वर्ष 1996-97, 1997-98, और 1998-99 का औसत)

(‘000 टन)

क्रम संख्या	योगदान	राज्य
1.	10,000 से अधिक	पश्चिम बंगाल (11379.10), पंजाब (10052.35)
2.	5000-10000	आन्ध्र प्रदेश (9935.31), उत्तर प्रदेश (7640.82)
3.	2500-5000	मध्य प्रदेश (4423.11), उड़ीसा (3621.14), हरियाणा (3518.77), तमिलनाडु (3126.71), बिहार (2867.67)
4.	1000-2500	कर्नाटक (2131.04), असम (2104.20)
5.	500-1000	गुजरात (772.10)
6.	250-500	केरल (427.25), त्रिपुरा (344.56), जम्मू और कश्मीर (262.43)
7.	100-250	राजस्थान (213.20), महाराष्ट्र (194.12), मणिपुर (181.95), नागालैण्ड (120.23),

8.	100 से कम	मेघालय (68.99), मिजोराम (54.19), गोवा (46.29), अरुणाचल प्रदेश (45.11) सिक्किम (11.00),
9.	शून्य	हिमाचल प्रदेश

यह प्रसंशनीय बात है कि पंजाब जैसा छोटा धान के उत्पादन में राज्य के रूप में उभरा है, जिसका योगदान बाजार में 63541.65 हजार टन के कुल बिक्री अधिशेष में 10052.35 हजार टन अर्थात् 15.83 प्रतिशत है । यह राज्य पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा राज्य है ।

अध्याय – IX

विपणन योग्य अधिशेष

9.1 पूर्ववर्ती अध्यायों में उत्पादन विविध उद्देश्यों के लिये धान को रोकने (रखने), खरीद, हानियों, बिक्री अथवा बाजार में बेचे गए अधिशेष आदि के अनुमानों के संबंध में चर्चा की गई है। इस अध्याय में विपणन योग्य अधिशेष पर चर्चा की गई है। विपणन योग्य अधिशेष की गणना निम्नलिखित फार्मूला (सूत्र) से की जाती है :

$$MS \text{ (एम एस)} = A-B \text{ (ए - बी)}$$

जहाँ ए - कुल उत्पादन है

बी - फार्म स्तर अथवा किसान के स्तर पर कुल प्रतिधरण
+ कुल खरीद और कुल हानि है।

एम.एस. - विपणन योग्य अधिशेष है।

9.2 वर्गवार अनुमानित विपणन योग्य अधिशेष और सभी वर्गों के सामूहिक आँकड़े क्रमशः अनुलग्नक-LXI, LXII, LXIII और LXIV में दिए गए हैं। अखिल भारतीय स्तर पर इसका सारांश नीचे तालिका संख्या-41 में दिया गया है।

तालिका संख्या – 41

किसान परिवारों की कुल आवश्यकता और विपणन योग्य अधिशेष

(वर्ष 1996-97, 1997-98, और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम संख्या	वर्ग	कुल उत्पादन	हानियों सहित किसान परिवारों की कुल आवश्यकता	विपणन योग्य अधिशेष
1.	छोटे	52020.67	28619.76 (55.01)	23408.91 (44.99)

2.	मध्यम	36672.35	15268.70 (41.64)	21403.65 (58.36)
3.	बड़े	33569.27	10576.83 (31.51)	22992.44 (68.49)
	जोड़	122270.29	54465.29 (44.54)	67805.00 (55.46)


(कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल उत्पादन का प्रतिशत हैं)

9.3 यह स्वतः स्पष्ट है कि कुछ समयावधि से धान के विपणन योग्य अधिशेष में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जबकी पहले इसकी मात्रा बहुत कम थी। अनुमानित विपणन योग्य अधिशेष अब 67805.00 हजार टन हो गया है और किसान परिवारों की अनुमानित आवश्यकता को 54465.29 हजार टन आंका गया, इसमें शामिल है। इस प्रकार विपणन योग्य अधिशेष उस समय कुल उत्पादन का 55.46 प्रतिशत अर्थात् 50 प्रतिशत से भी अधिक हो गया और किसान परिवारों की आवश्यकता कुल उत्पादन की 44.54 प्रतिशत थी। 1972-73 के सर्वेक्षण के अनुसार धान का अनुमानित उत्पादन 58365.00 हजार टन था, विपणन योग्य अधिशेष अनुमानित 5175.42 हजार टन अथवा कुल उत्पादन का 8.87 प्रतिशत था। इस प्रकार विपणन योग्य अधिशेष में वास्तविक रूप से जो सुधार हुआ, वह केवल आत्मनिर्भरता के लिए सम्मिलित एवं योजनाबद्ध प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही संभव हो सका।

67

9.4 विभिन्न वर्गों के किसान द्वारा अनुमानित विपणन योग्य अधिशेष और बाजार में बेचे गए अधिशेष का तुलनात्मक विश्लेषण तालिका संख्या-42 में दिया गया है :

उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष और बाजार में बेचा गया अधिशेष
(मात्रा '000 टन में और उत्पादन का प्रतिशत)



68

तालिका संख्या - 42

धान का विपणन योग्य अधिशेष

(वर्ष 1996-97, 1997-98, और 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्रम संख्या	वर्ग	कुल उत्पादन A	हानियों सहित किसान परिवारों की कुल आवश्यकता B		विपणन योग्य अधिशेष (A-B)		बाजार में बेचा गया अधिशेष	
			मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
1.	छोटे	52020.67	28619.76	55.01	23408.91	44.99	22778.45	43.78
2.	मध्यम	36672.35	15268.70	41.64	21403.65	58.36	19619.09	53.49

3.	बड़े	33569.27	10576.83	31.51	22992.44	68.49	21144.11	62.99
	जोड़	122270.29	54465.29	44.54	67805.00	55.46	63541.65	51.97

9.5 ऐसा देखा गया है कि धान के कुल 122270.29 हजार टन अनुमानित उत्पादन में से हानियों को मिलाकर किसान परिवारों की कुल आवश्यक मात्रा 54465.29 हजार टन अथवा 44.54 प्रतिशत थी । विपणन योग्य अधिशेष अनुमानित 67805.00 हजार टन, अर्थात् 55.46 प्रतिशत था । इसके विपरीत बाजार में बेची गई धान का अधिशेष 51.97 प्रतिशत अथवा 63541.65 हजार टन थी । 4263.36 हजार टन (3.48 प्रतिशत) धान बेची नहीं गई और किसानों ने उसे आगामी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संरक्षित किया ।

9.6 1972 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार किसान परिवारों की आवश्यकता के लिए अनुमानित 53188.58 हजार टन अथवा कुल उत्पादन की 91.13 प्रतिशत धान की आवश्यकता थी और गैर किसान परिवारों की खपत के लिए 5176.42 हजार टन अथवा कुल उत्पादन की 8.87 प्रतिशत धान विपणन योग्य अधिशेष उपलब्ध थी । वर्तमान सर्वेक्षण से पता चला कि किसान परिवारों की

69

जरूरत लगभग स्थिर थी, इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा गया और किसान परिवारों को कुल 54465.29 हजार टन अर्थात् कुल उत्पादन की 44.54 प्रतिशत धान की आवश्यकता थी ।

9.7 1972 के पिछले सर्वेक्षण के अनुसार प्रति किसान परिवारों सदस्यों की औसत संख्या 6.26 थी जबकि वर्तमान सर्वेक्षण से पता चला कि प्रत्येक किसान परिवार में सदस्यों की औसत संख्या 6.45 थी । अतः किसान परिवार की आवश्यकता (खपत) में मामूली वृद्धि पाई गई ।

9.8 1972 में विपणन योग्य अधिशेष और फसलोत्तर हानियों पर किए गए सर्वेक्षण बनाम 1996-99 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप प्राप्त आँकड़ों की प्रमुख विशेषताएँ तालिका संख्या-43 में नीचे दी गई हैं :

तालिका संख्या - 43

धान के विपणन योग्य अधिशेष और फसलोत्तर हानियों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम (वर्ष 1997 बनाम 1996-99)


(‘000 टन)

क्रम संख्या	मद	सर्वेक्षण वर्ष	सर्वेक्षण वर्ष 1996-97, 1997-98, और 1998-99
1.	अनुमानित उत्पादन एच वाई वी टी वी	58365.00(100.00) 17495.00(29.98) 40870.00(70.02)	122270.29(100.00) 104620.08(85.56) 17650.21(14.44)
2.	फार्म स्तर पर हानि सहित किसान परिवार की कुल अनुमानित आवश्यकता	53188.58 (91.13)	54465.29 (44.54)
3.	विपणन योग्य अधिशेष	5176.42 (8.87)	67805.00 (55.46)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल उत्पादन का प्रतिशत हैं)

70

उत्पादन उपयोगिता तथा विपणन योग्य अधिशेष
(मात्रा ‘000 टन में और कुल उत्पादन का प्रतिशत)



9.9 इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दो दशक की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। उत्पादन लगभग दुगना हो गया है, अधिक पैदावार वाली किस्मों का उत्पादन लगभग छः गुणा और दो सर्वेक्षणों के दौरान पारंपारिक किस्मों का उत्पादन लगभग आधे से भी कम हो गया है।

9.9.1 किसान परिवारों की खपत के लिए धान की मात्रा में मामूली वृद्धि हुई है। परन्तु विपणन योग्य अधिशेष 8.87 प्रतिशत से बढ़कर 55.46 प्रतिशत हो गया है, क्योंकि कुल उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

9.9.2 उत्पादन का अनुमान, फार्म स्तर पर हानियों सहित किसान परिवारों के लिए आवश्यक कुल धान, विपणन योग्य अधिशेष और बेची गई मात्रा के राज्यवार विवरण नीचे तालिका संख्या-44 में दिए गए हैं।

71

तालिका संख्या – 44

धान के उत्पादन, किसान परिवारों की आवश्यकता, विपणन योग्य अधिशेष और बेची गई मात्रा के राज्य वार विवरण

(वर्ष 1996-97, 1997-98, और 1998-99 का औसत)

(‘000 टन)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	किसान परिवारों के लिए आवश्यक कुल धान (हानि सहित)		बेची गई मात्रा		विपणन योग्य अधिशेष	
			मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	आन्ध्र प्रदेश	16556.55	6396.92	38.64	9935.30	60.01	10159.63	61.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	165.08	95.05	57.58	45.09	27.31	70.03	42.42
3.	असम	5788.36	2422.44	41.85	2104.20	36.35	3365.92	58.15
4.	बिहार	9274.32	6365.71	68.64	2867.67	30.92	2908.61	31.36
5.	गोवा	190.62	145.75	76.46	46.29	24.28	44.87	23.54
6.	गुजरात	1267.56	326.63	25.77	772.08	60.91	940.93	74.23

7.	हरियाणा	4073.39	402.84	9.89	3518.78	86.38	3670.55	90.11
8.	हिमाचल प्रदेश	145.99	192.56	131.90	0.00	0.00	-46.57	-31.90
9.	जम्मू और कश्मीर	688.01	417.89	60.74	262.43	38.14	270.12	39.26
10.	कर्नाटक	4150.55	1420.15	34.22	2131.05	51.34	2730.40	65.78
11.	केरल	1067.72	583.68	54.67	427.24	40.01	484.04	45.33
12.	मध्य प्रदेश	8560.11	3648.96	42.63	4423.12	51.67	4911.15	57.37
13.	महाराष्ट्र	3193.25	3746.99	117.34	194.11	6.08	-553.74	-17.34
14.	मणिपुर	619.97	345.73	55.77	181.95	29.35	274.24	44.23
15.	मेघालय	244.55	154.70	63.26	68.99	28.21	89.85	36.74
16.	मिजोराम	186.01	103.95	55.88	54.20	29.14	82.06	44.12

72

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
17.	नागालैण्ड	293.25	165.97	56.60	120.26	41.01	127.28	43.40
18.	उड़ीसा	8869.51	5445.68	61.40	3621.12	40.83	3423.83	38.60
19.	पंजाब	10920.03	608.27	5.57	10052.36	92.05	10311.76	94.43
20.	राजस्थान	252.85	25.26	9.99	213.21	84.32	227.59	90.01
21.	सिक्किम	28.08	13.76	49.00	11.00	39.17	14.32	51.00
22.	तमिलनाडु	8235.36	5852.52	71.07	3126.72	37.97	2382.84	28.93
23.	त्रिपुरा	922.32	582.06	63.11	344.56	37.36	340.26	36.89
24.	उत्तर प्रदेश	16920.99	8599.07	50.82	7640.82	45.16	8321.92	49.18
25.	पश्चिम बंगाल	19655.86	6402.74	32.57	11379.10	57.89	13253.12	67.43
26.	अखिल भारत	122270.29	54465.29	44.54	63541.65	51.97	67805.00	55.46

9.9.3 यहाँ चौंकाने वाला तथ्य देखने में आया कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में विपणन योग्य धान का अधिशेष 90 प्रतिशत से अधिक था, जब कि हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसकी कमी पाई गई । गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विपणन योग्य अधिशेष 60 प्रतिशत से अधिक था । अन्य राज्यों में यह 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक अलग-अलग पाया गया ।

9.9.4 बढ़े हुए उत्पादन को जारी रखने के लिए कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है । इसके लिए बुनियादी संरचना तथा सुविधाओं का विकास करने और लाभप्रद विपणन के लिए जानकारी का प्रचार-प्रसार करना, सहयोगी सेवाएं जैसे ग्रेड निर्धारित करना और उनका मानकीकरण करना, भण्डारण और वित्त पोषण आदि सुविधाएँ मुहैया कराना होगी । विपणन में प्रवीणता को बढ़ाना होगा । इसके लिए विपणन की लागत को कम करना होगा और भौतिक संरचना में सुधार करना होगा ताकि किसानों को अच्छी सुविधाएँ और लाभ मिल सके ।

अनुलग्नक-I

धान का जोत क्षेत्र - सिंचित/असिंचित
(वर्ष 1998-99 को समाप्त वर्षत्रय)

(‘000 हैक्टेयर में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	किसान की कोटि											
		छोटे			मध्यम			बड़े			सभी		
		सिंचित	असिंचित	कुल क्षेत्र	सिंचित	असिंचित	कुल क्षेत्र	सिंचित	असिंचित	कुल क्षेत्र	सिंचित	असिंचित	कुल क्षेत्र
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	आन्ध्र प्रदेश	1623.88	29.43	1653.31	1318.54	15.36	1333.90	963.54	26.04	989.58	3905.96	70.83	3976.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	13.14	33.44	46.58	13.11	20.94	34.05	15.73	19.48	35.21	41.98	73.86	115.84
3.	असम	122.58	1024.50	1147.08	70.72	615.49	686.21	95.27	548.60	643.87	288.57	2188.59	2477.16
4.	बिहार	738.93	1292.62	2031.55	688.84	1048.83	1737.67	685.89	864.88	1550.77	2113.66	3206.33	5319.99
5.	गोवा	5.01	30.73	35.74	1.64	10.90	12.54	0.86	5.91	6.77	7.51	47.54	55.05
6.	गुजरात	182.49	90.78	273.27	126.80	43.83	170.63	122.12	50.42	172.54	431.41	185.03	616.44
7.	हरियाणा	341.57	0.00	341.57	284.34	0.00	284.34	283.28	0.00	283.28	909.19	0.00	909.19
8.	हिमाचल प्रदेश	20.78	13.17	33.95	13.75	7.94	21.69	14.55	11.57	26.12	49.08	32.68	81.76
9.	जम्मू और कश्मीर	62.51	32.47	94.98	54.08	34.10	88.18	51.14	37.87	89.01	167.73	104.44	272.17

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
10.	कर्नाटक	308.42	497.71	806.13	75.08	248.60	323.68	86.02	152.05	238.07	469.52	898.36	1367.88
11.	केरल	60.60	85.25	145.85	55.04	65.53	120.57	55.34	72.29	127.63	170.98	223.07	394.05
12.	मध्य प्रदेश	1333.58	1780.36	3113.94	491.82	600.86	1092.68	604.03	536.01	1140.04	2429.43	2917.23	5346.66
13.	महाराष्ट्र	101.02	504.17	605.19	78.72	399.23	477.95	96.99	294.34	391.33	276.73	1197.74	1474.47
14.	मणिपुर	0.00	55.87	55.87	0.00	52.76	52.76	0.00	50.93	50.93	0.00	159.56	159.56
15.	मेघालय	17.95	36.51	54.46	10.61	15.11	25.72	8.78	14.31	23.09	37.34	65.93	103.27
16.	मिजोराम	15.19	12.76	27.95	11.49	10.34	21.83	8.15	8.29	16.44	34.83	31.39	66.22
17.	नागालैण्ड	12.63	41.19	53.82	7.68	37.56	45.24	10.81	31.81	42.62	31.12	110.56	141.68
18.	उड़ीसा	481.90	1185.69	1667.59	365.00	995.46	1360.46	385.14	1041.05	1426.19	1232.04	3222.20	4454.24
19.	पंजाब	837.95	0.00	837.95	712.07	0.00	712.07	662.82	0.00	662.82	2212.84	0.00	2212.84
20.	राजस्थान	91.34	0.00	91.34	3.32	0.00	3.32	45.02	0.00	45.02	139.68	0.00	139.68
21.	सिक्किम	7.24	0.00	7.24	3.02	0.00	3.02	4.73	0.00	4.73	14.99	0.00	14.99
22.	तमिलनाडु	965.36	0.23	965.59	633.92	0.30	634.22	668.95	0.15	669.10	2268.23	0.68	2268.91
23.	त्रिपुरा	60.70	40.62	101.32	48.53	27.34	75.87	52.50	25.61	78.11	161.73	93.57	255.30
24.	उत्तर प्रदेश	2815.00	120.36	2935.36	1323.67	48.20	1371.87	1341.23	50.39	1391.62	5479.90	218.95	5698.85
25.	पश्चिम बंगाल	1510.07	855.38	2365.45	1318.60	572.00	1890.60	1101.26	505.89	1607.15	3929.93	1933.27	5863.20
26.	अखिल भारत	11729.84	7763.24	19493.08	7710.39	4870.68	12581.07	7364.15	4347.89	11712.04	26804.38	16981.81	43786.19

धान का जोत क्षेत्र – अधिक पैदावार वाली किस्में और पारंपारिक किस्में
(वर्ष 1998-99 को समाप्त वर्षत्रय)

(‘000 हैक्टेयर में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	किसान की कोटि											
		छोटे			मध्यम			बड़े			सभी		
		एचवाईवी	टीवी	कुल क्षेत्र	एचवाईवी	टीवी	कुल क्षेत्र	एचवाईवी	टीवी	कुल क्षेत्र	एचवाईवी	टीवी	कुल क्षेत्र
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	आन्ध्र प्रदेश	1619.75	33.56	1653.31	1316.76	17.14	1333.90	965.88	23.70	989.58	3902.39	74.40	3976.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.41	46.17	46.58	0.46	33.59	34.05	0.33	34.88	35.21	1.20	114.64	115.84
3.	असम	527.79	619.29	1147.08	266.59	419.62	686.21	249.74	394.13	643.87	1044.12	1433.04	2477.16
4.	बिहार	1715.93	315.62	2031.55	1510.45	227.22	1737.67	1345.00	205.77	1550.77	4571.38	748.61	5319.99
5.	गोवा	19.99	15.75	35.74	6.19	6.35	12.54	3.94	2.83	6.77	30.12	24.93	55.05
6.	गुजरात	91.51	181.76	273.27	56.82	113.81	170.63	64.83	107.71	172.54	213.16	403.28	616.44
7.	हरियाणा	324.86	16.71	341.57	267.63	16.71	284.34	268.56	14.72	283.28	861.05	48.14	909.19
8.	हिमाचल प्रदेश	4.28	29.67	33.95	3.67	18.02	21.69	4.58	21.54	26.12	12.53	69.23	81.76
9.	जम्मू और कश्मीर	83.59	11.39	94.98	78.43	9.75	88.18	73.10	15.91	89.01	235.12	37.05	272.17

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
10.	कर्नाटक	296.12	510.01	806.13	186.11	137.57	323.68	127.32	110.75	238.07	609.55	758.33	1367.88
11.	केरल	103.13	42.72	145.85	97.24	23.33	120.57	99.63	28.00	127.63	300.00	94.05	394.05
12.	मध्य प्रदेश	1906.36	1207.58	3113.94	706.98	385.70	1092.68	817.64	322.40	1140.04	3430.98	1915.68	5346.66
13.	महाराष्ट्र	598.07	7.12	605.19	465.53	12.42	477.95	340.59	50.74	391.33	1404.19	70.28	1474.47
14.	मणिपुर	51.48	4.39	55.87	48.19	4.57	52.76	43.24	7.69	50.93	142.91	16.65	159.56
15.	मेघालय	17.27	37.19	54.46	8.62	17.10	25.72	6.22	16.87	23.09	32.11	71.16	103.27
16.	मिजोराम	0.00	27.95	27.95	0.00	21.83	21.83	0.00	16.44	16.44	0.00	66.22	66.22
17.	नागालैण्ड	41.25	12.57	53.82	30.47	14.77	45.24	29.08	13.54	42.62	100.80	40.88	141.68
18.	उड़ीसा	1152.28	515.31	1667.59	932.34	428.12	1360.46	901.13	525.06	1426.19	2985.75	1468.49	4454.24
19.	पंजाब	837.95	0.00	837.95	712.07	0.00	712.07	658.84	3.98	662.82	2208.86	3.98	2212.84
20.	राजस्थान	91.34	0.00	91.34	3.32	0.00	3.32	45.02	0.00	45.02	139.68	0.00	139.68
21.	सिक्किम	0.00	7.24	7.24	0.00	3.02	3.02	0.00	4.73	4.73	0.00	14.99	14.99
22.	तमिलनाडु	961.44	4.15	965.59	633.41	0.81	634.22	666.39	2.71	669.10	2261.24	7.67	2268.91
23.	त्रिपुरा	95.10	6.22	101.32	66.62	9.25	75.87	70.56	7.55	78.11	232.28	23.02	255.30
24.	उत्तर प्रदेश	2472.47	462.89	2935.36	1208.69	163.18	1371.87	1235.02	156.60	1391.62	4916.18	782.67	5698.85
25.	पश्चिम बंगाल	1606.73	758.72	2365.45	1379.35	511.25	1890.60	1176.90	430.25	1607.15	4162.98	1700.22	5863.20
26.	अखिल भारत	14619.10	4873.98	19493.08	9985.94	2595.13	12581.07	9193.54	2518.50	11712.04	33798.58	9987.61	43786.19

धान का उत्पादन – सिंचित/असिंचित
(वर्ष 1998-99 को समाप्त वर्षत्रय)

('000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	किसान की कोटि											
		छोटे			मध्यम			बड़े			सभी		
		सिंचित	असिंचित	कुल उत्पादन	सिंचित	असिंचित	कुल उत्पादन	सिंचित	असिंचित	कुल उत्पादन	सिंचित	असिंचित	कुल उत्पादन
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	आन्ध्र प्रदेश	6688.30	40.06	6728.36	5537.37	59.75	5597.12	4132.18	98.90	4231.08	16357.85	198.71	16556.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	23.86	42.48	66.34	22.59	26.47	49.06	26.01	23.65	49.66	72.46	92.60	165.06
3.	असम	367.59	2236.92	2604.51	231.88	1439.54	1671.42	301.33	1211.10	1512.43	900.80	4887.56	5788.36
4.	बिहार	1743.24	1872.48	3615.72	1573.18	1445.69	3018.87	1473.04	1166.68	2639.72	4789.46	4484.85	9274.31
5.	गोवा	25.26	101.86	127.12	7.38	32.03	39.41	3.37	20.72	24.09	36.01	154.61	190.62
6.	गुजरात	400.74	145.02	545.76	327.08	94.14	421.22	236.61	63.97	300.58	964.43	303.13	1267.56
7.	हरियाणा	1537.83	0.00	1537.83	1266.52	0.00	1266.52	1269.04	0.00	1269.04	4073.39	0.00	4073.39
8.	हिमाचल प्रदेश	44.33	20.49	64.82	29.08	9.69	38.77	23.96	18.44	42.40	97.37	48.62	145.99
9.	जम्मू और कश्मीर	237.72	47.72	285.44	144.92	52.82	197.74	146.41	58.42	204.83	529.05	158.96	688.01

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
10.	कर्नाटक	1296.68	995.87	2292.55	346.30	675.69	1021.99	399.42	436.60	836.02	2042.40	2108.16	4150.56
11.	केरल	187.66	212.87	400.53	167.68	165.12	332.80	172.06	162.33	334.39	527.40	540.32	1067.72
12.	मध्य प्रदेश	2297.92	1783.36	4081.28	1256.15	958.26	2214.41	1459.90	804.53	2264.43	5013.97	3546.15	8560.12
13.	महाराष्ट्र	261.07	1090.23	1351.30	208.46	802.08	1010.54	231.84	599.56	831.40	701.37	2491.87	3193.24
14.	मणिपुर	0.00	222.90	222.90	0.00	201.08	201.08	0.00	195.99	195.99	0.00	619.97	619.97
15.	मेघालय	51.55	76.38	127.93	28.53	32.50	61.03	24.64	30.95	55.59	104.72	139.83	244.55
16.	मिजोराम	50.08	30.31	80.39	33.83	24.21	58.04	26.55	21.02	47.57	110.46	75.54	186.00
17.	नागालैण्ड	33.41	81.98	115.39	19.93	63.24	83.17	27.58	67.11	94.69	80.92	212.33	293.25
18.	उड़ीसा	1664.23	1890.60	3554.83	1127.14	1517.31	2644.45	1168.86	1501.39	2670.25	3960.23	4909.30	8869.53
19.	पंजाब	4149.95	0.00	4149.95	3490.87	0.00	3490.87	3279.21	0.00	3279.21	10920.03	0.00	10920.03
20.	राजस्थान	156.96	0.00	156.96	5.77	0.00	5.77	90.12	0.00	90.12	252.85	0.00	252.85
21.	सिक्किम	13.79	0.00	13.79	5.97	0.00	5.97	8.32	0.00	8.32	28.08	0.00	28.08
22.	तमिलनाडु	3390.22	0.66	3390.88	2306.50	1.00	2307.50	2536.47	0.51	2536.98	8233.19	2.17	8235.36
23.	त्रिपुरा	232.63	129.12	361.75	188.30	90.53	278.83	204.47	77.28	281.75	625.40	296.93	922.33
24.	उत्तर प्रदेश	8370.91	146.62	8517.53	4227.64	49.96	4277.60	4078.96	46.89	4125.85	16677.51	243.47	16920.98
25.	पश्चिम बंगाल	5897.96	1736.85	7634.81	5236.76	1141.41	6378.17	4566.63	1076.25	5642.88	15701.35	3954.51	19655.86
26.	अखिल भारत	39123.89	12904.78	52028.67	27789.83	8882.52	36672.35	25886.98	7682.29	33569.27	92800.70	29469.59	122270.29

धान का जोत क्षेत्र – अधिक पैदावार वाली किस्में (एचवाईवी) और पारंपरिक किस्में (टीवी)

(वर्ष 1998-99 को समाप्त वर्षत्रय)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	किसान की कोटि											
		छोटे			मध्यम			बड़े			सभी		
		एचवाईवी	टीवी	कुल उत्पादन	एचवाईवी	टीवी	कुल उत्पादन	एचवाईवी	टीवी	कुल उत्पादन	एचवाईवी	टीवी	कुल उत्पादन
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	आन्ध्र प्रदेश	6647.62	80.74	6728.36	5567.68	29.44	5597.12	4174.29	56.79	4231.08	16389.59	166.97	16556.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.92	65.42	66.34	1.04	48.02	49.06	0.82	48.84	49.66	2.78	162.28	165.06
3.	असम	1466.07	1138.44	2604.51	838.96	832.46	1671.42	762.81	749.62	1512.43	3067.84	2720.52	5788.36
4.	बिहार	3176.76	438.96	3615.72	2719.54	299.33	3018.87	2391.67	248.05	2639.72	8287.97	986.34	9274.31
5.	गोवा	76.61	50.51	127.12	19.74	19.67	39.41	15.58	8.51	24.09	111.93	78.69	190.62
6.	गुजरात	227.1	318.66	545.76	141.68	279.54	421.22	126.45	174.13	300.58	495.23	772.33	1267.56
7.	हरियाणा	1506.02	31.81	1537.83	1229.86	36.66	1266.52	1238.23	30.81	1269.04	3974.11	99.28	4073.39
8.	हिमाचल प्रदेश	8.28	56.54	64.82	6.61	32.16	38.77	10.67	31.73	42.4	25.56	120.43	145.99
9.	जम्मू और कश्मीर	258.78	26.66	285.44	182.87	14.87	197.74	179.54	25.29	204.83	621.19	66.82	688.01

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
10.	कर्नाटक	1027.5	1265.05	2292.55	670.75	351.24	1021.99	474.79	361.23	836.02	2173.04	1977.52	4150.56
11.	केरल	330.31	70.22	400.53	278.15	54.65	332.8	274.2	60.19	334.39	882.66	185.06	1067.72
12.	मध्य प्रदेश	2926.31	1154.97	4081.28	1630.09	584.32	2214.41	1748.32	516.11	2264.43	6304.72	2255.40	8560.12
13.	महाराष्ट्र	1344.71	6.59	1351.3	997.83	12.71	1010.54	778.98	52.42	831.4	3121.52	71.72	3193.24
14.	मणिपुर	209.25	13.65	222.9	186.75	14.33	201.08	173.58	22.41	195.99	569.58	50.39	619.97
15.	मेघालय	51.78	76.15	127.93	26.22	34.81	61.03	21.35	34.24	55.59	99.35	145.20	244.55
16.	मिजोराम	0	80.39	80.39	0	58.04	58.04	0	47.57	47.57	0.00	186.00	186.00
17.	नागालैण्ड	90.54	24.85	115.39	58.65	24.52	83.17	68.25	26.44	94.69	217.44	75.81	293.25
18.	उड़ीसा	2524.91	1029.92	3554.83	1957.56	686.89	2644.45	1924.77	745.48	2670.25	6407.24	2462.29	8869.53
19.	पंजाब	4149.95	0	4149.95	3490.87	0	3490.87	3268.73	10.48	3279.21	10909.55	10.48	10920.03
20.	राजस्थान	156.96	0	156.96	5.77	0	5.77	90.12	0	90.12	252.85	0.00	252.85
21.	सिक्किम	0	13.79	13.79	0	5.97	5.97	1.2	7.12	8.32	1.20	26.88	28.08
22.	तमिलनाडु	3385.69	5.19	3390.88	2306.5	1	2307.5	2532.21	4.77	2536.98	8224.40	10.96	8235.36
23.	त्रिपुरा	344.41	17.34	361.75	257.94	20.89	278.83	262.03	19.72	281.75	864.38	57.95	922.33
24.	उत्तर प्रदेश	7500.82	1016.71	8517.53	3920.24	357.36	4277.6	3770.19	355.66	4125.85	15191.25	1729.73	16920.98
25.	पश्चिम बंगाल	6216.93	1417.88	7634.81	5395.53	982.64	6378.17	4812.24	830.64	5642.88	16424.70	3231.16	19655.86
26.	अखिल भारत	43628.23	8400.44	52028.67	31890.83	4781.52	36672.35	29101.02	4468.25	33569.27	104620.08	17650.21	122270.29

किसान परिवारों की खपत के लिए रोकी गई धान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त वर्षत्रय)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	किसान की कोटि							
		छोटे		मध्यम		बड़े		सभी	
		मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	कुल उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	1350.87	20.08	940.39	16.80	338.83	8.01	2630.09	15.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	32.45	48.91	21.80	44.44	20.04	40.35	74.29	45.01
3.	असम	1028.52	39.49	498.42	29.82	215.35	14.24	1742.29	30.10
4.	बिहार	2028.42	56.10	1193.51	39.53	820.40	31.08	4042.33	43.59
5.	गोवा	65.58	51.59	17.35	44.02	10.36	43.01	93.29	48.94
6.	गुजरात	129.24	23.68	40.29	9.57	33.41	11.12	202.94	16.01
7.	हरियाणा	75.35	4.90	37.97	3.00	25.76	2.03	139.08	3.41
8.	हिमाचल प्रदेश	57.75	89.09	30.88	79.65	27.98	65.99	116.61	79.88
9.	जम्मू और कश्मीर	136.83	47.94	92.44	46.75	51.66	25.22	280.93	40.83

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	336.15	14.66	243.49	23.83	196.46	23.50	776.10	18.70
11.	केरल	157.10	39.22	94.87	28.51	53.08	15.87	305.05	28.57
12.	मध्य प्रदेश	1276.27	31.27	587.35	26.52	415.59	18.35	2279.21	26.63
13.	महाराष्ट्र	975.54	72.19	608.18	60.18	472.85	56.87	2056.57	64.40
14.	मणिपुर	142.42	63.89	87.71	43.62	60.37	30.80	290.50	46.86
15.	मेघालय	62.57	48.91	24.70	40.47	17.06	30.69	104.33	42.66
16.	मिजोराम	40.36	50.21	24.56	42.32	19.10	40.15	84.02	45.17
17.	नागालैण्ड	46.31	40.13	16.11	19.37	17.78	18.78	80.20	27.35
18.	उड़ीसा	1436.58	40.41	847.42	32.05	555.00	20.78	2839.00	32.01
19.	पंजाब	34.79	0.84	18.14	0.52	15.14	0.46	68.07	0.62
20.	राजस्थान	5.40	3.44	0.15	2.60	1.47	1.63	7.02	2.78
21.	सिक्किम	4.92	35.68	1.84	30.82	2.41	28.97	9.17	32.66
22.	तमिलनाडु	1485.63	43.81	794.42	34.43	565.01	22.27	2845.06	34.55
23.	त्रिपुरा	231.61	64.02	124.80	44.76	81.18	28.81	437.59	47.44
24.	उत्तर प्रदेश	3595.95	42.22	1389.20	32.48	880.54	21.34	5865.69	34.67
25.	पश्चिम बंगाल	2281.61	29.88	1406.24	22.05	826.56	14.65	4514.41	22.97
26.	अखिल भारत	17018.22	32.71	9142.23	24.93	5723.39	17.05	31883.84	26.08

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	0.25	0.01	0.00	0.00	0.81	0.10	1.06	0.03
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.01	0.29	0.00
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.10	0.80	0.03
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.92	1.51	1.71	3.08	2.63	1.08
16.	मिजोराम	0.80	1.00	0.00	0.00	0.86	1.81	1.66	0.89
17.	नागालैण्ड	2.77	2.40	1.94	2.33	3.77	3.98	8.48	2.89
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.93	0.04	1.16	0.04	2.09	0.02
19.	पंजाब	1.53	0.04	2.74	0.08	3.71	0.11	7.98	0.07
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.69	0.02	3.23	0.14	6.49	0.26	10.41	0.13
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.41	0.15	0.93	0.33	1.34	0.15
24.	उत्तर प्रदेश	1.75	0.02	2.12	0.05	3.74	0.09	7.61	0.04
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.23	0.00	0.26	0.00	0.49	0.00
26.	अखिल भारत	55.04	0.11	75.54	0.21	78.43	0.23	209.01	0.17

अस्थायी श्रमिकों के खाने के लिए रोकी गई धान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त वर्षत्रय)

('000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	किसान की कोटि							
		छोटे		मध्यम		बड़े		सभी	
		मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	कुल उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	112.31	1.67	87.20	1.56	58.64	1.39	258.15	1.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.68	1.03	0.39	0.79	1.00	2.01	2.07	1.25
3.	असम	31.93	1.23	19.87	1.19	15.60	1.03	67.40	1.16
4.	बिहार	30.14	0.83	50.09	1.66	54.87	2.08	135.10	1.46
5.	गोवा	0.00	0.00	0.01	0.03	0.02	0.08	0.03	0.02
6.	गुजरात	5.27	0.97	2.99	0.71	3.12	1.04	11.38	0.90
7.	हरियाणा	4.38	0.28	5.04	0.40	4.18	0.33	13.60	0.33
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01
9.	जम्मू और कश्मीर	1.10	0.39	1.48	0.75	2.37	1.16	4.95	0.72

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	12.12	0.53	6.01	0.59	3.06	0.37	21.19	0.51
11.	केरल	8.03	2.00	7.59	2.28	6.85	2.05	22.47	2.10
12.	मध्य प्रदेश	112.22	2.75	52.09	2.35	30.98	1.37	195.29	2.28
13.	महाराष्ट्र	13.83	1.02	15.98	1.58	13.01	1.56	42.82	1.34
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	2.65	2.07	2.35	3.85	2.77	4.98	7.77	3.18
16.	मिजोराम	0.96	1.19	0.87	1.50	0.62	1.30	2.45	1.32
17.	नागालैण्ड	4.34	3.76	3.28	3.94	3.08	3.25	10.70	3.65
18.	उड़ीसा	53.96	1.52	53.04	2.01	49.36	1.85	156.36	1.76
19.	पंजाब	21.41	0.52	15.77	0.45	15.26	0.47	52.44	0.48
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.69	5.00	0.06	1.01	0.00	0.00	0.75	2.67
22.	तमिलनाडु	45.39	1.34	34.13	1.48	32.73	1.29	112.25	1.36
23.	त्रिपुरा	5.18	1.43	4.80	1.72	5.88	2.09	15.86	1.72
24.	उत्तर प्रदेश	146.07	1.71	130.52	3.05	138.83	3.36	415.42	2.46
25.	पश्चिम बंगाल	375.35	4.92	344.14	5.40	238.51	4.23	958.00	4.87
26.	अखिल भारत	988.01	1.90	837.70	2.28	680.75	2.03	2506.46	2.05

फार्म स्तर पर खपत के लिए रोकी गई कुल धान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

('000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	किसान की कोटि							
		छोटे		मध्यम		बड़े		सभी	
		मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	कुल उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	1503.00	22.34	1081.25	19.32	437.54	10.34	3021.79	18.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.79	50.93	22.93	46.73	21.04	42.36	77.76	47.10
3.	असम	1066.75	40.96	525.56	31.44	243.07	16.07	1835.38	31.71
4.	बिहार	2058.56	56.93	1243.64	41.20	875.28	33.16	4177.48	45.04
5.	गोवा	65.58	51.59	17.36	44.05	10.38	43.09	93.32	48.96
6.	गुजरात	134.51	24.65	43.28	10.27	36.53	12.15	214.32	16.91
7.	हरियाणा	80.20	5.22	44.32	3.50	31.64	2.49	156.16	3.83
8.	हिमाचल प्रदेश	57.75	89.09	30.88	79.65	27.99	66.01	116.62	79.88
9.	जम्मू और कश्मीर	137.93	48.32	93.92	47.50	54.03	26.38	285.88	41.55

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	348.52	15.20	249.50	24.41	200.33	23.96	798.35	19.23
11.	केरल	165.13	41.23	102.46	30.79	59.93	17.92	327.52	30.67
12.	मध्य प्रदेश	1388.49	34.02	639.44	28.88	446.86	19.73	2474.79	28.91
13.	महाराष्ट्र	989.37	73.22	624.16	61.76	486.66	58.54	2100.19	65.77
14.	मणिपुर	142.42	63.89	87.71	43.62	60.37	30.80	290.50	46.86
15.	मेघालय	65.22	50.98	27.97	45.83	21.54	38.75	114.73	46.91
16.	मिजोराम	42.12	52.39	25.43	43.81	20.58	43.26	88.13	47.38
17.	नागालैण्ड	53.42	46.30	21.33	25.65	24.63	26.01	99.38	33.89
18.	उड़ीसा	1490.54	41.93	901.39	34.09	605.52	22.68	2997.45	33.79
19.	पंजाब	57.73	1.39	36.65	1.05	34.11	1.04	128.49	1.18
20.	राजस्थान	5.40	3.44	0.15	2.60	1.47	1.63	7.02	2.78
21.	सिक्किम	5.61	40.68	1.90	31.83	2.41	28.97	9.92	35.33
22.	तमिलनाडु	1531.71	45.17	831.78	36.05	604.23	23.82	2967.72	36.04
23.	त्रिपुरा	236.79	65.46	130.01	46.63	87.99	31.23	454.79	49.31
24.	उत्तर प्रदेश	3743.77	43.95	1521.84	35.58	1023.11	24.80	6288.72	37.17
25.	पश्चिम बंगाल	2656.96	34.80	1750.61	27.45	1065.33	18.88	5472.90	27.84
26.	अखिल भारत	18061.27	34.71	10055.47	27.42	6482.57	19.31	34599.31	28.30

किसान परिवारों द्वारा की गई धान की कुल खरीद
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

('000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	किसान की कोटि							
		छोटे		मध्यम		बड़े		सभी	
		मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	कुल उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	509.59	7.57	90.15	1.61	33.01	0.78	632.75	3.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.70	1.06	0.26	0.53	0.05	0.1	1.01	0.61
3.	असम	118.77	4.56	21.33	1.28	1.92	0.13	142.02	2.45
4.	बिहार	456.2	12.62	56.11	1.86	8.77	0.33	521.08	5.62
5.	गोवा	22.87	17.99	3.05	7.74	0.62	2.57	26.54	13.92
6.	गुजरात	0.53	0.1	0.33	0.08	0.5	0.17	1.36	0.11
7.	हरियाणा	2.19	0.14	0.61	0.05	0.42	0.03	3.22	0.08
8.	हिमाचल प्रदेश	42.68	65.84	15.8	40.75	5.4	12.74	63.88	43.76
9.	जम्मू और कश्मीर	36.32	12.72	9.81	4.96	6.01	2.93	52.14	7.58

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	153.89	6.71	64.9	6.35	31.07	3.72	249.86	6.02
11.	केरल	59.36	14.82	10.34	3.11	3.12	0.93	72.82	6.82
12.	मध्य प्रदेश	159.92	3.92	62.29	2.81	84.85	3.75	307.06	3.59
13.	महाराष्ट्र	944.78	69.92	231.34	22.89	69.36	8.34	1245.48	39
14.	मणिपुर	16.05	7.2	1.77	0.88	0.93	0.47	18.75	3.02
15.	मेघालय	19.62	15.34	2.24	3.67	0.13	0.23	21.99	8.99
16.	मिजोराम	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैण्ड	2.21	1.92	1.31	1.58	0.41	0.43	3.93	1.34
18.	उड़ीसा	916.96	25.79	245.4	9.28	75.08	2.81	1237.44	13.95
19.	पंजाब	2.67	0.06	0.91	0.03	0.19	0.01	3.77	0.03
20.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	सिक्किम	0	0	0.12	2.01	0.07	0.84	0.19	0.68
22.	तमिलनाडु	830.06	24.48	316.26	13.71	121.23	4.78	1267.55	15.39
23.	त्रिपुरा	49.58	13.71	3.26	1.17	2.46	0.87	55.3	6
24.	उत्तर प्रदेश	462.33	5.43	65.53	1.53	26.78	0.65	554.64	3.28
25.	पश्चिम बंगाल	84.8	1.11	4.92	0.08	0.14	0	89.86	0.46
26.	अखिल भारत	4892.08	9.40	1208.04	3.29	472.52	1.41	6572.64	5.38

किसान परिवारों द्वारा खरीद सहित खपत के लिए आवश्यक कुल धान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

('000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	किसान की कोटि							
		छोटे		मध्यम		बड़े		सभी	
		मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	कुल उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	2012.59	29.91	1171.40	20.93	470.55	11.12	3654.54	22.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	34.49	51.99	23.19	47.26	21.09	42.46	78.77	47.72
3.	असम	1185.52	45.52	546.89	32.72	244.99	16.20	1977.40	34.16
4.	बिहार	2514.76	69.55	1299.75	43.05	884.05	33.49	4698.56	50.66
5.	गोवा	88.45	69.58	20.41	51.79	11.00	45.66	119.86	62.88
6.	गुजरात	135.04	24.74	43.61	10.35	37.03	12.32	215.68	17.02
7.	हरियाणा	82.39	5.36	44.93	3.55	32.06	2.53	159.38	3.91
8.	हिमाचल प्रदेश	100.43	154.94	46.68	120.40	33.39	78.75	180.50	123.64
9.	जम्मू और कश्मीर	174.25	61.05	103.73	52.46	60.04	29.31	338.02	49.13

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	502.41	21.91	314.40	30.76	231.40	27.68	1048.21	25.25
11.	केरल	224.49	56.05	112.80	33.89	63.05	18.86	400.34	37.49
12.	मध्य प्रदेश	1548.41	37.94	701.73	31.69	531.71	23.48	2781.85	32.50
13.	महाराष्ट्र	1934.15	143.13	855.50	84.66	556.02	66.88	3345.67	104.77
14.	मणिपुर	158.47	71.09	89.48	44.50	61.30	31.28	309.25	49.88
15.	मेघालय	84.84	66.32	30.21	49.50	21.67	38.98	136.72	55.91
16.	मिजोराम	42.12	52.39	25.43	43.81	20.58	43.26	88.13	47.38
17.	नागालैण्ड	55.63	48.21	22.64	27.22	25.04	26.44	103.31	35.23
18.	उड़ीसा	2407.50	67.72	1146.79	43.37	680.60	25.49	4234.89	47.75
19.	पंजाब	60.40	1.46	37.56	1.08	34.30	1.05	132.26	1.21
20.	राजस्थान	5.40	3.44	0.15	2.60	1.47	1.63	7.02	2.78
21.	सिक्किम	5.61	40.68	2.02	33.84	2.48	29.81	10.11	36.00
22.	तमिलनाडु	2361.77	69.65	1148.04	49.75	725.46	28.60	4235.27	51.43
23.	त्रिपुरा	286.37	79.16	133.27	47.80	90.45	32.10	510.09	55.31
24.	उत्तर प्रदेश	4206.10	49.38	1587.37	37.11	1049.89	25.45	6843.36	40.44
25.	पश्चिम बंगाल	2741.76	35.91	1755.53	27.52	1065.47	18.88	5562.76	28.30
26.	अखिल भारत	22953.35	44.12	11263.51	30.71	6955.09	20.72	41171.95	33.67

बीज के लिए रोकी गई कुल धान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	किसान की कोटि							
		छोटे		मध्यम		बड़े		सभी	
		मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	कुल उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	31.62	0.47	27.97	0.50	25.04	0.59	84.63	0.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.71	1.07	0.54	1.10	1.02	2.05	2.27	1.38
3.	असम	27.73	1.06	15.09	0.90	13.55	0.90	56.37	0.97
4.	बिहार	121.98	3.37	104.98	3.48	92.86	3.52	319.82	3.45
5.	गोवा	4.81	3.78	1.26	3.20	0.91	3.78	6.98	3.66
6.	गुजरात	1.80	0.33	1.11	0.26	1.38	0.46	4.29	0.34
7.	हरियाणा	3.39	0.22	2.40	0.19	2.52	0.20	8.31	0.20
8.	हिमाचल प्रदेश	3.41	5.26	2.09	5.39	2.59	6.11	8.09	5.54
9.	जम्मू और कश्मीर	4.89	1.71	3.82	1.93	3.69	1.80	12.40	1.80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	34.29	1.50	20.83	2.04	18.38	2.20	73.50	1.77
11.	केरल	13.09	3.27	11.60	3.49	11.36	3.40	36.05	3.38
12.	मध्य प्रदेश	113.23	2.77	69.00	3.12	112.89	4.99	295.12	3.45
13.	महाराष्ट्र	56.85	4.21	41.00	4.06	37.18	4.47	135.03	4.23
14.	मणिपुर	5.96	2.67	5.46	2.72	5.10	2.60	16.52	2.66
15.	मेघालय	1.84	1.44	0.80	1.31	0.73	1.31	3.37	1.38
16.	मिजोराम	1.13	1.41	0.70	1.21	0.52	1.09	2.35	1.26
17.	नागालैण्ड	3.09	2.68	1.95	2.34	2.16	2.28	7.20	2.46
18.	उड़ीसा	124.38	3.50	102.72	3.88	102.95	3.86	330.05	3.72
19.	पंजाब	21.41	0.52	19.02	0.54	15.76	0.48	56.19	0.51
20.	राजस्थान	9.54	6.08	0.31	5.37	3.73	4.14	13.58	5.37
21.	सिक्किम	0.27	1.96	0.13	2.18	0.13	1.56	0.53	1.89
22.	तमिलनाडु	80.48	2.37	59.22	2.57	56.35	2.22	196.05	2.38
23.	त्रिपुरा	7.92	2.19	6.23	2.23	6.02	2.14	20.17	2.19
24.	उत्तर प्रदेश	159.45	1.87	84.91	1.98	81.18	1.97	325.54	1.92
25.	पश्चिम बंगाल	71.21	0.93	60.49	0.95	57.75	1.02	189.45	0.96
26.	अखिल भारत	904.48	1.74	643.63	1.76	655.75	1.95	2203.86	1.80

अनुलग्नक-XI-कबीज के लिए रोकी गई कुल धान - सिंचित/असिंचित

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सिंचित			असिंचित			रोकी गई कुल मात्रा
		क्षेत्र	रोकी गई मात्रा	कॉलम नं. 9 का %	क्षेत्र	रोकी गई मात्रा	कॉलम नं. 9 का %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	आन्ध्र प्रदेश	975.62	83.88	99.11	23.30	0.75	0.89	84.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.35	1.51	66.67	0.69	0.76	33.33	2.27
3.	असम	271.73	14.10	25.02	1055.16	42.27	74.98	56.37
4.	बिहार	2391.51	147.71	46.18	2596.91	172.11	53.82	319.82
5.	गोवा	6.03	2.34	33.50	17.99	4.64	66.50	6.98
6.	गुजरात	14.39	2.32	54.00	7.41	1.97	46.00	4.29
7.	हरियाणा	416.22	8.31	100.00	10.72	0.00	0.00	8.31
8.	हिमाचल प्रदेश	5.67	3.96	48.89	6.53	4.13	51.11	8.09
9.	जम्मू और कश्मीर	153.48	8.87	71.56	76.52	3.53	28.44	12.40
10.	कर्नाटक	85.41	6.12	8.33	986.54	67.38	91.67	73.50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	केरल	219.31	21.47	59.56	152.42	14.58	40.44	36.05
12.	मध्य प्रदेश	1350.62	185.46	62.84	848.66	109.66	37.16	295.12
13.	महाराष्ट्र	239.05	46.80	34.66	767.41	88.23	65.34	135.03
14.	मणिपुर	0.00	0.02	0.11	147.75	16.50	99.89	16.52
15.	मेघालय	16.05	2.03	60.20	12.83	1.34	39.80	3.37
16.	मिजोराम	0.00	2.35	0.00	0.02	0.00	0.00	2.35
17.	नागालैण्ड	30.70	1.37	19.09	73.90	5.83	80.91	7.20
18.	उड़ीसा	947.41	91.68	27.78	2340.90	238.37	72.22	330.05
19.	पंजाब	2133.12	56.02	99.70	0.00	0.17	0.30	56.19
20.	राजस्थान	0.41	13.01	95.80	0.00	0.57	4.20	13.58
21.	सिक्किम	2.96	0.48	90.00	0.12	0.05	10.00	0.53
22.	तमिलनाडु	2562.13	195.98	99.96	3.31	0.07	0.04	196.05
23.	त्रिपुरा	171.78	13.45	66.68	100.55	6.72	33.32	20.17
24.	उत्तर प्रदेश	4228.47	324.30	99.62	14.20	1.24	0.38	325.54
25.	पश्चिम बंगाल	2720.95	164.99	87.09	156.10	24.46	12.91	189.45
26.	अखिल भारत	18944.37	1398.52	63.46	9399.94	805.34	36.54	2203.86

जानवरों को खिलाने के लिए रोकी गई कुल धान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	किसान की कोटि							
		छोटे		मध्यम		बड़े		सभी	
		मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	कुल उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.03	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.07	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02	0.04	0.05	0.03
3.	असम	37.32	1.43	18.53	1.11	12.54	0.83	68.39	1.18
4.	बिहार	0.38	0.01	0.09	0.00	0.72	0.03	1.19	0.01
5.	गोवा	0.26	0.20	0.00	0.00	0.05	0.21	0.31	0.16
6.	गुजरात	0.30	0.05	0.01	0.00	0.06	0.02	0.37	0.03
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.03	0.44	0.01
8.	हिमाचल प्रदेश	0.01	0.02	0.01	0.03	0.00	0.00	0.02	0.01
9.	जम्मू और कश्मीर	2.50	0.88	0.78	0.39	0.88	0.43	4.16	0.60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	5.75	0.25	7.84	0.77	8.01	0.96	21.60	0.52
11.	केरल	0.20	0.05	0.00	0.00	0.10	0.03	0.30	0.03
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.43	0.02	0.20	0.01	0.63	0.01
13.	महाराष्ट्र	0.29	0.02	3.21	0.32	1.46	0.18	4.96	0.16
14.	मणिपुर	0.30	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.05
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोराम	0.00	0.00	0.29	0.50	0.38	0.80	0.67	0.36
17.	नागालैण्ड	3.55	3.08	1.77	2.13	1.78	1.88	7.10	2.42
18.	उड़ीसा	0.40	0.01	0.08	0.00	0.27	0.01	0.75	0.01
19.	पंजाब	10.36	0.25	7.35	0.21	6.00	0.18	23.71	0.22
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.02	0.35	0.15	0.17	0.17	0.07
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.24	0.02	0.07
22.	तमिलनाडु	0.55	0.02	2.09	0.09	0.00	0.00	2.64	0.03
23.	त्रिपुरा	0.38	0.11	0.21	0.08	0.88	0.31	1.47	0.16
24.	उत्तर प्रदेश	26.14	0.31	8.77	0.21	7.82	0.19	42.73	0.25
25.	पश्चिम बंगाल	13.01	0.17	11.73	0.18	9.94	0.18	34.68	0.18
26.	अखिल भारत	101.74	0.20	63.26	0.17	51.73	0.15	216.73	0.18

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	261.23	261.23	261.23	11.39
11.	केरल	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.07
12.	मध्य प्रदेश	19.45	3.23	22.68	0.98	1.55	2.53	25.21	0.62
13.	महाराष्ट्र	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	0.08
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16	0.16	0.13
16.	मिजोराम	0.00	0.00	0.00	0.11	5.17	5.28	5.28	6.57
17.	नागालैण्ड	18.07	0.39	18.46	3.36	0.00	3.36	21.82	18.91
18.	उड़ीसा	1.60	1.25	2.85	1.00	0.41	1.41	4.26	0.12
19.	पंजाब	3.33	0.00	3.33	21.71	6.89	28.60	31.93	0.77
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	5.85	0.45	6.30	6.63	1.76	8.39	14.69	0.43
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.42	0.00	0.42	1.15	0.00	1.15	1.57	0.02
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	अखिल भारत	92.31	19.30	111.61	181.92	295.99	477.91	589.52	1.13

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.05
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	51.26	8.44	59.70	4.11	4.93	9.04	68.74	3.10
13.	महाराष्ट्र	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	0.09
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.03	0.03	5.38	0.20	5.58	5.61	9.19
16.	मिजोराम	0.33	0.00	0.33	0.15	3.21	3.36	3.69	6.36
17.	नागालैण्ड	13.41	0.00	13.41	4.44	0.00	4.44	17.85	21.46
18.	उड़ीसा	7.01	2.62	9.63	0.34	0.68	1.02	10.65	0.40
19.	पंजाब	4.35	0.00	4.35	29.32	7.99	37.31	41.66	1.19
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	14.88	2.28	17.16	15.78	5.38	21.16	38.32	1.66
23.	त्रिपुरा	0.00	2.98	2.98	1.96	0.51	2.47	5.45	1.95
24.	उत्तर प्रदेश	0.71	0.00	0.71	1.11	0.00	1.11	1.82	0.04
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	अखिल भारत	189.12	42.45	231.57	218.16	115.70	333.86	565.43	1.54

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	जम्मू और कश्मीर	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	1.14	0.56
10.	कर्नाटक	0.09	0.00	0.09	1.37	6.91	8.28	8.37	1.00
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.22
12.	मध्य प्रदेश	77.12	17.37	94.49	21.58	7.04	28.62	123.11	5.44
13.	महाराष्ट्र	0.53	0.01	0.54	1.12	2.19	3.31	3.85	0.46
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	2.43	0.35	2.78	2.78	5.00
16.	मिजोराम	0.00	0.00	0.00	0.94	2.62	3.56	3.56	7.48
17.	नागालैण्ड	9.83	0.30	10.13	6.94	0.01	6.95	17.08	18.04
18.	उड़ीसा	10.74	1.73	12.47	8.82	0.44	9.26	21.73	0.81
19.	पंजाब	1.75	0.00	1.75	33.73	7.38	41.11	42.86	1.31
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.82	9.86
22.	तमिलनाडु	22.83	3.68	26.51	24.35	10.70	35.05	61.56	2.43
23.	त्रिपुरा	5.29	5.65	10.94	3.62	2.56	6.18	17.12	6.08
24.	उत्तर प्रदेश	0.45	0.00	0.45	4.48	0.00	4.48	4.93	0.12
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	अखिल भारत	262.67	67.78	330.45	268.30	125.33	393.63	724.08	2.16

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	जम्मू और कश्मीर	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	1.14	0.17
10.	कर्नाटक	0.55	0.00	0.55	1.37	268.14	269.51	270.06	6.51
11.	केरल	0.00	0.27	0.27	0.00	0.72	0.72	0.99	0.09
12.	मध्य प्रदेश	147.83	29.04	176.87	26.67	13.52	40.19	217.06	2.54
13.	महाराष्ट्र	1.40	1.13	2.53	1.12	2.19	3.31	5.84	0.18
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.03	0.03	7.97	0.55	8.52	8.55	3.50
16.	मिजोराम	0.33	0.00	0.33	1.20	11.00	12.20	12.53	6.74
17.	नागालैण्ड	41.31	0.69	42.00	14.74	0.01	14.75	56.75	19.35
18.	उड़ीसा	19.35	5.60	24.95	10.16	1.53	11.69	36.64	0.41
19.	पंजाब	9.43	0.00	9.43	84.76	22.26	107.02	116.45	1.07
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.82	2.92
22.	तमिलनाडु	43.56	6.41	49.97	46.76	17.84	64.60	114.57	1.39
23.	त्रिपुरा	5.29	8.63	13.92	5.58	3.07	8.65	22.57	2.45
24.	उत्तर प्रदेश	1.58	0.00	1.58	6.74	0.00	6.74	8.32	0.05
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	अखिल भारत	544.10	129.53	673.63	668.38	537.02	1205.40	1879.03	1.54

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	जम्मू और कश्मीर	2.52	1.74	0.00	0.00	2.15	1.98	0.01	0.04	2.15	10.59
10.	कर्नाटक	8.29	3.56	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	13.97
11.	केरल	17.54	12.70	0.00	0.00	0.00	3.30	0.02	0.03	8.38	41.97
12.	मध्य प्रदेश	244.34	20.11	5.32	0.00	0.00	7.53	0.00	0.00	148.63	425.93
13.	महाराष्ट्र	4.70	0.27	0.00	0.00	0.00	4.64	0.00	0.00	5.07	14.68
14.	मणिपुर	1.84	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96	19.57
15.	मेघालय	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	6.56	11.40
16.	मिजोराम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	3.39	0.44	0.07	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	21.41	25.94
18.	उड़ीसा	60.61	18.89	7.60	0.19	0.29	3.07	0.46	0.19	67.05	158.35
19.	पंजाब	203.49	213.19	3.49	193.40	0.00	154.31	1.88	368.10	1475.34	2613.20
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.52
22.	तमिलनाडु	96.69	57.96	1.97	2.46	0.00	425.50	451.43	1.55	62.12	1099.68
23.	त्रिपुरा	22.66	4.24	0.65	0.00	0.00	0.72	0.00	5.85	31.65	65.77
24.	उत्तर प्रदेश	119.19	59.92	0.85	0.00	0.00	28.44	10.35	255.73	193.99	668.47
25.	पश्चिम बंगाल	670.77	46.25	0.00	0.00	0.00	127.55	0.24	202.18	1475.20	2522.19
26.	अखिल भारत	2456.17	792.89	93.37	246.90	7.99	1111.52	500.65	950.26	4037.48	10197.23

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	जम्मू और कश्मीर	2.15	1.75	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.86	4.80
10.	कर्नाटक	5.86	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	12.15
11.	केरल	26.46	17.28	0.10	0.00	0.00	6.77	0.08	2.01	12.22	64.92
12.	मध्य प्रदेश	117.17	16.01	1.46	0.00	5.80	2.48	0.00	0.67	93.88	237.47
13.	महाराष्ट्र	5.21	0.09	1.13	0.00	0.00	0.00	0.04	0.53	4.32	11.32
14.	मणिपुर	3.44	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.48	32.31
15.	मेघालय	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	3.64	7.05
16.	मिजोराम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	4.33	0.27	0.13	0.00	0.00	0.55	0.00	0.15	24.54	29.97
18.	उड़ीसा	79.34	17.71	7.63	0.00	0.00	0.34	0.66	0.64	97.28	203.60
19.	पंजाब	173.26	178.12	6.59	112.32	0.87	121.80	1.25	74.07	417.19	1085.47
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06
22.	तमिलनाडु	85.72	52.03	0.85	3.51	2.59	106.08	8.96	1.34	51.50	312.58
23.	त्रिपुरा	18.52	4.16	1.08	0.13	0.00	0.00	0.00	16.17	30.95	71.01
24.	उत्तर प्रदेश	77.66	67.10	3.71	0.00	0.00	13.01	5.94	175.80	168.88	512.10
25.	पश्चिम बंगाल	505.28	29.60	0.00	0.00	0.00	223.16	0.14	161.23	1452.89	2372.30
26.	अखिल भारत	3387.67	961.79	61.19	134.00	10.05	740.55	49.52	521.79	2800.91	8667.47

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	जम्मू और कश्मीर	3.81	2.85	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.94	7.79
10.	कर्नाटक	4.88	2.63	0.18	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	14.37	22.57
11.	केरल	33.09	19.12	0.01	0.00	0.10	6.93	0.12	0.17	13.95	73.49
12.	मध्य प्रदेश	109.34	23.51	1.42	0.00	0.00	8.52	0.00	1.52	103.14	247.45
13.	महाराष्ट्र	3.26	0.66	0.13	0.03	0.00	0.20	0.19	22.08	8.86	35.41
14.	मणिपुर	2.96	8.76	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	25.99	38.00
15.	मेघालय	2.76	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	4.23	7.21
16.	मिजोराम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	5.41	2.58	0.22	0.00	0.00	0.79	0.03	0.27	25.38	34.68
18.	उड़ीसा	111.58	25.96	10.68	0.00	0.05	1.83	0.87	6.38	120.07	277.42
19.	पंजाब	124.02	158.73	2.39	67.73	0.00	71.75	1.37	56.04	332.72	814.75
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.53
22.	तमिलनाडु	100.76	51.55	0.37	0.00	1.46	110.69	8.81	2.75	66.13	342.52
23.	त्रिपुरा	32.52	7.52	0.98	0.00	2.48	0.39	0.05	8.03	44.29	96.26
24.	उत्तर प्रदेश	88.48	50.70	2.29	0.68	0.23	18.00	13.97	157.00	139.47	470.82
25.	पश्चिम बंगाल	470.14	104.34	0.42	0.00	0.00	220.87	1.05	160.81	1421.90	2379.53
26.	अखिल भारत	1561.83	707.60	50.51	75.90	6.60	633.91	51.69	503.96	2739.72	6331.72

अस्थायी खेतिहर मजदूरों को नकद भुगतान और अन्य उद्देश्यों के लिए धान का सदुपयोग
(वर्तमान फसल वर्ष की बिक्री से) – सभी वर्गों के किसान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

('000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रयुक्त मात्रा									वस्तु रूप में कुल भुगतान
		अस्थायी खेतिहर मजदूर	कृषि मशीन व उपस्कर	ग्रामीण कारीगरों को भुगतान	भू-स्वामियों का किराया	भू-स्वामियों के उत्पादन का अंश	ऋण की वापसी	भू-राजस्व	सिंचाई प्रभार और अन्य उपकर	अन्य	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	आन्ध्र प्रदेश	3362.65	918.60	138.93	6.28	5.33	269.86	72.79	83.83	658.96	5517.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.48	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.46	1.22
3.	असम	75.55	10.09	0.58	0.09	0.22	0.05	10.65	7.98	68.65	173.86
4.	बिहार	0.82	62.27	0.11	0.00	0.00	2.13	0.75	12.83	182.15	261.06
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	144.15	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.06	0.10	2.85	147.19
7.	हरियाणा	160.60	175.52	3.51	69.40	3.07	541.60	8.94	189.91	445.54	1598.09
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	जम्मू और कश्मीर	8.48	6.34	0.19	0.00	2.15	1.98	0.02	0.07	3.95	23.18
10.	कर्नाटक	19.03	8.23	0.18	0.29	0.00	0.51	0.00	0.00	20.45	48.69
11.	केरल	77.09	49.10	0.11	0.00	0.10	17.00	0.22	2.21	34.55	180.38
12.	मध्य प्रदेश	470.85	59.63	8.20	0.00	5.80	18.53	0.00	2.19	345.65	910.85
13.	महाराष्ट्र	13.17	1.02	1.26	0.03	0.00	4.84	0.23	22.61	18.25	61.41
14.	मणिपुर	8.24	19.92	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	61.43	89.88
15.	मेघालय	10.47	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	14.43	25.66
16.	मिजोराम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	13.13	3.29	0.42	0.00	0.00	1.97	0.03	0.42	71.33	90.59
18.	उड़ीसा	251.53	62.56	25.91	0.19	0.34	5.24	1.99	7.21	284.40	639.37
19.	पंजाब	500.77	550.04	12.47	373.45	0.87	347.86	4.50	498.21	2225.25	4513.42
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	1.11
22.	तमिलनाडु	283.17	161.54	3.19	5.97	4.05	642.27	469.20	5.64	179.75	1754.78
23.	त्रिपुरा	73.70	15.92	2.71	0.13	2.48	1.11	0.05	30.05	106.89	233.04
24.	उत्तर प्रदेश	285.33	177.72	6.85	0.68	0.23	59.45	30.26	588.53	502.34	1651.39
25.	पश्चिम बंगाल	1646.19	180.19	0.42	0.00	0.00	571.58	1.43	524.22	4349.99	7274.02
26.	अखिल भारत	7405.67	2462.28	205.07	456.80	24.64	2485.98	601.86	1976.01	9578.11	25196.42

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	जम्मू और कश्मीर	3.18	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	1.09	6.94
10.	कर्नाटक	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.15	174.17
11.	केरल	3.60	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	6.58
12.	मध्य प्रदेश	38.27	4.50	0.00	0.00	0.00	9.38	0.00	0.00	148.30	200.45
13.	महाराष्ट्र	28.59	0.97	1.83	1.30	0.23	0.00	0.43	0.50	4.97	38.82
14.	मणिपुर	6.01	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	22.16	31.69
15.	मेघालय	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.25
16.	मिजोराम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.22	0.54
18.	उड़ीसा	186.20	30.43	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	1.17	226.53
19.	पंजाब	8.35	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	16.03	34.16
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	67.56	30.26	0.12	0.00	0.00	3.57	1.12	1.71	48.27	152.61
23.	त्रिपुरा	7.91	0.20	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.08	1.20	9.69
24.	उत्तर प्रदेश	24.26	0.35	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42	7.41	37.54
25.	पश्चिम बंगाल	232.93	1.50	0.00	0.00	0.00	19.11	0.00	21.20	189.23	463.97
26.	अखिल भारत	4889.51	233.01	12.00	1.88	0.76	32.40	8.24	43.62	1456.16	6677.58

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	जम्मू और कश्मीर	2.30	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.20	4.98
10.	कर्नाटक	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23	37.82
11.	केरल	6.60	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	12.32
12.	मध्य प्रदेश	42.65	7.66	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	156.27	208.17
13.	महाराष्ट्र	24.34	3.01	1.96	0.03	0.00	0.00	0.53	0.47	6.60	36.94
14.	मणिपुर	12.20	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	30.74	49.93
15.	मेघालय	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.34
16.	मिजोराम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.57
18.	उड़ीसा	162.18	26.90	1.40	0.00	0.00	0.00	0.02	0.78	2.42	193.70
19.	पंजाब	8.24	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	16.53	34.47
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	59.91	29.97	0.07	0.00	0.00	0.42	0.56	2.19	43.45	136.57
23.	त्रिपुरा	7.87	0.51	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.70	9.57
24.	उत्तर प्रदेश	22.21	1.13	0.19	0.00	0.00	0.00	0.78	5.13	7.94	37.38
25.	पश्चिम बंगाल	272.26	4.75	0.37	0.00	0.00	22.13	0.00	16.21	232.84	548.56
26.	अखिल भारत	2190.02	505.83	4.66	0.12	0.10	25.56	5.34	38.00	1021.88	3791.51

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	जम्मू और कश्मीर	1.50	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.38	0.21	2.86
10.	कर्नाटक	26.10	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	28.07	55.82
11.	केरल	6.98	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	12.71
12.	मध्य प्रदेश	37.45	9.19	0.00	0.00	0.00	3.41	0.00	0.04	14.85	64.94
13.	महाराष्ट्र	23.84	5.20	1.33	0.16	0.17	1.02	0.47	0.39	9.42	42.00
14.	मणिपुर	12.56	6.48	0.00	0.39	0.00	0.00	0.11	0.00	31.30	50.84
15.	मेघालय	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.71	0.89
16.	मिजोराम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.92	0.13	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.09	0.96	2.17
18.	उड़ीसा	223.04	38.45	1.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.49	2.41	265.53
19.	पंजाब	4.38	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	9.83	18.72
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	69.74	31.43	0.15	0.00	1.10	4.08	0.18	0.52	48.26	155.46
23.	त्रिपुरा	8.93	1.36	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.22	12.00
24.	उत्तर प्रदेश	29.18	1.74	0.18	0.00	0.00	0.47	0.77	3.98	7.63	43.95
25.	पश्चिम बंगाल	258.14	9.85	0.00	0.22	0.00	12.07	0.00	26.19	292.04	598.51
26.	अखिल भारत	1138.29	241.48	4.04	0.92	1.38	21.61	4.68	43.91	852.05	2308.36

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	जम्मू और कश्मीर	6.98	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	2.31	1.50	14.78
10.	कर्नाटक	47.71	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	218.45	267.81
11.	केरल	17.18	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	31.61
12.	मध्य प्रदेश	118.37	21.35	0.00	0.00	0.00	14.38	0.00	0.04	319.42	473.56
13.	महाराष्ट्र	76.77	9.18	5.12	1.49	0.40	1.02	1.43	1.36	20.99	117.76
14.	मणिपुर	30.77	16.73	0.00	0.39	0.00	0.00	0.37	0.00	84.20	132.46
15.	मेघालय	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	1.02	1.48
16.	मिजोराम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	1.26	0.13	0.05	0.00	0.00	0.11	0.00	0.09	1.64	3.28
18.	उड़ीसा	571.42	95.78	10.89	0.01	0.00	0.00	0.02	1.64	6.00	685.76
19.	पंजाब	20.97	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	42.39	87.35
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	197.21	91.66	0.34	0.00	1.10	8.07	1.86	4.42	139.98	444.64
23.	त्रिपुरा	24.71	2.07	0.65	0.00	0.00	0.10	0.00	0.61	3.12	31.26
24.	उत्तर प्रदेश	75.65	3.22	0.47	0.00	0.00	0.47	1.55	14.53	22.98	118.87
25.	पश्चिम बंगाल	763.33	16.10	0.37	0.22	0.00	53.31	0.00	63.60	714.11	1611.04
26.	अखिल भारत	8217.82	980.32	20.70	2.92	2.24	79.57	18.26	125.53	3330.09	12777.45

अस्थायी श्रमिकों को वस्तु रूप में भुगतान और अन्य उद्देश्यों के लिए धान का सदुपयोग (छोटे वर्ग के किसान)

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रयुक्त मात्रा									वस्तु रूप में कुल भुगतान
		अस्थायी खेतिहर मजदूर	कृषि मशीन व उपस्कर	ग्रामीण कारीगरों को भुगतान	भू-स्वामियों का किराया	भू-स्वामियों के उत्पादन का अंश	ऋण की वापसी	भू-राजस्व	सिंचाई प्रभार और अन्य उपकर	अन्य	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	आन्ध्र प्रदेश	146.05	22.19	406.92	360.07	99.21	2.23	0.00	0.52	3.28	1040.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
3.	असम	15.99	1.98	0.31	0.00	5.43	0.81	4.38	0.00	2.29	31.19
4.	बिहार	196.36	0.07	54.82	3.04	35.43	0.41	0.00	0.02	0.00	290.15
5.	गोवा	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	36.05	0.91	2.77	2.89	1.26	0.95	0.00	0.15	0.00	44.98
8.	हिमाचल प्रदेश	0.45	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
9.	जम्मू और कश्मीर	6.48	3.40	4.55	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	22.29

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
10.	कर्नाटक	72.59	4.77	3.14	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	83.84
11.	केरल	46.94	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.98
12.	मध्य प्रदेश	41.43	0.00	20.53	0.00	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	134.68
13.	महाराष्ट्र	75.91	0.42	0.54	0.86	2.13	0.00	0.04	0.00	0.62	80.52
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	2.33	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
15.	मेघालय	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
16.	मिजोराम	4.02	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
17.	नागालैण्ड	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.14
18.	उड़ीसा	136.27	5.78	1.08	9.93	51.48	1.76	0.42	0.00	13.36	220.08
19.	पंजाब	69.11	13.14	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	2.03	89.07
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
22.	तमिलनाडु	376.50	12.39	32.83	1.78	14.97	0.00	0.00	3.08	0.00	441.55
23.	त्रिपुरा	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
24.	उत्तर प्रदेश	374.26	3.91	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08	19.79	472.57
25.	पश्चिम बंगाल	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	45.47
26.	अखिल भारत	1662.73	68.96	587.84	381.62	290.60	6.16	4.84	22.94	45.01	3070.70

अनुलग्नक-XXVI

अस्थायी श्रमिकों को वस्तु रूप में भुगतान और अन्य उद्देश्यों के लिए धान का सदुपयोग (मध्यम वर्ग के किसान)

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रयुक्त मात्रा									वस्तु रूप में कुल भुगतान
		अस्थायी खेतिहर मजदूर	कृषि मशीन व उपस्कर	ग्रामीण कारीगरों को भुगतान	भू-स्वामियों का किराया	भू-स्वामियों के उत्पादन का अंश	ऋण की वापसी	भू-राजस्व	सिंचाई प्रभार और अन्य उपकर	अन्य	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	आन्ध्र प्रदेश	96.92	2.45	60.54	359.16	59.33	0.00	0.00	0.45	10.81	589.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
3.	असम	13.45	1.24	0.24	0.09	3.27	0.05	3.69	0.00	0.65	22.68
4.	बिहार	221.30	0.58	43.21	0.00	13.63	2.30	0.21	0.01	0.00	281.24
5.	गोवा	2.60	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
6.	गुजरात	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20
7.	हरियाणा	23.32	0.24	2.56	0.00	0.57	0.22	0.51	0.00	0.43	27.85
8.	हिमाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.20	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
9.	जम्मू और कश्मीर	6.66	6.30	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	15.10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
10.	कर्नाटक	38.86	2.25	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	53.95
11.	केरल	45.92	0.00	0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.47	46.50
12.	मध्य प्रदेश	52.82	0.10	13.39	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00	0.19	88.26
13.	महाराष्ट्र	35.36	1.19	0.96	0.62	1.55	0.00	0.00	0.03	0.56	40.27
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोराम	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
17.	नागालैण्ड	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.43	0.73
18.	उड़ीसा	125.87	10.46	2.73	0.00	17.43	0.91	0.31	0.00	9.01	166.72
19.	पंजाब	29.28	2.30	1.88	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	37.81
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22.	तमिलनाडु	268.44	7.74	20.83	3.05	6.84	0.12	0.00	1.78	8.53	317.33
23.	त्रिपुरा	0.64	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.83
24.	उत्तर प्रदेश	246.64	1.31	13.12	0.00	2.44	0.00	0.01	19.39	16.05	298.96
25.	पश्चिम बंगाल	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	74.77
26.	अखिल भारत	1325.76	36.25	164.32	364.41	131.42	3.60	4.73	21.94	58.97	2111.40

अनुलग्नक-XXVII

अस्थायी श्रमिकों को वस्तु रूप में भुगतान और अन्य उद्देश्यों के लिए धान का सदुपयोग (बड़े वर्ग के किसान)
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

('000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रयुक्त मात्रा									वस्तु रूप में कुल भुगतान
		अस्थायी खेतिहर मजदूर	कृषि मशीन व उपस्कर	ग्रामीण कारीगरों को भुगतान	भू-स्वामियों का किराया	भू-स्वामियों के उत्पादन का अंश	ऋण की वापसी	भू-राजस्व	सिंचाई प्रभार और अन्य उपकर	अन्य	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	आन्ध्र प्रदेश	90.64	17.25	73.00	86.69	12.44	0.00	0.00	0.23	0.21	280.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.96	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
3.	असम	13.38	1.94	0.19	1.30	2.29	0.00	1.42	0.00	1.05	21.57
4.	बिहार	285.73	0.72	22.48	0.05	10.77	1.68	0.03	0.22	0.04	321.72
5.	गोवा	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	16.71	0.05	1.83	0.01	0.00	0.22	0.26	0.00	0.08	19.16
8.	हिमाचल प्रदेश	0.11	0.00	0.20	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
9.	जम्मू और कश्मीर	6.78	2.62	0.57	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
10.	कर्नाटक	31.76	1.63	1.73	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	5.58	41.91
11.	केरल	44.50	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00	0.00	0.01	0.01	44.66
12.	मध्य प्रदेश	72.83	0.05	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.55
13.	महाराष्ट्र	31.70	0.72	0.74	0.31	0.80	0.00	0.00	0.00	0.54	34.81
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
15.	मेघालय	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
16.	मिजोराम	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
17.	नागालैण्ड	0.25	0.25	0.07	0.00	0.00	0.04	0.00	0.07	0.20	0.88
18.	उड़ीसा	143.02	8.76	0.23	2.11	7.87	1.47	0.00	0.00	7.52	170.98
19.	पंजाब	42.80	6.41	2.86	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	53.47
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
22.	तमिलनाडु	288.99	7.39	25.88	12.56	16.49	0.03	0.02	3.95	0.02	355.33
23.	त्रिपुरा	1.41	0.12	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
24.	उत्तर प्रदेश	243.47	2.86	9.37	0.00	0.00	5.26	0.63	12.00	12.47	286.06
25.	पश्चिम बंगाल	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	87.98
26.	अखिल भारत	1412.51	50.77	147.90	104.91	53.46	8.70	2.36	16.48	29.89	1826.98

अनुलग्नक-XXVIII

अस्थायी श्रमिकों को वस्तु रूप में भुगतान और अन्य उद्देश्यों के लिए धान का सदुपयोग (सभी वर्ग के किसान)

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रयुक्त मात्रा									वस्तु रूप में कुल भुगतान
		अस्थायी खेतिहर मजदूर	कृषि मशीन व उपस्कर	ग्रामीण कारीगरों को भुगतान	भू-स्वामियों का किराया	भू-स्वामियों के उत्पादन का अंश	ऋण की वापसी	भू-राजस्व	सिंचाई प्रभार और अन्य उपकर	अन्य	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	आन्ध्र प्रदेश	333.61	41.89	540.46	805.92	170.98	2.23	0.00	1.20	14.30	1910.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.79	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
3.	असम	42.82	5.16	0.74	1.39	10.99	0.86	9.49	0.00	3.99	75.44
4.	बिहार	703.39	1.37	120.51	3.09	59.83	4.39	0.24	0.25	0.04	893.11
5.	गोवा	12.61	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62
6.	गुजरात	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20
7.	हरियाणा	76.08	1.20	7.16	2.90	1.83	1.39	0.77	0.15	0.51	91.99
8.	हिमाचल प्रदेश	0.57	0.00	0.45	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
9.	जम्मू और कश्मीर	19.92	12.32	7.25	0.00	8.09	0.00	0.00	0.01	0.00	47.59

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
10.	कर्नाटक	143.21	8.65	7.32	0.60	1.21	0.00	0.00	0.00	18.71	179.70
11.	केरल	137.36	0.00	0.20	0.00	0.09	0.00	0.00	0.01	0.48	138.14
12.	मध्य प्रदेश	167.08	0.15	42.59	0.00	94.48	0.00	0.00	0.00	0.19	304.49
13.	महाराष्ट्र	142.97	2.33	2.24	1.79	4.48	0.00	0.04	0.03	1.72	155.60
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	5.66	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
15.	मेघालय	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
16.	मिजोराम	8.29	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
17.	नागालैण्ड	0.40	0.25	0.07	0.00	0.00	0.04	0.00	0.27	0.72	1.75
18.	उड़ीसा	405.16	25.00	4.04	12.04	76.78	4.14	0.73	0.00	29.89	557.78
19.	पंजाब	141.19	21.85	9.47	0.03	4.35	0.00	0.00	0.06	3.40	180.35
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
22.	तमिलनाडु	933.93	27.52	79.54	17.39	38.30	0.15	0.02	8.81	8.55	1114.21
23.	त्रिपुरा	2.64	0.21	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.10	0.00	4.16
24.	उत्तर प्रदेश	864.37	8.08	78.02	0.00	2.44	5.26	0.64	50.47	48.31	1057.59
25.	पश्चिम बंगाल	205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	208.22
26.	अखिल भारत	4401.00	155.98	900.06	850.94	475.48	18.46	11.93	61.36	133.87	7009.08

अनुलग्नक- XXIX**थ्रेसिंग के दौरान धान की हानि**

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	किसान की कोटि / वर्ग							
		छोटे		मध्यम		बड़े		सभी	
		मात्रा	वर्ग के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग के उत्पादन का %	मात्रा	कुल उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	61.13	0.91	42.69	0.76	29.29	0.69	133.11	0.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.52	0.78	0.31	0.63	0.24	0.48	1.07	0.65
3.	असम	29.34	1.13	15.97	0.96	14.21	0.94	59.52	1.03
4.	बिहार	59.57	1.65	52.19	1.73	44.20	1.67	155.96	1.68
5.	गोवा	1.07	0.84	0.35	0.89	0.16	0.66	1.58	0.83
6.	गुजरात	7.75	1.42	5.60	1.33	2.82	0.94	16.17	1.28
7.	हरियाणा	21.78	1.42	18.36	1.45	16.82	1.33	56.96	1.40
8.	हिमाचल प्रदेश	0.42	0.65	0.24	0.62	0.22	0.52	0.88	0.60
9.	जम्मू और कश्मीर	2.50	0.88	1.75	0.89	1.61	0.79	5.86	0.85

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	19.63	0.86	9.33	0.91	11.94	1.43	40.90	0.99
11.	केरल	1.44	0.36	0.97	0.29	0.74	0.22	3.15	0.30
12.	मध्य प्रदेश	17.53	0.43	9.30	0.42	9.22	0.41	36.05	0.42
13.	महाराष्ट्र	8.12	0.60	6.01	0.59	4.94	0.59	19.07	0.60
14.	मणिपुर	0.78	0.35	0.71	0.35	0.69	0.35	2.18	0.35
15.	मेघालय	0.77	0.60	0.35	0.57	0.28	0.50	1.40	0.57
16.	मिजोराम	0.26	0.32	0.12	0.21	0.08	0.17	0.46	0.25
17.	नागालैण्ड	0.65	0.56	0.56	0.67	0.66	0.70	1.87	0.64
18.	उड़ीसा	39.65	1.12	25.58	0.97	25.10	0.94	90.33	1.02
19.	पंजाब	52.99	1.28	46.26	1.33	44.77	1.37	144.02	1.32
20.	राजस्थान	1.65	1.05	0.05	0.87	0.71	0.79	2.41	0.95
21.	सिक्किम	0.08	0.58	0.03	0.50	0.03	0.36	0.14	0.50
22.	तमिलनाडु	40.69	1.20	21.63	0.94	21.63	0.85	83.95	1.02
23.	त्रिपुरा	4.91	1.36	2.79	1.00	2.47	0.88	10.17	1.10
24.	उत्तर प्रदेश	49.86	0.59	22.61	0.53	20.14	0.49	92.61	0.55
25.	पश्चिम बंगाल	56.07	0.73	39.08	0.61	30.79	0.55	125.94	0.64
26.	अखिल भारत	479.16	0.92	322.84	0.88	283.76	0.85	1085.76	0.89

थ्रेसिंग के दौरान धान की हानि – स्रोतवार
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्रोत										
		यांत्रिक ढंग से			पशुओं द्वारा			हाथ से			थ्रेसिंग के दौरान धान की हानि	
		मात्रा	वर्ग के उत्पादन का %	कालम 12 का %	मात्रा	वर्ग के उत्पादन का %	कालम 12 का %	मात्रा	वर्ग के उत्पादन का %	कालम 12 का %	मात्रा	कुल उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	आन्ध्र प्रदेश	107.98	0.65	81.12	14.68	0.09	11.03	10.45	0.06	7.85	133.11	0.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	6.54	1.00	0.61	93.46	1.07	0.65
3.	असम	1.22	0.02	2.05	57.23	0.99	96.15	1.07	0.02	1.80	59.52	1.03
4.	बिहार	28.79	0.31	18.46	97.98	1.06	62.82	29.19	0.31	18.72	155.96	1.68
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	3.80	1.52	0.80	96.20	1.58	0.83
6.	गुजरात	5.33	0.42	32.96	0.23	0.02	1.42	10.61	0.84	65.62	16.17	1.28
7.	हरियाणा	25.54	0.63	44.84	0.00	0.00	0.00	31.42	0.77	55.16	56.96	1.40
8.	हिमाचल प्रदेश	0.01	0.01	1.14	0.56	0.38	63.64	0.31	0.21	35.23	0.88	0.60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
9.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.15	17.58	1.33	0.19	22.70	3.50	0.51	59.73	5.86	0.85
10.	कर्नाटक	23.46	0.57	57.36	8.75	0.21	21.39	8.69	0.21	21.25	40.90	0.99
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.30	100.00	3.15	0.30
12.	मध्य प्रदेश	20.41	0.24	56.62	15.17	0.18	42.08	0.47	0.01	1.30	36.05	0.42
13.	महाराष्ट्र	1.37	0.04	7.18	6.24	0.20	32.72	11.46	0.36	60.09	19.07	0.60
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	0.35	100.00	2.18	0.35
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	1.31	0.54	93.57	0.09	0.04	6.43	1.40	0.57
16.	मिजोराम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.25	100.00	0.46	0.25
17.	नागालैण्ड	0.01	0.00	0.53	1.38	0.47	73.80	0.48	0.16	25.67	1.87	0.64
18.	उड़ीसा	6.14	0.07	6.80	32.47	0.37	35.95	51.72	0.58	57.26	90.33	1.02
19.	पंजाब	115.75	1.06	80.37	0.10	0.00	0.07	28.17	0.26	19.56	144.02	1.32
20.	राजस्थान	2.29	0.91	95.02	0.00	0.00	0.00	0.12	0.05	4.98	2.41	0.95
21.	सिक्किम	0.03	0.11	21.43	0.00	0.00	0.00	0.11	0.39	78.57	0.14	0.50
22.	तमिलनाडु	60.03	0.73	71.51	5.04	0.06	6.00	18.88	0.23	22.49	83.95	1.02
23.	त्रिपुरा	1.80	0.20	17.70	7.43	0.81	73.06	0.94	0.10	9.24	10.17	1.10
24.	उत्तर प्रदेश	23.39	0.14	25.26	17.99	0.11	19.43	51.23	0.30	55.32	92.61	0.55
25.	पश्चिम बंगाल	36.66	0.19	29.11	0.20	0.00	0.16	89.07	0.45	70.73	125.93	0.64
26.	अखिल भारत	461.24	0.38	42.48	268.22	0.22	24.70	356.29	0.29	32.82	1085.75	0.89

अनुलग्नक- XXXI

ओसाई के दौरान धान की हानि
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	किसान की कोटि / वर्ग							
		छोटे		मध्यम		बड़े		सभी	
		मात्रा	वर्ग के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग के उत्पादन का %	मात्रा	कुल उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.68	0.60	26.21	0.47	18.18	0.43	85.07	0.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.33	0.50	0.18	0.37	0.14	0.28	0.65	0.39
3.	असम	18.87	0.72	10.33	0.62	9.07	0.60	38.27	0.66
4.	बिहार	26.67	0.74	22.48	0.74	20.04	0.76	69.19	0.75
5.	गोवा	1.86	1.46	0.61	1.55	0.34	1.41	2.81	1.47
6.	गुजरात	12.07	2.21	8.58	2.04	4.59	1.53	25.24	1.99
7.	हरियाणा	9.52	0.62	9.12	0.72	7.16	0.56	25.80	0.63
8.	हिमाचल प्रदेश	0.29	0.45	0.15	0.39	0.15	0.35	0.59	0.40
9.	जम्मू और कश्मीर	1.30	0.46	1.01	0.51	0.87	0.42	3.18	0.46

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	9.13	0.40	5.68	0.56	5.58	0.67	20.39	0.49
11.	केरल	0.75	0.19	0.49	0.15	0.34	0.10	1.58	0.15
12.	मध्य प्रदेश	9.05	0.22	4.70	0.21	5.26	0.23	19.01	0.22
13.	महाराष्ट्र	9.32	0.69	6.89	0.68	4.84	0.58	21.05	0.66
14.	मणिपुर	0.44	0.20	0.38	0.19	0.39	0.20	1.21	0.20
15.	मेघालय	0.48	0.38	0.21	0.34	0.18	0.32	0.87	0.36
16.	मिजोराम	0.88	1.09	0.59	1.02	0.44	0.92	1.91	1.03
17.	नागालैण्ड	0.54	0.47	0.47	0.57	0.67	0.71	1.68	0.57
18.	उड़ीसा	27.24	0.77	18.48	0.70	17.50	0.66	63.22	0.71
19.	पंजाब	17.82	0.43	13.27	0.38	12.13	0.37	43.22	0.40
20.	राजस्थान	0.42	0.27	0.01	0.17	0.18	0.20	0.61	0.24
21.	सिक्किम	0.06	0.44	0.03	0.50	0.02	0.24	0.11	0.39
22.	तमिलनाडु	17.73	0.52	8.68	0.38	9.99	0.39	36.40	0.44
23.	त्रिपुरा	3.63	1.00	2.22	0.80	2.01	0.71	7.86	0.85
24.	उत्तर प्रदेश	25.01	0.29	12.74	0.30	12.01	0.29	49.76	0.29
25.	पश्चिम बंगाल	30.55	0.40	19.84	0.31	14.55	0.26	64.94	0.33
26.	अखिल भारत	264.64	0.51	173.35	0.47	146.63	0.44	584.62	0.48

ओसाई के दौरान धान की हानि - यांत्रिक ढंग से / हाथ से

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	शक्ति का स्रोत						ओसाई के दौरान कुल हानि	
		यांत्रिक			हाथ से				
		मात्रा	वर्ग के उत्पादन का %	कालम 9 का %	मात्रा	वर्ग के उत्पादन का %	कालम 9 का %	मात्रा	कुल उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.01	0.10	18.82	69.06	0.42	81.18	85.07	0.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.65	0.39	100.00	0.65	0.39
3.	असम	1.02	0.02	2.67	37.25	0.64	97.33	38.27	0.66
4.	बिहार	8.12	0.09	11.74	61.07	0.66	88.26	69.19	0.75
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	2.81	1.47	100.00	2.81	1.47
6.	गुजरात	14.70	1.16	58.24	10.54	0.83	41.76	25.24	1.99
7.	हरियाणा	19.33	0.47	74.92	6.47	0.16	25.08	25.80	0.63
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.59	0.40	100.00	0.59	0.40
9.	जम्मू और कश्मीर	0.38	0.06	11.95	2.80	0.41	88.05	3.18	0.46

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	5.53	0.13	27.12	14.86	0.36	72.88	20.39	0.49
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	1.58	0.15	100.00	1.58	0.15
12.	मध्य प्रदेश	8.08	0.09	42.50	10.93	0.13	57.50	19.01	0.22
13.	महाराष्ट्र	1.66	0.05	7.89	19.39	0.61	92.11	21.05	0.66
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	1.21	0.20	100.00	1.21	0.20
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.87	0.36	100.00	0.87	0.36
16.	मिजोराम	1.55	0.83	81.15	0.36	0.19	18.85	1.91	1.03
17.	नागालैण्ड	0.02	0.01	1.19	1.66	0.57	98.81	1.68	0.57
18.	उड़ीसा	0.50	0.01	0.79	62.72	0.71	99.21	63.22	0.71
19.	पंजाब	33.33	0.31	77.12	9.89	0.09	22.88	43.22	0.40
20.	राजस्थान	0.59	0.23	96.72	0.02	0.01	3.28	0.61	0.24
21.	सिक्किम	0.03	0.11	27.27	0.08	0.28	72.73	0.11	0.39
22.	तमिलनाडु	6.47	0.08	17.77	29.93	0.36	82.23	36.40	0.44
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	7.86	0.85	100.00	7.86	0.85
24.	उत्तर प्रदेश	23.27	0.14	46.76	26.49	0.16	53.24	49.76	0.29
25.	पश्चिम बंगाल	0.49	0.00	0.75	64.45	0.33	99.25	64.94	0.33
26.	अखिल भारत	141.08	0.12	24.13	443.54	0.36	75.87	584.62	0.48

खेत से खलिहान तक ढोने के दौरान धान की हानि

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	किसान की कोटि / वर्ग							
		छोटे		मध्यम		बड़े		सभी	
		मात्रा	वर्ग के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग के उत्पादन का %	मात्रा	कुल उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	97.66	1.45	87.81	1.57	50.82	1.20	236.29	1.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.43	0.65	0.24	0.49	0.18	0.36	0.85	0.51
3.	असम	25.37	0.97	13.01	0.78	11.39	0.75	49.77	0.86
4.	बिहार	37.87	1.05	30.95	1.03	26.22	0.99	95.04	1.02
5.	गोवा	0.15	0.12	0.09	0.23	0.03	0.12	0.27	0.14
6.	गुजरात	7.20	1.32	5.73	1.36	3.02	1.00	15.95	1.26
7.	हरियाणा	9.05	0.59	8.14	0.64	5.83	0.46	23.02	0.57
8.	हिमाचल प्रदेश	0.27	0.42	0.16	0.41	0.18	0.42	0.61	0.42
9.	जम्मू और कश्मीर	1.20	0.42	0.74	0.37	0.53	0.26	2.47	0.36

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	10.53	0.46	6.59	0.64	5.18	0.62	22.30	0.54
11.	केरल	1.56	0.39	1.11	0.33	0.83	0.25	3.50	0.33
12.	मध्य प्रदेश	24.31	0.60	12.17	0.55	10.34	0.46	46.82	0.55
13.	महाराष्ट्र	21.66	1.60	13.62	1.35	8.03	0.97	43.31	1.36
14.	मणिपुर	0.98	0.44	0.85	0.42	0.83	0.42	2.66	0.43
15.	मेघालय	0.79	0.62	0.39	0.64	0.29	0.52	1.47	0.60
16.	मिजोराम	0.31	0.39	0.16	0.28	0.08	0.17	0.55	0.30
17.	नागालैण्ड	0.33	0.29	0.24	0.29	0.22	0.23	0.79	0.27
18.	उड़ीसा	47.34	1.33	31.95	1.21	33.52	1.26	112.81	1.27
19.	पंजाब	6.34	0.15	5.11	0.15	5.08	0.15	16.53	0.15
20.	राजस्थान	0.77	0.49	0.03	0.52	0.42	0.47	1.22	0.48
21.	सिक्किम	0.05	0.36	0.02	0.34	0.03	0.36	0.10	0.36
22.	तमिलनाडु	49.39	1.46	31.33	1.36	26.40	1.04	107.12	1.30
23.	त्रिपुरा	3.01	0.83	1.77	0.63	1.43	0.51	6.21	0.67
24.	उत्तर प्रदेश	31.09	0.37	15.19	0.36	13.91	0.34	60.19	0.36
25.	पश्चिम बंगाल	53.49	0.70	37.95	0.59	30.10	0.53	121.54	0.62
26.	अखिल भारत	431.15	0.83	305.35	0.83	234.89	0.70	971.39	0.79

खेत से खलिहान तक ढोने के दौरान धान की हानि – प्रयुक्त साधन के आधार पर
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

('000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परिवहन के साधन का प्रकार											
		सर पर रखकर		बोझा ढोने वाले पशु		बैलगाड़ी		ट्रैक्टर ट्रॉली		अन्य		कुल हानि	
		मात्रा	उत्पादन का %	मात्रा	उत्पादन का %	मात्रा	उत्पादन का %	मात्रा	उत्पादन का %	मात्रा	उत्पादन का %	मात्रा	उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	आन्ध्र प्रदेश	221.70	0.00	0.15	0.00	9.09	0.05	5.23	0.03	0.12	0.00	236.29	1.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.81	0.41	0.00	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.85	0.51
3.	असम	47.94	0.25	0.13	0.00	0.93	0.02	0.06	0.00	0.71	0.01	49.77	0.86
4.	बिहार	94.53	0.32	0.00	0.00	0.46	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	95.04	1.02
5.	गोवा	0.27	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.14
6.	गुजरात	14.99	0.14	0.00	0.00	0.85	0.07	0.11	0.01	0.00	0.00	15.95	1.26
7.	हरियाणा	21.66	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	1.24	0.03	0.00	0.00	23.02	0.57
8.	हिमाचल प्रदेश	0.61	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.42
9.	जम्मू और कश्मीर	2.22	0.11	0.05	0.01	0.04	0.01	0.16	0.02	0.00	0.00	2.47	0.36

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
10.	कर्नाटक	19.36	0.08	0.00	0.00	0.94	0.02	2.00	0.05	0.00	0.00	22.30	0.54
11.	केरल	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.33
12.	मध्य प्रदेश	39.93	0.02	0.02	0.00	1.75	0.02	5.12	0.06	0.00	0.00	46.82	0.55
13.	महाराष्ट्र	40.96	0.16	0.00	0.00	2.19	0.07	0.16	0.00	0.00	0.00	43.31	1.36
14.	मणिपुर	2.63	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	2.66	0.43
15.	मेघालय	1.43	0.09	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	1.47	0.60
16.	मिजोराम	0.54	0.19	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.30
17.	नागालैण्ड	0.39	0.03	0.11	0.04	0.25	0.08	0.01	0.00	0.03	0.01	0.79	0.27
18.	उड़ीसा	110.89	0.10	0.09	0.00	1.48	0.02	0.11	0.00	0.24	0.00	112.81	1.27
19.	पंजाब	13.99	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	2.31	0.02	0.00	0.00	16.53	0.15
20.	राजस्थान	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.06	0.00	0.00	1.22	0.48
21.	सिक्किम	0.04	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.23	0.10	0.36
22.	तमिलनाडु	103.71	0.00	0.00	0.00	3.13	0.04	0.28	0.00	0.00	0.00	107.12	1.30
23.	त्रिपुरा	6.21	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21	0.67
24.	उत्तर प्रदेश	41.05	0.09	0.04	0.00	8.97	0.05	10.11	0.06	0.02	0.00	60.19	0.36
25.	पश्चिम बंगाल	48.09	0.24	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.54	0.62
26.	अखिल भारत	838.51	0.11	0.59	0.00	30.52	0.02	27.14	0.02	1.19	0.00	971.39	0.79

खलिहान से भण्डार तक लाने के दौरान धान की हानि
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	किसान की कोटि / वर्ग							
		छोटे		मध्यम		बड़े		सभी	
		मात्रा	वर्ग के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग के उत्पादन का %	मात्रा	कुल उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.71	0.11	4.53	0.08	2.62	0.06	14.86	0.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.37	0.56	0.19	0.39	0.16	0.32	0.72	0.44
3.	असम	8.49	0.33	4.19	0.25	3.62	0.24	16.30	0.28
4.	बिहार	10.86	0.30	10.50	0.35	8.82	0.33	30.18	0.33
5.	गोवा	0.10	0.08	0.07	0.18	0.02	0.08	0.19	0.10
6.	गुजरात	1.52	0.28	0.54	0.13	0.67	0.22	2.73	0.22
7.	हरियाणा	0.56	0.04	0.49	0.04	0.43	0.03	1.48	0.04
8.	हिमाचल प्रदेश	0.21	0.32	0.10	0.26	0.10	0.24	0.41	0.28
9.	जम्मू और कश्मीर	0.56	0.20	0.25	0.13	0.22	0.11	1.03	0.15

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	3.25	0.14	1.64	0.16	1.47	0.18	6.36	0.15
11.	केरल	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
12.	मध्य प्रदेश	4.81	0.12	2.36	0.11	1.78	0.08	8.95	0.10
13.	महाराष्ट्र	3.26	0.24	2.20	0.22	2.13	0.26	7.59	0.24
14.	मणिपुर	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00
15.	मेघालय	0.15	0.12	0.07	0.11	0.05	0.09	0.27	0.11
16.	मिजोराम	0.20	0.25	0.10	0.17	0.06	0.13	0.36	0.19
17.	नागालैण्ड	0.23	0.20	0.16	0.19	0.11	0.12	0.50	0.17
18.	उड़ीसा	2.67	0.08	3.17	0.12	5.09	0.19	10.93	0.12
19.	पंजाब	1.19	0.03	0.64	0.02	0.72	0.02	2.55	0.02
20.	राजस्थान	0.08	0.05	0.00	0.00	0.08	0.09	0.16	0.06
21.	सिक्किम	0.06	0.44	0.02	0.34	0.02	0.24	0.10	0.36
22.	तमिलनाडु	1.99	0.06	0.79	0.03	0.84	0.03	3.62	0.04
23.	त्रिपुरा	0.47	0.13	0.35	0.13	0.38	0.13	1.20	0.13
24.	उत्तर प्रदेश	18.71	0.22	8.34	0.19	7.71	0.19	34.76	0.21
25.	पश्चिम बंगाल	23.91	0.31	14.53	0.23	9.65	0.17	48.09	0.24
26.	अखिल भारत	91.39	0.18	55.25	0.15	46.76	0.14	193.40	0.16

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
9.	जम्मू और कश्मीर	0.77	0.11	0.05	0.01	0.04	0.01	0.16	0.02	0.00	0.00	1.03	0.15
10.	कर्नाटक	3.43	0.08	0.00	0.00	0.94	0.02	2.00	0.05	0.00	0.00	6.36	0.15
11.	केरल	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
12.	मध्य प्रदेश	2.06	0.02	0.02	0.00	1.75	0.02	5.12	0.06	0.00	0.00	8.95	0.10
13.	महाराष्ट्र	5.25	0.16	0.00	0.00	2.19	0.07	0.16	0.00	0.00	0.00	7.59	0.24
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
15.	मेघालय	0.23	0.09	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.27	0.11
16.	मिजोराम	0.35	0.19	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.20
17.	नागालैण्ड	0.10	0.03	0.11	0.04	0.25	0.08	0.01	0.00	0.03	0.01	0.50	0.17
18.	उड़ीसा	9.02	0.10	0.09	0.00	1.48	0.02	0.11	0.00	0.24	0.00	10.93	0.12
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	2.31	0.02	0.00	0.00	2.55	0.02
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.06	0.00	0.00	0.16	0.06
21.	सिक्किम	0.05	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.23	0.10	0.40
22.	तमिलनाडु	0.21	0.00	0.00	0.00	3.13	0.04	0.28	0.00	0.00	0.00	3.62	0.04
23.	त्रिपुरा	1.21	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.13
24.	उत्तर प्रदेश	15.62	0.09	0.04	0.00	8.97	0.05	10.11	0.06	0.02	0.00	34.76	0.21
25.	पश्चिम बंगाल	48.08	0.24	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.09	0.24
26.	अखिल भारत	133.95	0.11	0.59	0.00	30.52	0.02	27.14	0.02	1.20	0.00	193.40	0.16

अनुलग्नक-XXXVIIखेत से भण्डार तक परिवहन के दौरान धान की कुल हानि – पैकिंग के तरीके के आधार पर

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	खेत से खलिहान तक				खलिहान से भण्डार तक				खेत से भण्डार तक परिवहन के दौरान कुल हानि	
		पैकिंग का तरीका				पैकिंग का तरीका					
		ज्यादा मात्रा में		बैगो में		ज्यादा मात्रा में		बैगो में			
		मात्रा	उत्पादन का %	मात्रा	उत्पादन का %	मात्रा	उत्पादन का %	मात्रा	उत्पादन का %	मात्रा	उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	आन्ध्र प्रदेश	236.29	1.43	0.00	0.00	0.64	0.00	14.22	0.09	251.15	1.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.85	0.51	0.00	0.00	0.43	0.26	0.29	0.18	1.57	0.95
3.	असम	49.77	0.86	0.00	0.00	9.08	0.16	7.22	0.12	66.07	1.14
4.	बिहार	95.04	1.02	0.00	0.00	0.20	0.00	29.98	0.32	125.22	1.35
5.	गोवा	0.27	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.10	0.46	0.24
6.	गुजरात	15.95	1.26	0.00	0.00	0.74	0.06	1.99	0.16	18.68	1.47
7.	हरियाणा	23.02	0.57	0.00	0.00	0.65	0.02	0.83	0.02	24.50	0.60
8.	हिमाचल प्रदेश	0.61	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.28	1.02	0.70

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	जम्मू और कश्मीर	2.47	0.36	0.00	0.00	0.07	0.01	0.96	0.14	3.50	0.51
10.	कर्नाटक	22.30	0.54	0.00	0.00	0.27	0.01	6.09	0.15	28.66	0.69
11.	केरल	3.50	0.33	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	3.53	0.33
12.	मध्य प्रदेश	46.82	0.55	0.00	0.00	6.34	0.07	2.61	0.03	55.77	0.65
13.	महाराष्ट्र	43.31	1.36	0.00	0.00	0.11	0.00	7.48	0.23	50.90	1.59
14.	मणिपुर	2.66	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	2.69	0.43
15.	मेघालय	1.47	0.60	0.00	0.00	0.12	0.05	0.15	0.06	1.74	0.71
16.	मिजोराम	0.55	0.30	0.00	0.00	0.16	0.09	0.20	0.11	0.91	0.49
17.	नागालैण्ड	0.79	0.27	0.00	0.00	0.01	0.00	0.49	0.17	1.29	0.44
18.	उड़ीसा	112.81	1.27	0.00	0.00	0.52	0.01	10.41	0.12	123.74	1.40
19.	पंजाब	16.53	0.15	0.00	0.00	2.05	0.02	0.50	0.00	19.08	0.17
20.	राजस्थान	1.22	0.48	0.00	0.00	0.02	0.01	0.14	0.06	1.38	0.55
21.	सिक्किम	0.10	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.36	0.20	0.71
22.	तमिलनाडु	107.12	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62	0.04	110.74	1.34
23.	त्रिपुरा	6.21	0.67	0.00	0.00	0.53	0.06	0.67	0.07	7.41	0.80
24.	उत्तर प्रदेश	60.19	0.36	0.00	0.00	3.01	0.02	31.75	0.19	94.95	0.56
25.	पश्चिम बंगाल	121.54	0.62	0.00	0.00	0.22	0.00	47.87	0.24	169.63	0.86
26.	अखिल भारत	971.39	0.79	0.00	0.00	25.19	0.02	168.21	0.14	1164.79	0.95

फार्म स्तर पर भण्डारण के दौरान धान की हानि
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	किसानों का वर्ग											
		छोटे			मध्यम			बड़े			सभी		
		भण्डारित मात्रा	नुकसान की मात्रा	नुकसान का %	भण्डारित मात्रा	नुकसान की मात्रा	नुकसान का %	भण्डारित मात्रा	नुकसान की मात्रा	नुकसान का %	भण्डारित मात्रा	नुकसान की मात्रा	नुकसान का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	आन्ध्र प्रदेश	2351.27	29.62	0.44	1477.18	21.93	0.39	1023.53	12.77	0.30	4851.98	64.32	0.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	58.48	0.82	1.24	42.95	0.43	0.88	42.27	0.35	0.70	143.70	1.60	0.97
3.	असम	2338.52	30.62	1.18	1451.15	17.15	1.03	1247.65	13.88	0.92	5037.32	61.65	1.07
4.	बिहार	3401.37	41.89	1.16	2712.04	32.84	1.09	2293.42	27.93	1.06	8406.83	102.66	1.11
5.	गोवा	79.65	0.82	0.65	25.22	0.20	0.51	14.37	0.11	0.46	119.24	1.13	0.59
6.	गुजरात	121.04	0.81	0.15	71.51	0.47	0.11	42.06	0.23	0.08	234.61	1.51	0.12
7.	हरियाणा	135.47	0.91	0.06	76.59	0.38	0.03	55.11	0.30	0.02	267.17	1.59	0.04
8.	हिमाचल प्रदेश	56.26	0.07	0.11	33.81	0.05	0.13	37.04	0.09	0.21	127.11	0.21	0.14
9.	जम्मू और कश्मीर	185.41	1.22	0.43	144.35	0.46	0.23	84.99	0.36	0.18	414.75	2.04	0.30

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
10.	कर्नाटक	2221.79	3.52	0.15	586.74	1.91	0.19	435.82	1.21	0.14	3244.35	6.64	0.16
11.	केरल	249.03	0.26	0.06	181.64	0.19	0.06	157.38	0.14	0.04	588.05	0.59	0.06
12.	मध्य प्रदेश	3632.80	4.44	0.11	1727.13	2.24	0.10	1535.73	1.53	0.07	6895.66	8.21	0.10
13.	महाराष्ट्र	1116.75	7.04	0.52	837.65	3.49	0.35	646.42	2.78	0.33	2600.82	13.31	0.42
14.	मणिपुर	216.80	2.76	1.24	185.27	2.64	1.31	177.10	2.41	1.23	579.17	7.81	1.26
15.	मेघालय	125.86	0.42	0.33	56.86	0.24	0.39	52.01	0.20	0.36	234.73	0.86	0.35
16.	मिजोराम	76.83	0.38	0.47	54.20	0.26	0.45	47.20	0.14	0.29	178.23	0.78	0.42
17.	नागालैण्ड	82.17	0.23	0.20	48.12	0.12	0.14	53.50	0.11	0.12	183.79	0.46	0.16
18.	उड़ीसा	2376.24	9.12	0.26	1834.35	7.33	0.28	1838.98	9.12	0.34	6049.57	25.57	0.29
19.	पंजाब	122.34	0.01	0.00	65.95	0.00	0.00	56.30	0.00	0.00	244.59	0.01	0.00
20.	राजस्थान	50.08	0.02	0.01	4.81	0.00	0.00	24.92	0.07	0.08	79.81	0.09	0.04
21.	सिक्किम	8.33	0.08	0.58	3.58	0.03	0.50	4.75	0.03	0.36	16.66	0.14	0.50
22.	तमिलनाडु	1355.75	15.49	0.46	764.77	7.46	0.32	668.51	6.75	0.27	2789.03	29.70	0.36
23.	त्रिपुरा	351.94	7.64	2.11	268.78	4.47	1.60	303.67	3.33	1.18	924.39	15.44	1.67
24.	उत्तर प्रदेश	4180.26	47.75	0.56	2032.33	23.53	0.55	1903.12	19.67	0.48	8115.71	90.95	0.54
25.	पश्चिम बंगाल	4610.03	24.90	0.33	2979.99	13.17	0.21	2320.29	9.06	0.16	9910.31	47.13	0.24
26.	अखिल भारत	29504.47	230.84	0.44	17666.97	140.99	0.38	15066.14	112.57	0.34	62237.58	484.40	0.40

फार्म स्तर पर भण्डारण के दौरान धान की हानि – भण्डारण के प्रकार और साधन के आधार पर
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	भण्डारण के प्रकार						भण्डारण के साधन								
		कच्चा भण्डारण			पक्का भण्डारण			बृहद मात्रा में			अल्प मात्रा में			आंशिक रूप से अल्प और बृहद मात्रा में		
		भण्डारित मात्रा	नुकसान की मात्रा	नुकसान का %	भण्डारित मात्रा	नुकसान की मात्रा	नुकसान का %	भण्डारित मात्रा	नुकसान की मात्रा	नुकसान का %	भण्डारित मात्रा	नुकसान की मात्रा	नुकसान का %	भण्डारित मात्रा	नुकसान की मात्रा	नुकसान का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	आन्ध्र प्रदेश	1927.80	31.87	1.65	2924.18	32.45	1.11	690.71	19.81	2.87	3969.81	41.77	1.05	191.46	2.74	1.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	139.80	1.59	1.14	3.90	0.01	0.26	104.33	1.06	1.02	37.51	0.52	1.39	1.86	0.02	1.08
3.	असम	4883.92	60.41	1.24	153.40	1.24	0.81	3626.81	44.72	1.23	975.42	12.00	1.23	435.09	4.93	1.13
4.	बिहार	7050.68	89.80	1.27	1356.15	12.86	0.95	207.35	2.48	1.20	921.92	9.11	0.99	7277.56	91.07	1.25
5.	गोवा	0.60	0.01	1.67	118.64	1.12	0.94	0.59	0.00	0.00	118.65	1.13	0.95	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	164.18	1.42	0.86	70.43	0.09	0.13	197.43	1.23	0.62	36.38	0.27	0.74	0.80	0.01	1.25
7.	हरियाणा	21.16	0.27	1.28	246.01	1.32	0.54	159.83	0.57	0.36	98.36	0.91	0.93	8.98	0.11	1.22
8.	हिमाचल प्रदेश	50.46	0.09	0.18	76.65	0.12	0.16	123.08	0.20	0.16	2.94	0.01	0.34	1.09	0.00	0.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
9.	जम्मू और कश्मीर	182.32	0.54	0.30	232.43	1.50	0.65	84.01	0.48	0.57	279.70	1.07	0.38	51.04	0.49	0.96
10.	कर्नाटक	1914.07	5.46	0.29	1330.28	1.18	0.09	370.00	1.96	0.53	2796.10	4.46	0.16	78.25	0.22	0.28
11.	केरल	34.71	0.09	0.26	553.34	0.50	0.09	287.56	0.33	0.11	266.59	0.25	0.09	33.90	0.01	0.03
12.	मध्य प्रदेश	6421.06	7.65	0.12	474.60	0.56	0.12	5308.11	6.67	0.13	1131.91	1.10	0.10	455.64	0.44	0.10
13.	महाराष्ट्र	2584.62	13.30	0.51	16.20	0.01	0.06	963.49	3.69	0.38	1341.08	8.55	0.64	296.25	1.07	0.36
14.	मणिपुर	578.39	7.80	1.35	0.78	0.01	1.28	544.69	7.43	1.36	0.40	0.00	0.00	34.08	0.38	1.12
15.	मेघालय	194.47	0.66	0.34	40.26	0.20	0.50	121.83	0.38	0.31	30.20	0.06	0.20	82.70	0.42	0.51
16.	मिजोराम	171.89	0.76	0.44	6.34	0.02	0.32	133.18	0.54	0.41	31.41	0.17	0.54	13.64	0.07	0.51
17.	नागालैण्ड	182.22	0.44	0.24	1.57	0.02	1.27	130.55	0.37	0.28	1.20	0.00	0.00	52.04	0.09	0.17
18.	उड़ीसा	3973.98	16.10	0.41	2075.59	9.47	0.46	1366.53	8.67	0.63	2087.03	8.93	0.43	2596.01	7.97	0.31
19.	पंजाब	75.37	0.00	0.00	169.22	0.01	0.01	204.25	0.01	0.00	39.75	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00
20.	राजस्थान	24.92	0.04	0.16	54.89	0.05	0.09	0.00	0.00	0.00	75.31	0.09	0.12	4.50	0.00	0.00
21.	सिक्किम	12.77	0.09	0.70	3.89	0.05	1.29	2.38	0.00	0.00	12.09	0.12	0.99	2.19	0.02	0.91
22.	तमिलनाडु	709.74	8.78	1.24	2079.29	20.92	1.01	265.26	2.43	0.92	2479.08	25.65	1.03	44.69	1.62	3.62
23.	त्रिपुरा	917.92	15.38	1.68	6.47	0.06	0.93	571.10	9.83	1.72	258.89	3.96	1.53	94.40	1.65	1.75
24.	उत्तर प्रदेश	3808.49	49.75	1.31	4307.22	41.20	0.96	1837.75	25.70	1.40	6022.33	64.59	1.07	255.63	0.66	0.26
25.	पश्चिम बंगाल	9897.96	47.06	0.48	12.35	0.07	0.57	334.21	3.12	0.93	6323.20	32.96	0.52	3252.90	11.05	0.34
26.	अखिल भारत	45923.48	359.35	0.78	16314.10	125.05	0.77	17635.05	141.66	0.80	29337.24	217.69	0.74	15265.29	125.05	0.82

फार्म स्तर पर भण्डारण के दौरान धान की हानि – हानि के कारणों के आधार पर
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	हानि / नुकसान के कारण												नुकसान की कुल मात्रा
		सूखा		कृन्तक		जन्तुबाधा		रख-रखाव		गुणवत्ताह्रास		अन्य		
		नुकसान की मात्रा	कालम 15 का %	नुकसान की मात्रा	कालम 15 का %	नुकसान की मात्रा	कालम 15 का %	नुकसान की मात्रा	कालम 15 का %	नुकसान की मात्रा	कालम 15 का %	नुकसान की मात्रा	कालम 15 का %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	आन्ध्र प्रदेश	19.13	29.74	43.13	67.06	1.58	2.46	0.29	0.45	0.17	0.26	0.02	0.03	64.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	1.04	65.00	0.55	34.38	0.01	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
3.	असम	10.00	16.22	47.38	76.85	2.66	4.31	1.38	2.24	0.08	0.13	0.15	0.24	61.65
4.	बिहार	19.03	18.54	77.66	75.65	2.96	2.88	2.91	2.83	0.00	0.00	0.10	0.10	102.66
5.	गोवा	0.00	0.00	1.13	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
6.	गुजरात	0.37	24.50	1.11	73.51	0.03	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
7.	हरियाणा	0.67	42.14	0.80	50.31	0.01	0.63	0.11	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
8.	हिमाचल प्रदेश	0.02	9.52	0.13	61.90	0.00	0.00	0.06	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	जम्मू और कश्मीर	1.04	50.98	0.66	32.35	0.02	0.98	0.32	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
10.	कर्नाटक	0.53	7.98	4.27	64.31	1.02	15.36	0.78	11.75	0.04	0.60	0.00	0.00	6.64
11.	केरल	0.07	11.86	0.50	84.75	0.02	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
12.	मध्य प्रदेश	3.65	44.46	3.36	40.93	0.28	3.41	0.92	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
13.	महाराष्ट्र	3.24	24.34	2.91	21.86	0.00	0.00	7.16	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31
14.	मणिपुर	1.02	13.06	1.85	23.69	0.02	0.26	0.00	0.00	4.92	63.00	0.00	0.00	7.81
15.	मेघालय	0.23	26.74	0.18	20.93	0.15	17.44	0.30	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
16.	मिजोराम	0.02	2.56	0.52	66.67	0.09	11.54	0.11	14.10	0.04	5.13	0.00	0.00	0.78
17.	नागालैण्ड	0.04	8.70	0.39	84.78	0.00	0.00	0.01	2.17	0.00	0.00	0.02	4.35	0.46
18.	उड़ीसा	7.06	27.61	16.94	66.25	0.19	0.74	1.26	4.93	0.00	0.00	0.12	0.47	25.57
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.09	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21.	सिक्किम	0.02	14.29	0.05	35.71	0.00	0.00	0.02	14.29	0.05	35.71	0.00	0.00	0.14
22.	तमिलनाडु	20.13	67.78	9.52	32.05	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	29.70
23.	त्रिपुरा	3.07	19.88	9.65	62.50	0.06	0.39	2.66	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44
24.	उत्तर प्रदेश	18.99	20.88	51.72	56.87	13.42	14.76	2.20	2.42	3.90	4.29	0.72	0.79	90.95
25.	पश्चिम बंगाल	15.98	33.91	22.97	48.74	8.12	17.23	0.04	0.08	0.00	0.00	0.02	0.04	47.13
26.	अखिल भारत	124.31	25.66	297.97	61.51	31.20	6.44	20.54	4.24	9.20	1.90	1.18	0.24	484.40

उत्पादक के स्तर पर फसलोत्तर धान की कुल हानि - छोटे वर्ग के किसान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	खेत से खलिहान तक लाने में हुई हानि		शेसिंग के दौरान हानि		ओसाई के दौरान हानि		खलिहान से भण्डारण तक लाने के दौरान हानि		उत्पादक स्तर पर भण्डारण के दौरान हानि		उत्पादक स्तर पर कुल हानि	
		नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	आन्ध्र प्रदेश	97.66	1.45	61.13	0.91	40.68	0.6	7.71	0.11	29.62	0.44	236.8	3.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.43	0.65	0.52	0.78	0.33	0.5	0.37	0.56	0.82	1.24	2.47	3.72
3.	असम	25.37	0.97	29.34	1.13	18.87	0.72	8.49	0.33	30.62	1.18	112.69	4.33
4.	बिहार	37.87	1.05	59.57	1.65	26.67	0.74	10.86	0.3	41.89	1.16	176.86	4.89
5.	गोवा	0.15	0.12	1.07	0.84	1.86	1.46	0.1	0.08	0.82	0.65	4.00	3.15
6.	गुजरात	7.2	1.32	7.75	1.42	12.07	2.21	1.52	0.28	0.81	0.15	29.35	5.38
7.	हरियाणा	9.05	0.59	21.78	1.42	9.52	0.62	0.56	0.04	0.91	0.06	41.82	2.72
8.	हिमाचल प्रदेश	0.27	0.42	0.42	0.65	0.29	0.45	0.21	0.32	0.07	0.11	1.26	1.94

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
9.	जम्मू और कश्मीर	1.2	0.42	2.5	0.88	1.3	0.46	0.56	0.2	1.22	0.43	6.78	2.38
10.	कर्नाटक	10.53	0.46	19.63	0.86	9.13	0.4	3.25	0.14	3.52	0.15	46.06	2.01
11.	केरल	1.56	0.39	1.44	0.36	0.75	0.19	0.02	0	0.26	0.06	4.03	1.01
12.	मध्य प्रदेश	24.31	0.6	17.53	0.43	9.05	0.22	4.81	0.12	4.44	0.11	60.14	1.47
13.	महाराष्ट्र	21.66	1.6	8.12	0.6	9.32	0.69	3.26	0.24	7.04	0.52	49.4	3.66
14.	मणिपुर	0.98	0.44	0.78	0.35	0.44	0.2	0.01	0	2.76	1.24	4.97	2.23
15.	मेघालय	0.79	0.62	0.77	0.6	0.48	0.38	0.15	0.12	0.42	0.33	2.61	2.04
16.	मिजोराम	0.31	0.39	0.26	0.32	0.88	1.09	0.2	0.25	0.38	0.47	2.03	2.53
17.	नागालैण्ड	0.33	0.29	0.65	0.56	0.54	0.47	0.23	0.2	0.23	0.20	1.98	1.72
18.	उड़ीसा	47.34	1.33	39.65	1.12	27.24	0.77	2.67	0.08	9.12	0.26	126.02	3.55
19.	पंजाब	6.34	0.15	52.99	1.28	17.82	0.43	1.19	0.03	0.01	0.002	78.35	1.89
20.	राजस्थान	0.77	0.49	1.65	1.05	0.42	0.27	0.08	0.05	0.02	0.01	2.94	1.87
21.	सिक्किम	0.05	0.36	0.08	0.58	0.06	0.44	0.06	0.44	0.08	0.58	0.33	2.39
22.	तमिलनाडु	49.39	1.46	40.69	1.2	17.73	0.52	1.99	0.06	15.49	0.46	125.29	3.69
23.	त्रिपुरा	3.01	0.83	4.91	1.36	3.63	1	0.47	0.13	7.64	2.11	19.66	5.43
24.	उत्तर प्रदेश	31.09	0.37	49.86	0.59	25.01	0.29	18.71	0.22	47.75	0.56	172.42	2.02
25.	पश्चिम बंगाल	53.49	0.7	56.07	0.73	30.55	0.4	23.91	0.31	24.9	0.33	188.92	2.47
26.	अखिल भारत	431.15	0.83	479.16	0.92	264.64	0.51	91.39	0.18	230.84	0.45	1497.18	2.88

उत्पादक के स्तर पर फसलोत्तर धान की कुल हानि - मध्यम वर्ग के किसान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	खेत से खलिहान तक लाने में हुई हानि		श्रेसिंग के दौरान हानि		ओसाई के दौरान हानि		खलिहान से भण्डारण तक लाने के दौरान हानि		उत्पादक स्तर पर भण्डारण के दौरान हानि		उत्पादक स्तर पर कुल हानि	
		नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	आन्ध्र प्रदेश	87.81	1.57	42.69	0.76	26.21	0.47	4.53	0.08	21.93	0.39	183.17	3.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.24	0.49	0.31	0.63	0.18	0.37	0.19	0.39	0.43	0.88	1.35	2.75
3.	असम	13.01	0.78	15.97	0.96	10.33	0.62	4.19	0.25	17.15	1.03	60.65	3.63
4.	बिहार	30.95	1.03	52.19	1.73	22.48	0.74	10.5	0.35	32.84	1.09	148.96	4.93
5.	गोवा	0.09	0.23	0.35	0.89	0.61	1.55	0.07	0.18	0.2	0.51	1.32	3.35
6.	गुजरात	5.73	1.36	5.6	1.33	8.58	2.04	0.54	0.13	0.47	0.11	20.92	4.97
7.	हरियाणा	8.14	0.64	18.36	1.45	9.12	0.72	0.49	0.04	0.38	0.03	36.49	2.88
8.	हिमाचल प्रदेश	0.16	0.41	0.24	0.62	0.15	0.39	0.10	0.26	0.05	0.13	0.7	1.81

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
9.	जम्मू और कश्मीर	0.74	0.37	1.75	0.89	1.01	0.51	0.25	0.13	0.46	0.23	4.21	2.13
10.	कर्नाटक	6.59	0.64	9.33	0.91	5.68	0.56	1.64	0.16	1.91	0.19	25.15	2.46
11.	केरल	1.11	0.33	0.97	0.29	0.49	0.15	0.01	0.002	0.19	0.06	2.77	0.83
12.	मध्य प्रदेश	12.17	0.55	9.3	0.42	4.7	0.21	2.36	0.11	2.24	0.1	30.77	1.39
13.	महाराष्ट्र	13.62	1.35	6.01	0.59	6.89	0.68	2.2	0.22	3.49	0.35	32.21	3.19
14.	मणिपुर	0.85	0.42	0.71	0.35	0.38	0.19	0.01	0.002	2.64	1.31	4.59	2.28
15.	मेघालय	0.39	0.64	0.35	0.57	0.21	0.34	0.07	0.11	0.24	0.39	1.26	2.06
16.	मिजोराम	0.16	0.28	0.12	0.21	0.59	1.02	0.1	0.17	0.26	0.45	1.23	2.12
17.	नागालैण्ड	0.24	0.29	0.56	0.67	0.47	0.57	0.16	0.19	0.12	0.14	1.55	1.86
18.	उड़ीसा	31.95	1.21	25.58	0.97	18.48	0.7	3.17	0.12	7.33	0.28	86.51	3.27
19.	पंजाब	5.11	0.15	46.26	1.33	13.27	0.38	0.64	0.02	0	0	65.28	1.87
20.	राजस्थान	0.03	0.52	0.05	0.87	0.01	0.17	0	0	0	0	0.09	1.56
21.	सिक्किम	0.02	0.34	0.03	0.5	0.03	0.5	0.02	0.34	0	0	0.13	2.18
22.	तमिलनाडु	31.33	1.36	21.63	0.94	8.68	0.38	0.79	0.03	7.46	0.32	69.89	3.03
23.	त्रिपुरा	1.77	0.63	2.79	1	2.22	0.8	0.35	0.13	4.47	1.6	11.6	4.16
24.	उत्तर प्रदेश	15.19	0.36	22.61	0.53	12.74	0.3	8.34	0.19	23.53	0.55	82.41	1.93
25.	पश्चिम बंगाल	37.95	0.59	39.08	0.61	19.84	0.31	14.53	0.23	13.17	0.21	124.57	1.95
26.	अखिल भारत	305.35	0.83	322.84	0.88	173.35	0.47	55.25	0.15	140.99	0.38	997.78	2.72

उत्पादक के स्तर पर फसलोत्तर धान की कुल हानि - बड़े वर्ग के किसान

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	खेत से खलिहान तक लाने में हुई हानि		थ्रेसिंग के दौरान हानि		ओसाई के दौरान हानि		खलिहान से भण्डारण तक लाने के दौरान हानि		उत्पादक स्तर पर भण्डारण के दौरान हानि		उत्पादक स्तर पर कुल हानि	
		नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	आन्ध्र प्रदेश	50.82	1.20	29.29	0.69	18.18	0.43	2.62	0.06	12.77	0.30	113.68	2.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.36	0.24	0.48	0.14	0.28	0.16	0.32	0.35	0.70	1.07	2.15
3.	असम	11.39	0.75	14.21	0.94	9.07	0.60	3.62	0.24	13.88	0.92	52.17	3.45
4.	बिहार	26.22	0.99	44.20	1.67	20.04	0.76	8.82	0.33	27.93	1.06	127.21	4.82
5.	गोवा	0.03	0.12	0.16	0.66	0.34	1.41	0.02	0.08	0.11	0.46	0.66	2.74
6.	गुजरात	3.02	1.00	2.82	0.94	4.59	1.53	0.67	0.22	0.23	0.08	11.33	3.77
7.	हरियाणा	5.83	0.46	16.82	1.33	7.16	0.56	0.43	0.03	0.30	0.02	30.54	2.41
8.	हिमाचल प्रदेश	0.18	0.42	0.22	0.52	0.15	0.35	0.10	0.24	0.09	0.21	0.74	1.75

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
9.	जम्मू और कश्मीर	0.53	0.26	1.61	0.79	0.87	0.42	0.22	0.11	0.36	0.18	3.59	1.75
10.	कर्नाटक	5.18	0.62	11.94	1.43	5.58	0.67	1.47	0.18	1.21	0.14	25.38	3.04
11.	केरल	0.83	0.25	0.74	0.22	0.34	0.10	0.00	0.00	0.14	0.04	2.05	0.61
12.	मध्य प्रदेश	10.34	0.46	9.22	0.41	5.26	0.23	1.78	0.08	1.53	0.07	28.13	1.24
13.	महाराष्ट्र	8.03	0.97	4.94	0.59	4.84	0.58	2.13	0.26	2.78	0.33	22.72	2.73
14.	मणिपुर	0.83	0.42	0.69	0.35	0.39	0.20	0.01	0.01	2.41	1.23	4.33	2.21
15.	मेघालय	0.29	0.52	0.28	0.50	0.18	0.32	0.05	0.09	0.20	0.36	1.00	1.80
16.	मिजोराम	0.08	0.17	0.08	0.17	0.44	0.92	0.06	0.13	0.14	0.29	0.80	1.68
17.	नागालैण्ड	0.22	0.23	0.66	0.70	0.67	0.71	0.11	0.12	0.11	0.12	1.77	1.87
18.	उड़ीसा	33.52	1.26	25.10	0.94	17.50	0.66	5.09	0.19	9.12	0.34	90.33	3.38
19.	पंजाब	5.08	0.15	44.77	1.37	12.13	0.37	0.72	0.02	0.00	0.00	62.70	1.91
20.	राजस्थान	0.42	0.47	0.71	0.79	0.18	0.20	0.08	0.09	0.07	0.08	1.46	1.62
21.	सिक्किम	0.03	0.36	0.03	0.36	0.02	0.24	0.02	0.24	0.03	0.36	0.13	1.56
22.	तमिलनाडु	26.40	1.04	21.63	0.85	9.99	0.39	0.84	0.03	6.75	0.27	65.61	2.59
23.	त्रिपुरा	1.43	0.51	2.47	0.88	2.01	0.71	0.38	0.13	3.33	1.18	9.62	3.41
24.	उत्तर प्रदेश	13.91	0.34	20.14	0.49	12.01	0.29	7.71	0.19	19.67	0.48	73.44	1.78
25.	पश्चिम बंगाल	30.10	0.53	30.78	0.55	14.55	0.26	9.65	0.17	9.06	0.16	94.14	1.67
26.	अखिल भारत	234.89	0.70	283.76	0.85	146.63	0.44	46.76	0.14	112.57	0.34	824.61	2.46

उत्पादक के स्तर पर फसलोत्तर धान की कुल हानि – सभी वर्ग के किसान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	खेत से खलिहान तक लाने में हुई हानि		थ्रेसिंग के दौरान हानि		ओसाई के दौरान हानि		खलिहान से भण्डारण तक लाने के दौरान हानि		उत्पादक स्तर पर भण्डारण के दौरान हानि		उत्पादक स्तर पर कुल हानि	
		नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	नुकसान की मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	आन्ध्र प्रदेश	236.29	1.43	133.11	0.80	85.07	0.51	14.86	0.09	64.32	0.39	533.65	3.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.85	0.51	1.07	0.65	0.65	0.39	0.72	0.44	1.60	0.97	4.89	2.96
3.	असम	49.77	0.86	59.52	1.03	38.27	0.66	16.30	0.28	61.65	1.07	225.51	3.90
4.	बिहार	95.04	1.02	155.95	1.68	69.19	0.75	30.18	0.33	102.66	1.11	453.02	4.88
5.	गोवा	0.27	0.14	1.58	0.83	2.81	1.47	0.19	0.10	1.13	0.59	5.98	3.14
6.	गुजरात	15.95	1.26	16.17	1.28	25.24	1.99	2.73	0.22	1.51	0.12	61.60	4.86
7.	हरियाणा	23.02	0.57	56.95	1.40	25.80	0.63	1.48	0.04	1.59	0.04	108.84	2.67
8.	हिमाचल प्रदेश	0.61	0.42	0.88	0.60	0.59	0.40	0.41	0.28	0.21	0.14	2.70	1.85

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
9.	जम्मू और कश्मीर	2.47	0.36	5.86	0.85	3.18	0.46	1.03	0.15	2.04	0.30	14.58	2.12
10.	कर्नाटक	22.30	0.54	40.90	0.99	20.39	0.49	6.36	0.15	6.64	0.16	96.59	2.33
11.	केरल	3.50	0.33	3.15	0.30	1.58	0.15	0.03	0.00	0.59	0.06	8.85	0.83
12.	मध्य प्रदेश	46.82	0.55	36.05	0.42	19.01	0.22	8.95	0.10	8.21	0.10	119.04	1.39
13.	महाराष्ट्र	43.31	1.36	19.06	0.60	21.05	0.66	7.59	0.24	13.31	0.42	104.32	3.27
14.	मणिपुर	2.66	0.43	2.18	0.35	1.21	0.20	0.03	0.00	7.81	1.26	13.89	2.24
15.	मेघालय	1.47	0.60	1.40	0.57	0.87	0.36	0.27	0.11	0.86	0.35	4.87	1.99
16.	मिजोराम	0.55	0.30	0.47	0.25	1.91	1.03	0.36	0.19	0.78	0.42	4.07	2.19
17.	नागालैण्ड	0.79	0.27	1.87	0.64	1.68	0.57	0.50	0.17	0.46	0.16	5.30	1.81
18.	उड़ीसा	112.81	1.27	90.33	1.02	63.22	0.71	10.93	0.12	25.57	0.29	302.86	3.41
19.	पंजाब	16.53	0.15	144.03	1.32	43.22	0.40	2.55	0.02	0.01	0.00	206.34	1.89
20.	राजस्थान	1.22	0.48	2.41	0.95	0.61	0.24	0.16	0.06	0.09	0.04	4.49	1.78
21.	सिक्किम	0.10	0.36	0.14	0.50	0.11	0.39	0.10	0.36	0.14	0.50	0.59	2.10
22.	तमिलनाडु	107.12	1.30	83.95	1.02	36.40	0.44	3.62	0.04	29.70	0.36	260.79	3.17
23.	त्रिपुरा	6.21	0.67	10.17	1.10	7.86	0.85	1.20	0.13	15.44	1.67	40.88	4.43
24.	उत्तर प्रदेश	60.19	0.36	92.61	0.55	49.76	0.29	34.76	0.21	90.95	0.54	328.27	1.94
25.	पश्चिम बंगाल	121.54	0.62	125.93	0.64	64.94	0.33	48.09	0.24	47.13	0.24	407.63	2.07
26.	अखिल भारत	971.39	0.79	1085.76	0.89	584.62	0.48	193.40	0.16	484.40	0.40	3319.57	2.72

अनुलग्नक-XLV

तिमाही-वार धान की कुल बिक्री - छोटे वर्ग के किसान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बिक्री की तिमाही								कुल बिक्री
		I		II		III		IV		
		मात्रा	कालम 11 का %	मात्रा	कालम 11 का %	मात्रा	कालम 11 का %	मात्रा	कालम 11 का %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	आन्ध्र प्रदेश	29.66	0.89	393.10	11.78	1327.55	39.77	1587.62	47.56	3337.93
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	13.47	88.10	0.73	4.77	1.09	7.13	15.29
3.	असम	15.59	2.01	315.68	40.80	121.89	15.75	320.61	41.43	773.77
4.	बिहार	21.97	3.28	568.70	84.81	20.64	3.08	59.22	8.83	670.53
5.	गोवा	0.00	0.00	31.88	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.88
6.	गुजरात	2.66	0.85	301.22	96.38	8.65	2.77	0.00	0.00	312.53
7.	हरियाणा	0.00	0.00	1128.49	89.60	0.00	0.00	130.99	10.40	1259.48
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	78.35	98.91	0.10	0.13	0.76	0.96	79.21

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	कर्नाटक	0.27	0.02	201.43	14.91	384.78	28.49	764.31	56.58	1350.79
11.	केरल	1.75	1.50	6.43	5.53	102.63	88.22	5.53	4.75	116.34
12.	मध्य प्रदेश	23.41	1.25	1347.54	72.09	210.19	11.24	288.09	15.41	1869.23
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	24.30	65.82	10.03	27.17	2.59	7.02	36.92
14.	मणिपुर	0.00	0.00	35.00	86.63	0.00	0.00	5.40	13.37	40.40
15.	मेघालय	0.51	1.58	12.83	39.80	0.00	0.00	18.90	58.62	32.24
16.	मिजोराम	2.29	11.70	12.18	62.21	0.00	0.00	5.11	26.10	19.58
17.	नागालैण्ड	0.47	1.41	28.67	86.12	1.15	3.45	3.00	9.01	33.29
18.	उड़ीसा	25.58	2.45	430.94	41.28	404.54	38.75	183.00	17.53	1044.06
19.	पंजाब	148.93	3.97	3606.16	96.02	0.00	0.00	0.41	0.01	3755.50
20.	राजस्थान	0.00	0.00	131.94	99.50	0.66	0.50	0.00	0.00	132.60
21.	सिक्किम	0.00	0.00	4.96	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	168.38	18.72	391.47	43.52	339.75	37.77	899.60
23.	त्रिपुरा	1.23	2.02	2.80	4.61	6.22	10.23	50.53	83.14	60.78
24.	उत्तर प्रदेश	351.90	10.71	2699.54	82.17	152.20	4.63	81.53	2.48	3285.17
25.	पश्चिम बंगाल	19.58	0.54	382.58	10.58	126.63	3.50	3087.58	85.38	3616.37
26.	अखिल भारत	645.80	2.84	11926.57	52.36	3270.06	14.36	6936.02	30.45	22778.45

अनुलग्नक-XLVIतिमाही-वार धान की कुल बिक्री – मध्यम वर्ग के किसान

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बिक्री की तिमाही								कुल बिक्री
		I		II		III		IV		
		मात्रा	कालम 11 का %	मात्रा	कालम 11 का %	मात्रा	कालम 11 का %	मात्रा	कालम 11 का %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	आन्ध्र प्रदेश	18.81	0.56	337.11	9.98	1583.63	46.89	1437.75	42.57	3377.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.08	0.58	9.95	71.74	2.37	17.09	1.47	10.60	13.87
3.	असम	12.17	1.99	228.46	37.34	103.59	16.93	267.62	43.74	611.84
4.	बिहार	6.30	0.61	911.88	88.45	18.50	1.79	94.33	9.15	1031.01
5.	गोवा	0.00	0.00	8.79	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
6.	गुजरात	3.60	1.35	248.63	93.42	1.94	0.73	11.98	4.50	266.15
7.	हरियाणा	2.05	0.18	1021.39	89.97	0.00	0.00	111.87	9.85	1135.31
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	69.46	97.04	0.00	0.00	2.12	2.96	71.58

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	195.24	47.28	73.98	17.91	143.74	34.81	412.96
11.	केरल	2.41	1.86	5.44	4.21	110.08	85.13	11.38	8.80	129.31
12.	मध्य प्रदेश	2.03	0.19	782.16	74.82	69.08	6.61	192.08	18.37	1045.35
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	35.11	46.93	16.56	22.14	23.14	30.93	74.81
14.	मणिपुर	0.00	0.00	59.16	91.18	0.00	0.00	5.72	8.82	64.88
15.	मेघालय	0.05	0.26	8.29	43.86	0.36	1.90	10.20	53.97	18.90
16.	मिजोराम	1.86	10.65	11.22	64.22	0.04	0.23	4.35	24.90	17.47
17.	नागालैण्ड	0.56	1.48	27.60	72.92	1.10	2.91	8.59	22.69	37.85
18.	उड़ीसा	19.44	1.71	290.12	25.50	591.26	51.97	236.78	20.81	1137.60
19.	पंजाब	32.50	1.01	3179.68	98.95	0.00	0.00	1.17	0.04	3213.35
20.	राजस्थान	0.00	0.00	4.81	98.77	0.06	1.23	0.00	0.00	4.87
21.	सिक्किम	0.00	0.00	2.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	149.51	15.82	469.81	49.72	325.60	34.46	944.92
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	6.47	5.05	20.55	16.04	101.10	78.91	128.12
24.	उत्तर प्रदेश	143.04	6.75	1752.05	82.73	144.97	6.85	77.70	3.67	2117.76
25.	पश्चिम बंगाल	11.52	0.31	327.50	8.73	105.06	2.80	3308.51	88.17	3752.59
26.	अखिल भारत	256.42	1.31	9672.53	49.30	3312.94	16.89	6377.20	32.51	19619.09

तिमाही-वार धान की कुल बिक्री – बड़े वर्ग के किसान

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बिक्री की तिमाही								कुल बिक्री
		I		II		III		IV		
		मात्रा	कालम 11 का %	मात्रा	कालम 11 का %	मात्रा	कालम 11 का %	मात्रा	कालम 11 का %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	आन्ध्र प्रदेश	30.76	0.96	337.57	10.48	1308.81	40.65	1542.93	47.92	3220.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.06	0.38	10.81	67.86	3.03	19.02	2.03	12.74	15.93
3.	असम	25.15	3.50	282.30	39.29	119.61	16.65	291.53	40.57	718.59
4.	बिहार	5.14	0.44	979.42	83.99	47.94	4.11	133.63	11.46	1166.13
5.	गोवा	0.00	0.00	4.67	83.10	0.00	0.00	0.95	16.90	5.62
6.	गुजरात	0.60	0.31	179.47	92.80	4.40	2.28	8.93	4.62	193.40
7.	हरियाणा	0.00	0.00	1003.11	89.25	0.00	0.00	120.88	10.75	1123.99
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	110.34	98.84	0.37	0.33	0.93	0.83	111.64

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	कर्नाटक	18.05	4.91	162.25	44.17	78.99	21.51	108.01	29.41	367.30
11.	केरल	2.03	1.12	8.17	4.50	139.03	76.56	32.36	17.82	181.59
12.	मध्य प्रदेश	20.41	1.35	766.00	50.78	325.22	21.56	396.91	26.31	1508.54
13.	महाराष्ट्र	0.11	0.13	31.12	37.78	31.85	38.66	19.30	23.43	82.38
14.	मणिपुर	0.00	0.00	72.96	95.16	0.21	0.27	3.50	4.57	76.67
15.	मेघालय	0.00	0.00	6.07	34.01	2.00	11.20	9.78	54.79	17.85
16.	मिजोराम	0.61	3.56	10.93	63.73	0.27	1.57	5.34	31.14	17.15
17.	नागालैण्ड	0.54	1.10	28.08	57.17	3.65	7.43	16.85	34.30	49.12
18.	उड़ीसा	37.06	2.57	346.54	24.07	669.74	46.53	386.12	26.82	1439.46
19.	पंजाब	115.64	3.75	2967.87	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3083.51
20.	राजस्थान	0.00	0.00	74.11	97.85	1.63	2.15	0.00	0.00	75.74
21.	सिक्किम	0.00	0.00	3.54	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	224.08	17.48	540.17	42.13	517.95	40.40	1282.20
23.	त्रिपुरा	5.69	3.66	8.89	5.71	9.20	5.91	131.88	84.72	155.66
24.	उत्तर प्रदेश	183.49	8.20	1771.97	79.18	206.76	9.24	75.67	3.38	2237.89
25.	पश्चिम बंगाल	13.05	0.33	409.43	10.21	164.07	4.09	3423.59	85.37	4010.14
26.	अखिल भारत	458.39	2.17	9799.70	46.35	3656.95	17.30	7229.07	34.19	21144.11

तिमाही-वार धान की कुल बिक्री - सभी वर्गों के किसान

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बिक्री की तिमाही								कुल बिक्री
		I		II		III		IV		
		मात्रा	कालम 11 का %	मात्रा	कालम 11 का %	मात्रा	कालम 11 का %	मात्रा	कालम 11 का %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	आन्ध्र प्रदेश	79.23	0.80	1067.78	10.75	4219.99	42.47	4568.30	45.98	9935.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.14	0.31	34.23	75.91	6.13	13.60	4.59	10.18	45.09
3.	असम	52.91	2.51	826.44	39.28	345.09	16.40	879.76	41.81	2104.20
4.	बिहार	33.41	1.17	2460.00	85.78	87.08	3.04	287.18	10.01	2867.67
5.	गोवा	0.00	0.00	45.34	97.95	0.00	0.00	0.95	2.05	46.29
6.	गुजरात	6.86	0.89	729.32	94.46	14.99	1.94	20.91	2.71	772.08
7.	हरियाणा	2.05	0.06	3152.99	89.60	0.00	0.00	363.74	10.34	3518.78
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	258.15	98.37	0.47	0.18	3.81	1.45	262.43

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	कर्नाटक	18.32	0.86	558.92	26.23	537.75	25.23	1016.06	47.68	2131.05
11.	केरल	6.19	1.45	20.04	4.69	351.74	82.33	49.27	11.53	427.24
12.	मध्य प्रदेश	45.85	1.04	2895.70	65.47	604.49	13.67	877.08	19.83	4423.12
13.	महाराष्ट्र	0.11	0.06	90.53	46.64	58.44	30.11	45.03	23.20	194.11
14.	मणिपुर	0.00	0.00	167.12	91.85	0.21	0.12	14.62	8.04	181.95
15.	मेघालय	0.56	0.81	27.19	39.41	2.36	3.42	38.88	56.36	68.99
16.	मिजोराम	4.76	8.78	34.33	63.34	0.31	0.57	14.80	27.31	54.20
17.	नागालैण्ड	1.57	1.31	84.35	70.14	5.90	4.91	28.44	23.65	120.26
18.	उड़ीसा	82.08	2.27	1067.60	29.48	1665.54	46.00	805.90	22.26	3621.12
19.	पंजाब	297.07	2.96	9753.71	97.03	0.00	0.00	1.58	0.02	10052.36
20.	राजस्थान	0.00	0.00	210.86	98.90	2.35	1.10	0.00	0.00	213.21
21.	सिक्किम	0.00	0.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	541.97	17.33	1401.45	44.82	1183.30	37.84	3126.72
23.	त्रिपुरा	6.92	2.01	18.16	5.27	35.97	10.44	283.51	82.28	344.56
24.	उत्तर प्रदेश	678.43	8.88	6223.56	81.45	503.93	6.60	234.90	3.07	7640.82
25.	पश्चिम बंगाल	44.15	0.39	1119.51	9.84	395.76	3.48	9819.68	86.30	11379.10
26.	अखिल भारत	1360.61	2.14	31398.80	49.41	10239.95	16.12	20542.29	32.33	63541.65

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	जम्मू और कश्मीर	40.07	50.58	28.88	36.46	0.00	0.00	0.87	1.10	7.12	8.99	2.27	2.87	79.21
10.	कर्नाटक	2.74	0.20	1346.39	99.67	0.00	0.00	0.94	0.07	0.72	0.05	0.00	0.00	1350.79
11.	केरल	7.61	6.54	108.73	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.34
12.	मध्य प्रदेश	6.08	0.33	1837.49	98.30	13.83	0.74	0.00	0.00	4.13	0.22	7.70	0.41	1869.23
13.	महाराष्ट्र	6.10	16.52	28.80	78.01	2.02	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.92
14.	मणिपुर	10.23	25.31	27.52	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.68	2.37	5.87	40.4
15.	मेघालय	7.42	23.02	23.91	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	2.83	0.00	0.00	32.24
16.	मिजोराम	8.76	44.71	7.58	38.71	0.14	0.69	0.00	0.00	3.10	15.86	0.00	0.00	19.58
17.	नागालैण्ड	4.71	14.12	26.66	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	5.78	0.00	0.00	33.29
18.	उड़ीसा	142.75	13.67	896.43	85.86	2.26	0.22	0.00	0.00	2.62	0.25	0.00	0.00	1044.06
19.	पंजाब	4.46	0.12	1046.81	27.87	712.60	18.97	1974.75	52.58	11.37	0.30	5.51	0.15	3755.5
20.	राजस्थान	0.00	0.00	132.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.6
21.	सिक्किम	1.37	27.60	2.32	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	25.65	0.00	0.00	4.96
22.	तमिलनाडु	7.38	0.82	664.74	73.89	0.00	0.00	149.96	16.67	75.95	8.44	1.57	0.17	899.6
23.	त्रिपुरा	32.67	53.75	24.40	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	1.21	2.98	4.90	60.78
24.	उत्तर प्रदेश	232.96	7.09	2889.47	87.95	2.66	0.08	1.32	0.04	91.69	2.79	67.07	2.04	3285.17
25.	पश्चिम बंगाल	28.17	0.78	3583.83	99.10	0.00	0.00	1.06	0.03	3.31	0.09	0.00	0.00	3616.37
26.	अखिल भारत	855.49	3.76	18387.67	80.72	863.20	3.79	2270.51	9.97	228.36	1.00	173.22	0.76	22778.45

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	जम्मू और कश्मीर	28.76	40.18	38.84	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	5.14	0.30	0.42	71.58
10.	कर्नाटक	3.59	0.87	387.70	93.88	13.51	3.27	0.49	0.12	7.67	1.86	0.00	0.00	412.96
11.	केरल	9.99	7.73	118.71	91.80	0.40	0.31	0.00	0.00	0.21	0.16	0.00	0.00	129.31
12.	मध्य प्रदेश	1.50	0.14	999.49	95.61	11.60	1.11	11.71	1.12	4.47	0.43	16.58	1.59	1045.35
13.	महाराष्ट्र	1.79	2.39	53.05	70.91	17.48	23.37	0.00	0.00	0.86	1.15	1.63	2.18	74.81
14.	मणिपुर	12.77	19.68	47.31	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.39	4.55	7.01	64.88
15.	मेघालय	3.57	18.89	14.95	79.10	0.00	0.00	0.04	0.20	0.33	1.75	0.01	0.05	18.90
16.	मिजोराम	7.25	41.50	7.52	43.05	0.00	0.00	0.10	0.57	2.06	11.79	0.54	3.09	17.47
17.	नागालैण्ड	6.46	17.07	31.10	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.77	0.00	0.00	37.85
18.	उड़ीसा	173.87	15.28	885.82	77.87	18.06	1.59	4.58	0.40	55.27	4.86	0.00	0.00	1137.60
19.	पंजाब	13.86	0.43	880.42	27.40	591.25	18.40	1727.82	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3213.35
20.	राजस्थान	0.00	0.00	4.87	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87
21.	सिक्किम	0.19	7.60	1.35	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	38.40	0.00	0.00	2.50
22.	तमिलनाडु	17.12	1.81	681.69	72.14	0.00	0.00	197.26	20.88	48.85	5.17	0.00	0.00	944.92
23.	त्रिपुरा	71.68	55.95	46.99	36.68	0.15	0.12	0.00	0.00	4.94	3.86	4.36	3.40	128.12
24.	उत्तर प्रदेश	128.54	6.07	1913.87	90.37	5.01	0.24	1.69	0.08	37.80	1.78	30.85	1.46	2117.76
25.	पश्चिम बंगाल	13.07	0.35	3736.07	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.03	2.20	0.06	3752.59
26.	अखिल भारत	758.19	3.86	15674.35	79.89	818.71	4.17	2065.94	10.53	196.95	1.00	104.96	0.53	19619.09

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	जम्मू और कश्मीर	36.60	32.79	67.65	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14	6.39	0.25	0.22	111.64
10.	कर्नाटक	7.18	1.96	339.96	92.56	17.35	4.72	0.88	0.24	1.79	0.49	0.14	0.04	367.30
11.	केरल	13.25	7.30	166.04	91.44	1.19	0.66	0.00	0.00	0.18	0.10	0.93	0.51	181.59
12.	मध्य प्रदेश	0.09	0.01	1437.54	95.29	26.35	1.75	21.78	1.44	10.29	0.68	12.49	0.83	1508.54
13.	महाराष्ट्र	11.68	14.18	56.51	68.60	14.10	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.10	82.38
14.	मणिपुर	11.25	14.67	59.63	77.77	0.06	0.08	0.00	0.00	0.77	1.01	4.96	6.47	76.67
15.	मेघालय	1.63	9.11	16.13	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.45	0.01	0.06	17.85
16.	मिजोराम	6.31	36.78	7.63	44.49	0.18	1.05	0.09	0.52	2.85	16.62	0.09	0.52	17.15
17.	नागालैण्ड	5.19	10.57	43.41	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	1.05	0.00	0.00	49.12
18.	उड़ीसा	174.47	12.12	1233.37	85.68	19.25	1.34	9.09	0.63	3.06	0.21	0.22	0.02	1439.46
19.	पंजाब	-0.01	0.00	1073.62	34.82	570.11	18.49	1439.61	46.69	0.18	0.01	0.00	0.00	3083.51
20.	राजस्थान	0.00	0.00	75.74	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.74
21.	सिक्किम	0.18	5.43	2.92	82.49	0.02	0.45	0.00	0.00	0.42	11.76	0.00	0.00	3.54
22.	तमिलनाडु	16.64	1.30	927.70	72.35	16.20	1.26	251.59	19.62	69.60	5.43	0.47	0.04	1282.20
23.	त्रिपुरा	98.95	63.56	50.39	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	3.39	1.05	0.68	155.66
24.	उत्तर प्रदेश	40.02	1.79	2155.98	96.34	12.60	0.56	0.77	0.03	15.17	0.68	13.35	0.60	2237.89
25.	पश्चिम बंगाल	26.01	0.65	3973.86	99.10	7.32	0.18	0.00	0.00	2.95	0.07	0.00	0.00	4010.14
26.	अखिल भारत	697.47	3.30	17563.50	83.07	793.79	3.75	1814.44	8.58	183.00	0.87	91.92	0.43	21144.11

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	जम्मू और कश्मीर	105.43	40.17	135.37	51.58	0.00	0.00	0.87	0.33	17.94	6.84	2.82	1.07	262.43
10.	कर्नाटक	13.51	0.63	2074.05	97.33	30.86	1.45	2.31	0.11	10.18	0.48	0.14	0.01	2131.05
11.	केरल	30.85	7.22	393.48	92.10	1.59	0.37	0.00	0.00	0.39	0.09	0.93	0.22	427.24
12.	मध्य प्रदेश	7.67	0.17	4274.52	96.64	51.78	1.17	33.49	0.76	18.89	0.43	36.77	0.83	4423.12
13.	महाराष्ट्र	19.57	10.08	138.36	71.28	33.60	17.31	0.00	0.00	0.86	0.44	1.72	0.89	194.11
14.	मणिपुर	34.25	18.82	134.46	73.90	0.06	0.03	0.00	0.00	1.30	0.71	11.88	6.53	181.95
15.	मेघालय	12.62	18.29	54.99	79.71	0.00	0.00	0.04	0.06	1.32	1.91	0.02	0.03	68.99
16.	मिजोराम	22.32	41.18	22.73	41.94	0.32	0.59	0.19	0.35	8.01	14.78	0.63	1.16	54.20
17.	नागालैण्ड	16.36	13.60	101.17	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	2.27	0.00	0.00	120.26
18.	उड़ीसा	491.09	13.56	3015.62	83.28	39.57	1.09	13.67	0.38	60.95	1.68	0.22	0.01	3621.12
19.	पंजाब	18.31	0.18	3000.85	29.85	1873.96	18.64	5142.18	51.15	11.55	0.11	5.51	0.05	10052.36
20.	राजस्थान	0.00	0.00	213.21	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.21
21.	सिक्किम	1.74	15.82	6.59	59.91	0.02	0.18	0.00	0.00	2.65	24.09	0.00	0.00	11.00
22.	तमिलनाडु	41.14	1.32	2274.13	72.73	16.20	0.52	598.81	19.15	194.40	6.22	2.04	0.07	3126.72
23.	त्रिपुरा	203.30	59.00	121.78	35.34	0.15	0.04	0.00	0.00	10.94	3.18	8.39	2.43	344.56
24.	उत्तर प्रदेश	401.52	5.25	6959.32	91.08	20.27	0.27	3.78	0.05	144.66	1.89	111.27	1.46	7640.82
25.	पश्चिम बंगाल	67.25	0.59	11293.76	99.25	7.32	0.06	1.06	0.01	7.51	0.07	2.20	0.02	11379.10
26.	अखिल भारत	2311.16	3.64	51625.50	81.25	2475.70	3.90	6150.89	9.68	608.31	0.96	370.09	0.58	63541.65

गाँव में धान की कुल बिक्री - छोटे वर्ग के किसान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बिक्री की तिमाही							
		I		II		III		IV	
		मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	28.78	0.43	298.98	4.44	1258.16	18.70	1237.29	18.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	13.47	20.30	0.73	1.10	1.09	1.64
3.	असम	11.07	0.43	239.89	9.21	59.69	2.29	295.19	11.33
4.	बिहार	21.37	0.59	555.19	15.35	20.50	0.57	58.53	1.62
5.	गोवा	0.00	0.00	25.53	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	189.81	34.78	3.70	0.68	0.00	0.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	158.87	10.33	0.00	0.00	1.00	0.07
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	57.01	19.97	0.10	0.04	0.76	0.27

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	0.27	0.01	112.60	4.91	46.34	2.02	610.91	26.65
11.	केरल	1.15	0.29	4.22	1.05	67.28	16.80	3.63	0.91
12.	मध्य प्रदेश	2.29	0.06	172.94	4.24	65.22	1.60	66.11	1.62
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	12.87	0.95	1.49	0.11	0.50	0.04
14.	मणिपुर	0.00	0.00	35.00	15.70	0.00	0.00	5.40	2.42
15.	मेघालय	0.09	0.07	10.61	8.29	0.00	0.00	9.68	7.57
16.	मिजोराम	1.95	2.43	10.51	13.07	0.00	0.00	4.72	5.87
17.	नागालैण्ड	0.32	0.28	28.61	24.79	1.15	1.00	3.00	2.60
18.	उड़ीसा	5.38	0.15	416.04	11.70	364.33	10.25	108.56	3.05
19.	पंजाब	0.00	0.00	1637.22	39.45	0.00	0.00	0.41	0.01
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	2.95	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	97.66	2.88	221.60	6.54	179.20	5.28
23.	त्रिपुरा	0.91	0.25	2.04	0.56	3.01	0.83	25.66	7.09
24.	उत्तर प्रदेश	296.89	3.49	1749.50	20.54	86.61	1.02	49.76	0.58
25.	पश्चिम बंगाल	19.58	0.26	352.67	4.62	111.63	1.46	3047.95	39.92
26.	अखिल भारत	390.05	0.75	6183.53	11.89	2311.49	4.44	5709.35	10.97

गाँव में धान की कुल बिक्री – मध्यम वर्ग के किसान

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बिक्री की तिमाही							
		I		II		III		IV	
		मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	18.45	0.33	261.63	4.67	1530.76	27.35	880.81	15.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.07	0.14	8.33	16.98	1.57	3.20	1.47	3.00
3.	असम	8.21	0.49	195.09	11.67	50.42	3.02	233.23	13.95
4.	बिहार	5.66	0.19	878.39	29.10	17.07	0.57	94.33	3.12
5.	गोवा	0.00	0.00	7.96	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.13	0.03	106.41	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	0.24	0.02	123.19	9.73	0.00	0.00	0.23	0.02
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	55.92	28.28	0.00	0.00	1.44	0.73

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	100.23	9.81	61.88	6.05	34.42	3.37
11.	केरल	2.31	0.69	5.35	1.61	110.08	33.08	10.46	3.14
12.	मध्य प्रदेश	0.69	0.03	91.09	4.11	19.27	0.87	100.31	4.53
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	13.57	1.34	10.55	1.04	3.67	0.36
14.	मणिपुर	0.00	0.00	59.16	29.42	0.00	0.00	5.72	2.84
15.	मेघालय	0.00	0.00	5.74	9.41	0.36	0.59	4.26	6.98
16.	मिजोराम	0.93	1.60	9.50	16.37	0.00	0.00	4.35	7.49
17.	नागालैण्ड	0.52	0.63	27.59	33.17	1.10	1.32	8.35	10.04
18.	उड़ीसा	2.08	0.08	261.22	9.88	549.54	20.78	126.26	4.77
19.	पंजाब	0.00	0.00	1053.59	30.18	0.00	0.00	1.00	0.03
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	1.32	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	110.90	4.81	334.45	14.49	280.95	12.18
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	4.40	1.58	7.44	2.67	77.21	27.69
24.	उत्तर प्रदेश	139.72	3.27	1102.00	25.76	110.49	2.58	66.71	1.56
25.	पश्चिम बंगाल	11.52	0.18	313.03	4.91	100.21	1.57	3268.59	51.25
26.	अखिल भारत	190.53	0.52	4795.61	13.08	2905.19	7.92	5203.77	14.19

गाँव में धान की कुल बिक्री - बड़े वर्ग के किसान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

('000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बिक्री की तिमाही							
		I		II		III		IV	
		मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	27.18	0.64	197.73	4.67	1301.93	30.77	1040.39	24.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.06	0.12	6.75	13.59	1.06	2.13	2.03	4.09
3.	असम	13.62	0.90	234.04	15.47	48.36	3.20	235.95	15.60
4.	बिहार	3.99	0.15	915.80	34.69	47.45	1.80	117.11	4.44
5.	गोवा	0.00	0.00	4.67	19.39	0.00	0.00	0.95	3.94
6.	गुजरात	0.00	0.00	46.26	15.39	0.74	0.25	5.74	1.91
7.	हरियाणा	0.00	0.00	91.44	7.21	0.00	0.00	14.06	1.11
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	79.96	39.04	0.37	0.18	0.93	0.45

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
110.	कर्नाटक	0.00	0.00	49.38	5.91	52.11	6.23	54.77	6.55
11.	केरल	2.03	0.61	8.17	2.44	138.28	41.35	32.36	9.68
26.	अखिल भारत	238.01	0.71	4669.08	13.91	2943.15	8.77	5543.96	16.51
12.	मध्य प्रदेश	0.32	0.01	43.33	1.91	87.08	3.85	86.16	3.80
13.	महाराष्ट्र	0.11	0.01	10.02	1.21	14.98	1.80	10.82	1.30
14.	मणिपुर	0.00	0.00	72.96	37.23	0.21	0.11	3.50	1.79
15.	मेघालय	0.00	0.00	2.81	5.05	0.88	1.58	3.45	6.21
16.	मिजोराम	0.40	0.84	9.03	18.98	0.09	0.19	4.48	9.42
17.	नागालैण्ड	0.46	0.49	27.09	28.61	3.65	3.85	14.96	15.80
18.	उड़ीसा	14.49	0.54	303.25	11.36	582.28	21.81	108.94	4.08
19.	पंजाब	0.00	0.00	1015.13	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	2.93	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	107.12	4.22	417.06	16.44	312.52	12.32
23.	त्रिपुरा	2.87	1.02	4.60	1.63	2.50	0.89	100.89	35.81
24.	उत्तर प्रदेश	159.43	3.86	1035.49	25.10	92.34	2.24	25.83	0.63
25.	पश्चिम बंगाल	13.05	0.23	401.12	7.11	151.78	2.69	3368.12	59.69

गाँव में धान की कुल बिक्री - सभी वर्गों के किसान

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बिक्री की तिमाही							
		I		II		III		IV	
		मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	74.41	0.45	758.34	4.58	4090.85	24.71	3158.49	19.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.13	0.08	28.55	17.30	3.36	2.04	4.59	2.78
3.	असम	32.90	0.57	669.02	11.56	158.47	2.74	764.37	13.21
4.	बिहार	31.02	0.33	2349.38	25.33	85.02	0.92	269.97	2.91
5.	गोवा	0.00	0.00	38.16	20.02	0.00	0.00	0.95	0.50
6.	गुजरात	0.13	0.01	342.48	27.02	4.44	0.35	5.74	0.45
7.	हरियाणा	0.24	0.01	373.50	9.17	0.00	0.00	15.29	0.38
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	192.89	28.04	0.47	0.07	3.13	0.45

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	0.27	0.01	262.21	6.32	160.33	3.86	700.10	16.87
11.	केरल	5.49	0.51	17.74	1.66	315.64	29.56	46.45	4.35
12.	मध्य प्रदेश	3.30	0.04	307.36	3.59	171.57	2.00	252.58	2.95
13.	महाराष्ट्र	0.11	0.00	36.46	1.14	27.02	0.85	14.99	0.47
14.	मणिपुर	0.00	0.00	167.12	26.96	0.21	0.03	14.62	2.36
15.	मेघालय	0.09	0.04	19.16	7.83	1.24	0.51	17.39	7.11
16.	मिजोराम	3.28	1.76	29.04	15.61	0.09	0.05	13.55	7.28
17.	नागालैण्ड	1.30	0.44	83.29	28.40	5.90	2.01	26.31	8.97
18.	उड़ीसा	21.95	0.25	980.51	11.05	1496.15	16.87	343.76	3.88
19.	पंजाब	0.00	0.00	3705.94	33.94	0.00	0.00	1.41	0.01
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	7.20	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	315.68	3.83	973.11	11.82	772.67	9.38
23.	त्रिपुरा	3.78	0.41	11.04	1.20	12.95	1.40	203.76	22.09
24.	उत्तर प्रदेश	596.04	3.52	3886.99	22.97	289.44	1.71	142.30	0.84
25.	पश्चिम बंगाल	44.15	0.22	1066.82	5.43	363.62	1.85	9684.66	49.27
26.	अखिल भारत	818.59	0.67	15648.22	12.80	8159.83	6.67	16457.08	13.46

अनुलग्नक-LVII

गाँव से बाहर धान की बिक्री - छोटे वर्ग के किसान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बिक्री की तिमाही							
		I		II		III		IV	
		मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.88	0.01	94.12	1.40	69.39	1.03	350.33	5.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	4.52	0.17	75.79	2.91	62.20	2.39	25.42	0.98
4.	बिहार	0.60	0.02	13.51	0.37	0.14	0.00	0.69	0.02
5.	गोवा	0.00	0.00	6.35	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	2.66	0.49	111.41	20.41	4.95	0.91	0.00	0.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	969.62	63.05	0.00	0.00	129.99	8.45
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	21.34	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	88.83	3.87	338.44	14.76	153.40	6.69
11.	केरल	0.60	0.15	2.21	0.55	35.35	8.83	1.90	0.47
12.	मध्य प्रदेश	21.12	0.52	1174.60	28.78	144.97	3.55	221.98	5.44
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	11.43	0.85	8.54	0.63	2.09	0.15
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.42	0.33	2.22	1.74	0.00	0.00	9.22	7.21
16.	मिजोराम	0.34	0.42	1.67	2.08	0.00	0.00	0.39	0.49
17.	नागालैण्ड	0.15	0.13	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	20.20	0.57	14.90	0.42	40.21	1.13	74.44	2.09
19.	पंजाब	148.93	3.59	1968.94	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.00	0.00	131.94	84.06	0.66	0.42	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	2.01	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	70.72	2.09	169.87	5.01	160.55	4.73
23.	त्रिपुरा	0.32	0.09	0.76	0.21	3.21	0.89	24.87	6.87
24.	उत्तर प्रदेश	55.01	0.65	950.04	11.15	65.59	0.77	31.77	0.37
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	29.91	0.39	15.00	0.20	39.63	0.52
26.	अखिल भारत	255.75	0.49	5743.04	11.04	958.57	1.84	1226.67	2.36

गाँव से बाहर धान की बिक्री – मध्यम वर्ग के किसान

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बिक्री की तिमाही							
		I		II		III		IV	
		मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.36	0.01	75.48	1.35	52.87	0.94	556.94	9.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.02	1.62	3.30	0.80	1.63	0.00	0.00
3.	असम	3.96	0.24	33.37	2.00	53.17	3.18	34.39	2.06
4.	बिहार	0.64	0.02	33.49	1.11	1.43	0.05	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.83	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	3.47	0.82	142.22	33.76	1.94	0.46	11.98	2.84
7.	हरियाणा	1.81	0.14	898.20	70.92	0.00	0.00	111.64	8.81
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	13.54	6.85	0.00	0.00	0.68	0.34

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	95.01	9.30	12.10	1.18	109.32	10.70
11.	केरल	0.10	0.03	0.09	0.03	0.00	0.00	0.92	0.28
12.	मध्य प्रदेश	1.34	0.06	691.07	31.21	49.81	2.25	91.77	4.14
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	21.54	2.13	6.01	0.59	19.47	1.93
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.05	0.08	2.55	4.18	0.00	0.00	5.94	9.73
16.	मिजोराम	0.93	1.60	1.72	2.96	0.04	0.07	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.04	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.24	0.29
18.	उड़ीसा	17.36	0.66	28.90	1.09	41.72	1.58	110.52	4.18
19.	पंजाब	32.50	0.93	2126.09	60.90	0.00	0.00	0.17	0.00
20.	राजस्थान	0.00	0.00	4.81	83.36	0.06	1.04	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	1.18	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	38.61	1.67	135.36	5.87	44.65	1.93
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	2.07	0.74	13.11	4.70	23.89	8.57
24.	उत्तर प्रदेश	3.32	0.08	650.05	15.20	34.48	0.81	10.99	0.26
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	14.47	0.23	4.85	0.08	39.92	0.63
26.	अखिल भारत	65.89	0.18	4876.92	13.30	407.75	1.11	1173.43	3.20

गाँव से बाहर धान की बिक्री – बड़े वर्ग के किसान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बिक्री की तिमाही							
		I		II		III		IV	
		मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.58	0.08	139.84	3.31	6.88	0.16	502.54	11.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	4.06	8.17	1.97	3.97	0.00	0.00
3.	असम	11.53	0.76	48.26	3.19	71.25	4.71	55.58	3.67
4.	बिहार	1.15	0.04	63.62	2.41	0.49	0.02	16.52	0.63
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.60	0.20	133.21	44.32	3.66	1.22	3.19	1.06
7.	हरियाणा	0.00	0.00	911.67	71.84	0.00	0.00	106.82	8.42
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	30.38	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	18.05	2.16	112.87	13.50	26.88	3.22	53.24	6.37
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.22	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	20.09	0.89	722.67	31.91	238.14	10.52	310.75	13.72
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	21.10	2.54	16.87	2.03	8.48	1.02
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	3.26	5.86	1.12	2.01	6.33	11.39
16.	मिजोराम	0.21	0.44	1.90	3.99	0.18	0.38	0.86	1.81
17.	नागालैण्ड	0.08	0.08	0.99	1.05	0.00	0.00	1.89	2.00
18.	उड़ीसा	22.57	0.85	43.29	1.62	87.46	3.28	277.18	10.38
19.	पंजाब	115.64	3.53	1952.74	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.00	0.00	74.11	82.23	1.63	1.81	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.61	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	116.96	4.61	123.11	4.85	205.43	8.10
23.	त्रिपुरा	2.82	1.00	4.29	1.52	6.70	2.38	30.99	11.00
24.	उत्तर प्रदेश	24.06	0.58	736.48	17.85	114.42	2.77	49.84	1.21
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	8.31	0.15	12.29	0.22	55.47	0.98
26.	अखिल भारत	220.38	0.66	5130.62	15.28	713.80	2.13	1685.11	5.02

गाँव से बाहर धान की बिक्री - सभी वर्गों के किसान

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बिक्री की तिमाही							
		I		II		III		IV	
		मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %	मात्रा	वर्ग विशेष के उत्पादन का %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.82	0.03	309.44	1.87	129.14	0.78	1409.81	8.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	5.68	3.44	2.77	1.68	0.00	0.00
3.	असम	20.01	0.35	157.42	2.72	186.62	3.22	115.39	1.99
4.	बिहार	2.39	0.03	110.62	1.19	2.06	0.02	17.21	0.19
5.	गोवा	0.00	0.00	7.18	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	6.73	0.53	386.84	30.52	10.55	0.83	15.17	1.20
7.	हरियाणा	1.81	0.04	2779.49	68.24	0.00	0.00	348.45	8.55
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	65.26	9.49	0.00	0.00	0.68	0.10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	कर्नाटक	18.05	0.43	296.71	7.15	377.42	9.09	315.96	7.61
11.	केरल	0.70	0.07	2.30	0.22	36.10	3.38	2.82	0.26
12.	मध्य प्रदेश	42.55	0.50	2588.34	30.24	432.92	5.06	624.50	7.30
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	54.07	1.69	31.42	0.98	30.04	0.94
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.47	0.19	8.03	3.28	1.12	0.46	21.49	8.79
16.	मिजोराम	1.48	0.80	5.29	2.84	0.22	0.12	1.25	0.67
17.	नागालैण्ड	0.27	0.09	1.06	0.36	0.00	0.00	2.13	0.73
18.	उड़ीसा	60.13	0.68	87.09	0.98	169.39	1.91	462.14	5.21
19.	पंजाब	297.07	2.72	6047.77	55.38	0.00	0.00	0.17	0.00
20.	राजस्थान	0.00	0.00	210.86	83.39	2.35	0.93	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	3.80	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	226.29	2.75	428.34	5.20	410.63	4.99
23.	त्रिपुरा	3.14	0.34	7.12	0.77	23.02	2.50	79.75	8.65
24.	उत्तर प्रदेश	82.39	0.49	2336.57	13.81	214.49	1.27	92.60	0.55
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	52.69	0.27	32.14	0.16	135.02	0.69
26.	अखिल भारत	542.02	0.44	15750.58	12.88	2080.12	1.70	4085.21	3.34

विपणन योग्य अधिशेष - छोटे वर्ग के किसान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	रोके / रखे जाने का उद्देश												
		कुल उत्पादन	परिवार		स्थायी श्रमिक		अस्थायी श्रमिक		बीज		चारे के लिए		स्थायी श्रमिकों वस्तु रूप में भुगतान	
			मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	आन्ध्र प्रदेश	6728.36	1350.87	20.08	39.82	0.59	112.31	1.67	31.62	0.47	0.03	0.00	39.80	0.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	66.34	32.45	48.91	0.66	0.99	0.68	1.03	0.71	1.07	0.01	0.02	0.02	0.03
3.	असम	2604.51	1028.52	39.49	6.30	0.24	31.93	1.23	27.73	1.06	37.32	1.43	2.15	0.08
4.	बिहार	3615.72	2028.42	56.10	0.00	0.00	30.14	0.83	121.98	3.37	0.38	0.01	0.00	0.00
5.	गोवा	127.12	65.58	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	3.78	0.26	0.20	0.00	0.00
6.	गुजरात	545.76	129.24	23.68	0.00	0.00	5.27	0.97	1.80	0.33	0.30	0.05	1.62	0.30
7.	हरियाणा	1537.83	75.35	4.90	0.47	0.03	4.38	0.28	3.39	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	64.82	57.75	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	5.26	0.01	0.02	0.00	0.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	जम्मू और कश्मीर	285.44	136.83	47.94	0.00	0.00	1.10	0.39	4.89	1.71	2.50	0.88	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	2292.55	336.15	14.66	0.25	0.01	12.12	0.53	34.29	1.50	5.75	0.25	0.00	0.00
11.	केरल	400.53	157.10	39.22	0.00	0.00	8.03	2.00	13.09	3.27	0.20	0.05	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	4081.28	1276.27	31.27	0.00	0.00	112.22	2.75	113.23	2.77	0.00	0.00	19.45	0.48
13.	महाराष्ट्र	1351.30	975.54	72.19	0.00	0.00	13.83	1.02	56.85	4.21	0.29	0.02	0.00	0.00
14.	मणिपुर	222.90	142.42	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	2.67	0.30	0.13	0.00	0.00
15.	मेघालय	127.93	62.57	48.91	0.00	0.00	2.65	2.07	1.84	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोराम	80.39	40.36	50.21	0.80	1.00	0.96	1.19	1.13	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	115.39	46.31	40.13	2.77	2.40	4.34	3.76	3.09	2.68	3.55	3.08	18.07	15.66
18.	उड़ीसा	3554.83	1436.58	40.41	0.00	0.00	53.96	1.52	124.38	3.50	0.40	0.01	1.60	0.05
19.	पंजाब	4149.95	34.79	0.84	1.53	0.04	21.41	0.52	21.41	0.52	10.36	0.25	3.33	0.08
20.	राजस्थान	156.96	5.40	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.54	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	13.79	4.92	35.68	0.00	0.00	0.69	5.00	0.27	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	3390.88	1485.63	43.81	0.69	0.02	45.39	1.34	80.48	2.37	0.55	0.02	5.85	0.17
23.	त्रिपुरा	361.75	231.61	64.02	0.00	0.00	5.18	1.43	7.92	2.19	0.38	0.11	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	8517.53	3595.95	42.22	1.75	0.02	146.07	1.71	159.45	1.87	26.14	0.31	0.42	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	7634.81	2281.61	29.88	0.00	0.00	375.35	4.92	71.21	0.93	13.01	0.17	0.00	0.00
26.	अखिल भारत	52028.67	17018.22	32.71	55.04	0.11	988.01	1.90	904.48	1.74	101.74	0.20	92.31	0.18

क्रम संख्या	राज्य का नाम	रोकने का उद्देश्य				कुल रोकी गई धान		कुल खरीद		कुल हानि		किसान परिवार के लिए आवश्यक		विपणन योग्य अधिशेष	
		वस्तु रुप में भुगतान (अन्य)		वस्तु विनिमय											
		मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
1.	आन्ध्र प्रदेश	1040.47	15.46	0.00	0.00	2614.92	38.86	509.59	7.57	236.80	3.52	3361.31	49.96	3367.05	50.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.33	5.02	0.00	0.00	37.86	57.07	0.70	1.06	2.47	3.72	41.03	61.85	25.31	38.15
3.	असम	31.19	1.20	0.00	0.00	1165.14	44.74	118.77	4.56	112.69	4.33	1396.60	53.62	1207.91	46.38
4.	बिहार	290.15	8.02	0.00	0.00	2471.07	68.34	456.20	12.62	176.86	4.89	3104.13	85.85	511.59	14.15
5.	गोवा	7.44	5.85	0.00	0.00	78.09	61.43	22.87	17.99	4.00	3.15	104.96	82.57	22.16	17.43
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	138.23	25.33	0.53	0.10	29.35	5.38	168.11	30.80	377.65	69.20
7.	हरियाणा	44.98	2.92	0.00	0.00	128.57	8.36	2.19	0.14	41.82	2.72	172.58	11.22	1365.25	88.78
8.	हिमाचल प्रदेश	0.50	0.77	0.00	0.00	61.67	95.14	42.68	65.84	1.26	1.94	105.61	162.93	-40.79	-62.93
9.	जम्मू और कश्मीर	22.29	7.81	0.00	0.00	167.61	58.72	36.32	12.72	6.78	2.38	210.71	73.82	74.73	26.18
10.	कर्नाटक	83.84	3.66	0.00	0.00	472.40	20.61	153.89	6.71	46.06	2.01	672.35	29.33	1620.20	70.67

1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
11.	केरल	46.98	11.73	0.00	0.00	225.40	56.28	59.36	14.82	4.03	1.01	288.79	72.10	111.74	27.90
12.	मध्य प्रदेश	134.68	3.30	0.00	0.00	1655.85	40.57	159.92	3.92	60.14	1.47	1875.91	45.96	2205.37	54.04
13.	महाराष्ट्र	80.52	5.96	0.00	0.00	1127.03	83.40	944.78	69.92	49.40	3.66	2121.21	156.98	-769.91	-56.98
14.	मणिपुर	2.44	1.09	0.00	0.00	151.12	67.80	16.05	7.20	4.97	2.23	172.14	77.23	50.76	22.77
15.	मेघालय	6.40	5.00	0.00	0.00	73.46	57.42	19.62	15.34	2.61	2.04	95.69	74.80	32.24	25.20
16.	मिजोराम	4.14	5.15	0.00	0.00	47.39	58.95	0.00	0.00	2.03	2.53	49.42	61.48	30.97	38.52
17.	नागालैण्ड	0.14	0.12	0.00	0.00	78.27	67.83	2.21	1.92	1.98	1.72	82.46	71.46	32.93	28.54
18.	उड़ीसा	220.08	6.19	0.00	0.00	1837.00	51.68	916.96	25.79	126.02	3.55	2879.98	81.02	674.85	18.98
19.	पंजाब	89.07	2.15	0.00	0.00	181.90	4.38	2.67	0.06	78.35	1.89	262.92	6.34	3887.03	93.66
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94	9.52	0.00	0.00	2.94	1.87	17.88	11.39	139.08	88.61
21.	सिक्किम	1.88	13.63	0.00	0.00	7.76	56.27	0.00	0.00	0.33	2.39	8.09	58.67	5.70	41.33
22.	तमिलनाडु	441.55	13.02	0.00	0.00	2060.14	60.76	830.06	24.48	125.29	3.69	3015.49	88.93	375.39	11.07
23.	त्रिपुरा	0.59	0.16	0.00	0.00	245.68	67.91	49.58	13.71	19.66	5.43	314.92	87.05	46.83	12.95
24.	उत्तर प्रदेश	472.57	5.55	0.00	0.00	4402.35	51.69	462.33	5.43	172.42	2.02	5037.10	59.14	3480.43	40.86
25.	पश्चिम बंगाल	45.47	0.60	0.00	0.00	2786.65	36.50	84.80	1.11	188.93	2.47	3060.38	40.08	4574.43	59.92
26.	अखिल भारत	3070.70	5.90	0.00	0.00	22230.50	42.73	4892.08	9.40	1497.18	2.88	28619.76	55.01	23408.91	44.99

विपणन योग्य अधिशेष – मध्यम वर्ग के किसान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	रोके / रखे जाने का उद्देश्य												
		कुल उत्पादन	परिवार		स्थायी श्रमिक		अस्थायी श्रमिक		बीज		चारे के लिए		स्थायी श्रमिकों वस्तु रूप में भुगतान	
			मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	आन्ध्र प्रदेश	5597.11	940.39	16.80	53.66	0.96	87.20	1.56	27.97	0.50	0.03	0.00	79.54	1.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	49.07	21.80	44.43	0.74	1.51	0.39	0.79	0.54	1.10	0.02	0.04	0.05	0.10
3.	असम	1671.42	498.42	29.82	7.27	0.43	19.87	1.19	15.09	0.90	18.53	1.11	6.59	0.39
4.	बिहार	3018.87	1193.51	39.53	0.04	0.00	50.09	1.66	104.98	3.48	0.09	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	39.41	17.35	44.02	0.00	0.00	0.01	0.03	1.26	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	421.22	40.29	9.57	0.00	0.00	2.99	0.71	1.11	0.26	0.01	0.00	1.97	0.47
7.	हरियाणा	1266.52	37.97	3.00	1.31	0.10	5.04	0.40	2.40	0.19	0.00	0.00	7.69	0.61
8.	हिमाचल प्रदेश	38.77	30.88	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	5.39	0.01	0.03	0.00	0.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	जम्मू और कश्मीर	197.74	92.44	46.75	0.00	0.00	1.48	0.75	3.82	1.93	0.78	0.39	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	1021.98	243.49	23.83	0.00	0.00	6.01	0.59	20.83	2.04	7.84	0.77	0.46	0.05
11.	केरल	332.80	94.87	28.51	0.00	0.00	7.59	2.28	11.60	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	2214.41	587.35	26.52	0.00	0.00	52.09	2.35	69.00	3.12	0.43	0.02	51.26	2.31
13.	महाराष्ट्र	1010.55	608.18	60.18	0.00	0.00	15.98	1.58	41.00	4.06	3.21	0.32	0.87	0.09
14.	मणिपुर	201.08	87.71	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	61.03	24.70	40.47	0.92	1.51	2.35	3.85	0.80	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोराम	58.05	24.56	42.31	0.00	0.00	0.87	1.50	0.70	1.21	0.29	0.50	0.33	0.57
17.	नागालैण्ड	83.17	16.11	19.37	1.94	2.33	3.28	3.94	1.95	2.34	1.77	2.13	13.41	16.12
18.	उड़ीसा	2644.44	847.42	32.05	0.93	0.04	53.04	2.01	102.72	3.88	0.08	0.00	7.01	0.27
19.	पंजाब	3490.87	18.14	0.52	2.74	0.08	15.77	0.45	19.02	0.54	7.35	0.21	4.35	0.12
20.	राजस्थान	5.77	0.15	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	5.37	0.02	0.35	0.00	0.00
21.	सिक्किम	5.97	1.84	30.82	0.00	0.00	0.06	1.01	0.13	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	2307.50	794.42	34.43	3.23	0.14	34.13	1.48	59.22	2.57	2.09	0.09	14.88	0.64
23.	त्रिपुरा	278.83	124.80	44.76	0.41	0.15	4.80	1.72	6.23	2.23	0.21	0.08	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	4277.60	1389.20	32.48	2.12	0.05	130.52	3.05	84.91	1.98	8.77	0.21	0.71	0.02
25.	पश्चिम बंगाल	6378.17	1406.24	22.05	0.23	0.00	344.14	5.40	60.49	0.95	11.73	0.18	0.00	0.00
26.	अखिल भारत	36672.35	9142.23	24.93	75.54	0.21	837.70	2.28	643.63	1.76	63.26	0.17	189.12	0.52

क्रम संख्या	राज्य का नाम	रोकने का उद्देश्य				कुल रोकी गई धान		कुल खरीद		कुल हानि		किसान परिवार के लिए आवश्यक		विपणन योग्य अधिशेष	
		वस्तु रुप में भुगतान (अन्य)		वस्तु विनिमय											
		मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
1.	आन्ध्र प्रदेश	589.66	10.54	0.00	0.00	1778.45	31.77	90.15	1.61	183.17	3.27	2051.77	36.66	3545.34	63.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.50	5.09	0.00	0.00	26.04	53.07	0.26	0.53	1.35	2.75	27.65	56.35	21.42	43.65
3.	असम	22.68	1.36	0.00	0.00	588.45	35.21	21.33	1.28	60.65	3.63	670.43	40.11	1000.99	59.89
4.	बिहार	281.24	9.32	0.00	0.00	1629.95	53.99	56.11	1.86	148.96	4.93	1835.02	60.78	1183.85	39.22
5.	गोवा	2.61	6.62	0.00	0.00	21.23	53.87	3.05	7.74	1.32	3.35	25.60	64.96	13.81	35.04
6.	गुजरात	39.20	9.31	0.00	0.00	85.57	20.31	0.33	0.08	20.92	4.97	106.82	25.36	314.40	74.64
7.	हरियाणा	27.85	2.20	0.00	0.00	82.26	6.49	0.61	0.05	36.49	2.88	119.36	9.42	1147.16	90.58
8.	हिमाचल प्रदेश	0.43	1.11	0.00	0.00	33.41	86.17	15.80	40.75	0.70	1.81	49.91	128.73	-11.14	-28.73
9.	जम्मू और कश्मीर	15.10	7.64	0.00	0.00	113.62	57.46	9.81	4.96	4.21	2.13	127.64	64.55	70.10	35.45
10.	कर्नाटक	53.95	5.28	0.00	0.00	332.58	32.54	64.90	6.35	25.15	2.46	422.63	41.35	599.35	58.65

1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
11.	केरल	46.50	13.97	0.00	0.00	160.56	48.25	10.34	3.11	2.77	0.83	173.67	52.18	159.13	47.82
12.	मध्य प्रदेश	88.26	3.99	0.00	0.00	848.39	38.31	62.29	2.81	30.77	1.39	941.45	42.51	1272.96	57.49
13.	महाराष्ट्र	40.27	3.98	0.00	0.00	709.51	70.21	231.34	22.89	32.21	3.19	973.06	96.29	37.49	3.71
14.	मणिपुर	1.48	0.74	0.00	0.00	94.65	47.07	1.77	0.88	4.59	2.28	101.01	50.23	100.07	49.77
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	28.77	47.14	2.24	3.67	1.26	2.06	32.27	52.88	28.76	47.12
16.	मिजोराम	2.32	4.00	0.00	0.00	29.07	50.08	0.00	0.00	1.23	2.12	30.30	52.20	27.75	47.80
17.	नागालैण्ड	0.73	0.88	0.00	0.00	39.19	47.12	1.31	1.58	1.55	1.86	42.05	50.56	41.12	49.44
18.	उड़ीसा	166.72	6.30	0.00	0.00	1177.92	44.54	245.40	9.28	86.51	3.27	1509.83	57.09	1134.61	42.91
19.	पंजाब	37.81	1.08	0.00	0.00	105.18	3.01	0.91	0.03	65.28	1.87	171.37	4.91	3319.50	95.09
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	8.32	0.00	0.00	0.09	1.56	0.57	9.88	5.20	90.12
21.	सिक्किम	0.20	3.35	0.00	0.00	2.23	37.35	0.12	2.01	0.13	2.18	2.48	41.54	3.49	58.46
22.	तमिलनाडु	317.33	13.75	0.00	0.00	1225.30	53.10	316.26	13.71	69.89	3.03	1611.45	69.84	696.05	30.16
23.	त्रिपुरा	0.83	0.30	0.00	0.00	137.28	49.23	3.26	1.17	11.60	4.16	152.14	54.56	126.69	45.44
24.	उत्तर प्रदेश	298.96	6.99	0.00	0.00	1915.19	44.77	65.53	1.53	82.41	1.93	2063.13	48.23	2214.47	51.77
25.	पश्चिम बंगाल	74.77	1.17	0.00	0.00	1897.60	29.75	4.92	0.08	124.56	1.95	2027.08	31.78	4351.09	68.22
26.	अखिल भारत	2111.40	5.76	0.00	0.00	13062.88	35.62	1208.04	3.29	997.78	2.72	15268.70	41.64	21403.65	58.36

विपणन योग्य अधिशेष – बड़े वर्ग के किसान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

('000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	रोके / रखे जाने का उद्देश्य												
		कुल उत्पादन	परिवार		स्थायी श्रमिक		अस्थायी श्रमिक		बीज		चारे के लिए		स्थायी श्रमिकों वस्तु रूप में भुगतान	
			मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	आन्ध्र प्रदेश	4231.08	338.83	8.01	40.07	0.95	58.64	1.39	25.04	0.59	0.01	0.00	94.10	2.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	49.67	20.04	40.35	0.00	0.00	1.00	2.01	1.02	2.05	0.02	0.04	0.13	0.26
3.	असम	1512.43	215.35	14.24	12.12	0.80	15.60	1.03	13.55	0.90	12.54	0.83	10.59	0.70
4.	बिहार	2639.73	820.40	31.08	0.01	0.00	54.87	2.08	92.86	3.52	0.72	0.03	0.00	0.00
5.	गोवा	24.09	10.36	43.01	0.00	0.00	0.02	0.08	0.91	3.78	0.05	0.21	0.00	0.00
6.	गुजरात	300.58	33.41	11.12	0.00	0.00	3.12	1.04	1.38	0.46	0.06	0.02	1.90	0.63
7.	हरियाणा	1269.04	25.76	2.03	1.70	0.13	4.18	0.33	2.52	0.20	0.44	0.03	26.18	2.06
8.	हिमाचल प्रदेश	42.40	27.98	65.99	0.00	0.00	0.01	0.02	2.59	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	जम्मू और कश्मीर	204.83	51.66	25.22	0.00	0.00	2.37	1.16	3.69	1.80	0.88	0.43	1.14	0.56
10.	कर्नाटक	836.02	196.46	23.50	0.81	0.10	3.06	0.37	18.38	2.20	8.01	0.96	0.09	0.01
11.	केरल	334.39	53.08	15.87	0.00	0.00	6.85	2.05	11.36	3.40	0.10	0.03	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	2264.42	415.59	18.35	0.29	0.01	30.98	1.37	112.89	4.99	0.20	0.01	77.12	3.41
13.	महाराष्ट्र	831.40	472.85	56.87	0.80	0.10	13.01	1.56	37.18	4.47	1.46	0.18	0.53	0.06
14.	मणिपुर	195.99	60.37	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	55.59	17.06	30.69	1.71	3.08	2.77	4.98	0.73	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोराम	47.57	19.10	40.15	0.86	1.81	0.62	1.30	0.52	1.09	0.38	0.80	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	94.69	17.78	18.78	3.77	3.98	3.08	3.25	2.16	2.28	1.78	1.88	9.83	10.38
18.	उड़ीसा	2670.24	555.00	20.78	1.16	0.04	49.36	1.85	102.95	3.86	0.27	0.01	10.74	0.40
19.	पंजाब	3279.21	15.14	0.46	3.71	0.11	15.26	0.47	15.76	0.48	6.00	0.18	1.75	0.05
20.	राजस्थान	90.12	1.47	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	4.14	0.15	0.17	0.00	0.00
21.	सिक्किम	8.32	2.41	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	1.56	0.02	0.24	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	2536.98	565.01	22.27	6.49	0.26	32.73	1.29	56.35	2.22	0.00	0.00	22.83	0.90
23.	त्रिपुरा	281.74	81.18	28.81	0.93	0.33	5.88	2.09	6.02	2.14	0.88	0.31	5.29	1.88
24.	उत्तर प्रदेश	4125.86	880.54	21.34	3.74	0.09	138.83	3.36	81.18	1.97	7.82	0.19	0.45	0.01
25.	पश्चिम बंगाल	5642.88	826.56	14.65	0.26	0.00	238.51	4.23	57.75	1.02	9.94	0.18	0.00	0.00
26.	अखिल भारत	33569.27	5723.39	17.05	78.43	0.23	680.75	2.03	655.75	1.95	51.73	0.15	262.67	0.78

क्रम संख्या	राज्य का नाम	रोकने का उद्देश्य				कुल रोकी गई धान		कुल खरीद		कुल हानि		किसान परिवार के लिए आवश्यक		विपणन योग्य अधिशेष	
		वस्तु रुप में भुगतान (अन्य)		वस्तु विनिमय											
		मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
1.	आन्ध्र प्रदेश	280.46	6.63	0.00	0.00	837.15	19.79	33.01	0.78	113.68	2.69	983.84	23.25	3247.24	76.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.04	6.12	0.00	0.00	25.25	50.84	0.05	0.10	1.07	2.15	26.37	53.09	23.30	46.91
3.	असम	21.57	1.43	0.00	0.00	301.32	19.92	1.92	0.13	52.17	3.45	355.41	23.50	1157.02	76.50
4.	बिहार	321.72	12.19	0.00	0.00	1290.5 8	48.89	8.77	0.33	127.21	4.82	1426.56	54.04	1213.17	45.96
5.	गोवा	2.57	10.67	0.00	0.00	13.91	57.74	0.62	2.57	0.66	2.74	15.19	63.06	8.90	36.94
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	39.87	13.26	0.50	0.17	11.33	3.77	51.70	17.20	248.88	82.80
7.	हरियाणा	19.16	1.51	0.00	0.00	79.94	6.30	0.42	0.03	30.54	2.41	110.90	8.74	1158.14	91.26
8.	हिमाचल प्रदेश	0.32	0.75	0.00	0.00	30.90	72.88	5.40	12.74	0.74	1.75	37.04	87.36	5.36	12.64
9.	जम्मू और कश्मीर	10.20	4.98	0.00	0.00	69.94	34.15	6.01	2.93	3.59	1.75	79.54	38.83	125.29	61.17
10.	कर्नाटक	41.91	5.01	0.00	0.00	268.72	32.14	31.07	3.72	25.38	3.04	325.17	38.90	510.85	61.10

1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
11.	केरल	44.66	13.36	0.00	0.00	116.05	34.70	3.12	0.93	2.05	0.61	121.22	36.25	213.17	63.75
12.	मध्य प्रदेश	81.55	3.60	0.00	0.00	718.62	31.74	84.85	3.75	28.13	1.24	831.60	36.72	1432.82	63.28
13.	महाराष्ट्र	34.81	4.19	0.00	0.00	560.64	67.43	69.36	8.34	22.72	2.73	652.72	78.51	178.68	21.49
14.	मणिपुर	1.85	0.94	0.00	0.00	67.32	34.35	0.93	0.47	4.33	2.21	72.58	37.03	123.41	62.97
15.	मेघालय	3.34	6.01	0.00	0.00	25.61	46.07	0.13	0.23	1.00	1.80	26.74	48.10	28.85	51.90
16.	मिजोराम	1.95	4.10	0.00	0.00	23.43	49.25	0.00	0.00	0.80	1.68	24.23	50.94	23.34	49.06
17.	नागालैण्ड	0.88	0.93	0.00	0.00	39.28	41.48	0.41	0.43	1.77	1.87	41.46	43.78	53.23	56.22
18.	उड़ीसा	170.98	6.40	0.00	0.00	890.46	33.35	75.08	2.81	90.33	3.38	1055.87	39.54	1614.37	60.46
19.	पंजाब	53.47	1.63	0.00	0.00	111.09	3.39	0.19	0.01	62.70	1.91	173.98	5.31	3105.23	94.69
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35	5.94	0.00	0.00	1.46	1.62	6.81	7.56	83.31	92.44
21.	सिक्किम	0.43	5.17	0.00	0.00	2.99	35.94	0.07	0.84	0.13	1.56	3.19	38.34	5.13	61.66
22.	तमिलनाडु	355.33	14.01	0.00	0.00	1038.74	40.94	121.23	4.78	65.61	2.59	1225.58	48.31	1311.40	51.69
23.	त्रिपुरा	2.74	0.97	0.00	0.00	102.92	36.53	2.46	0.87	9.62	3.41	115.00	40.82	166.74	59.18
24.	उत्तर प्रदेश	286.06	6.93	0.00	0.00	1398.62	33.90	26.78	0.65	73.44	1.78	1498.84	36.33	2627.02	63.67
25.	पश्चिम बंगाल	87.98	1.56	0.00	0.00	1221.00	21.64	0.14	0.00	94.14	1.67	1315.28	23.31	4327.60	76.69
26.	अखिल भारत	1826.98	5.44	0.00	0.00	9279.70	27.64	472.52	1.41	824.61	2.46	10576.83	31.51	22992.44	68.49

विपणन योग्य अधिशेष – सभी वर्गों के किसान
(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	रोके / रखे जाने का उद्देश्य												
		कुल उत्पादन	परिवार		स्थायी श्रमिक		अस्थायी श्रमिक		बीज		चारे के लिए		स्थायी श्रमिकों वस्तु रूप में भुगतान	
			मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	आन्ध्र प्रदेश	16556.55	2630.09	15.89	133.55	0.81	258.15	1.56	84.63	0.51	0.07	0.00	213.44	1.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	165.08	74.29	45.00	1.40	0.85	2.07	1.25	2.27	1.38	0.05	0.03	0.20	0.12
3.	असम	5788.36	1742.29	30.10	25.69	0.44	67.40	1.16	56.37	0.97	68.39	1.18	19.33	0.33
4.	बिहार	9274.32	4042.33	43.59	0.05	0.00	135.10	1.46	319.82	3.45	1.19	0.01	0.00	0.00
5.	गोवा	190.62	93.29	48.94	0.00	0.00	0.03	0.02	6.98	3.66	0.31	0.16	0.00	0.00
6.	गुजरात	1267.56	202.94	16.01	0.00	0.00	11.38	0.90	4.29	0.34	0.37	0.03	5.49	0.43
7.	हरियाणा	4073.39	139.08	3.41	3.48	0.09	13.60	0.33	8.31	0.20	0.44	0.01	33.87	0.83
8.	हिमाचल प्रदेश	145.99	116.61	79.88	0.00	0.00	0.01	0.01	8.09	5.54	0.02	0.01	0.00	0.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	जम्मू और कश्मीर	688.01	280.93	40.83	0.00	0.00	4.95	0.72	12.40	1.80	4.16	0.60	1.14	0.17
10.	कर्नाटक	4150.55	776.10	18.70	1.06	0.03	21.19	0.51	73.50	1.77	21.60	0.52	0.55	0.01
11.	केरल	1067.72	305.05	28.57	0.00	0.00	22.47	2.10	36.05	3.38	0.30	0.03	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	8560.11	2279.21	26.63	0.29	0.00	195.29	2.28	295.12	3.45	0.63	0.01	147.83	1.73
13.	महाराष्ट्र	3193.25	2056.57	64.40	0.80	0.03	42.82	1.34	135.03	4.23	4.96	0.16	1.40	0.04
14.	मणिपुर	619.97	290.50	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52	2.66	0.30	0.05	0.00	0.00
15.	मेघालय	244.55	104.33	42.66	2.63	1.08	7.77	3.18	3.37	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोराम	186.01	84.02	45.17	1.66	0.89	2.45	1.32	2.35	1.26	0.67	0.36	0.33	0.18
17.	नागालैण्ड	293.25	80.20	27.35	8.48	2.89	10.70	3.65	7.20	2.46	7.10	2.42	41.31	14.09
18.	उड़ीसा	8869.51	2839.00	32.01	2.09	0.02	156.36	1.76	330.05	3.72	0.75	0.01	19.35	0.22
19.	पंजाब	10920.03	68.07	0.62	7.98	0.07	52.44	0.48	56.19	0.51	23.71	0.22	9.43	0.09
20.	राजस्थान	252.85	7.02	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58	5.37	0.17	0.07	0.00	0.00
21.	सिक्किम	28.08	9.17	32.66	0.00	0.00	0.75	2.67	0.53	1.89	0.02	0.07	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	8235.36	2845.06	34.55	10.41	0.13	112.25	1.36	196.05	2.38	2.64	0.03	43.56	0.53
23.	त्रिपुरा	922.32	437.59	47.44	1.34	0.15	15.86	1.72	20.17	2.19	1.47	0.16	5.29	0.57
24.	उत्तर प्रदेश	16920.99	5865.69	34.67	7.61	0.04	415.42	2.46	325.54	1.92	42.73	0.25	1.58	0.01
25.	पश्चिम बंगाल	19655.86	4514.41	22.97	0.49	0.00	958.00	4.87	189.45	0.96	34.68	0.18	0.00	0.00
26.	अखिल भारत	122270.29	31883.84	26.08	209.01	0.17	2506.46	2.05	2203.86	1.80	216.73	0.18	544.10	0.44

क्रम संख्या	राज्य का नाम	रोकने का उद्देश्य				कुल रोकी गई धान		कुल खरीद		कुल हानि		किसान परिवार के लिए आवश्यक		विपणन योग्य अधिशेष	
		वस्तु रूप में भुगतान (अन्य)		वस्तु विनिमय											
		मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
1.	आन्ध्र प्रदेश	1910.59	11.54	0.00	0.00	5230.52	31.59	632.75	3.82	533.65	3.22	6396.92	38.64	10159.63	61.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.87	5.37	0.00	0.00	89.15	54.00	1.01	0.61	4.89	2.96	95.05	57.58	70.03	42.42
3.	असम	75.44	1.30	0.00	0.00	2054.91	35.50	142.02	2.45	225.51	3.90	2422.44	41.85	3365.92	58.15
4.	बिहार	893.11	9.63	0.00	0.00	5391.60	58.13	521.08	5.62	453.03	4.88	6365.71	68.64	2908.61	31.36
5.	गोवा	12.62	6.62	0.00	0.00	113.23	59.40	26.54	13.92	5.98	3.14	145.75	76.46	44.87	23.54
6.	गुजरात	39.20	3.09	0.00	0.00	263.67	20.80	1.36	0.11	61.60	4.86	326.63	25.77	940.93	74.23
7.	हरियाणा	91.99	2.26	0.00	0.00	290.77	7.14	3.22	0.08	108.85	2.67	402.84	9.89	3670.55	90.11
8.	हिमाचल प्रदेश	1.25	0.86	0.00	0.00	125.98	86.29	63.88	43.76	2.70	1.85	192.56	131.90	-46.57	-31.90
9.	जम्मू और कश्मीर	47.59	6.92	0.00	0.00	351.17	51.04	52.14	7.58	14.58	2.12	417.89	60.74	270.12	39.26
10.	कर्नाटक	179.70	4.33	0.00	0.00	1073.70	25.87	249.86	6.02	96.59	2.33	1420.15	34.22	2730.40	65.78

1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
11.	केरल	138.14	12.94	0.00	0.00	502.01	47.02	72.82	6.82	8.85	0.83	583.68	54.67	484.04	45.33
12.	मध्य प्रदेश	304.49	3.56	0.00	0.00	3222.86	37.65	307.06	3.59	119.04	1.39	3648.96	42.63	4911.15	57.37
13.	महाराष्ट्र	155.60	4.87	0.00	0.00	2397.18	75.07	1245.48	39.00	104.33	3.27	3746.99	117.34	-553.74	-17.34
14.	मणिपुर	5.77	0.93	0.00	0.00	313.09	50.50	18.75	3.02	13.89	2.24	345.73	55.77	274.24	44.23
15.	मेघालय	9.74	3.98	0.00	0.00	127.84	52.28	21.99	8.99	4.87	1.99	154.70	63.26	89.85	36.74
16.	मिजोराम	8.41	4.52	0.00	0.00	99.89	53.70	0.00	0.00	4.06	2.18	103.95	55.88	82.06	44.12
17.	नागालैण्ड	1.75	0.60	0.00	0.00	156.74	53.45	3.93	1.34	5.30	1.81	165.97	56.60	127.28	43.40
18.	उड़ीसा	557.78	6.29	0.00	0.00	3905.38	44.03	1237.44	13.95	302.86	3.41	5445.68	61.40	3423.83	38.60
19.	पंजाब	180.35	1.65	0.00	0.00	398.17	3.65	3.77	0.03	206.33	1.89	608.27	5.57	10311.76	94.43
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77	8.21	0.00	0.00	4.49	1.78	25.26	9.99	227.59	90.01
21.	सिक्किम	2.51	8.94	0.00	0.00	12.98	46.23	0.19	0.68	0.59	2.10	13.76	49.00	14.32	51.00
22.	तमिलनाडु	1114.21	13.53	0.00	0.00	4324.18	52.51	1267.55	15.39	260.79	3.17	5852.52	71.07	2382.84	28.93
23.	त्रिपुरा	4.16	0.45	0.00	0.00	485.88	52.68	55.30	6.00	40.88	4.43	582.06	63.11	340.26	36.89
24.	उत्तर प्रदेश	1057.59	6.25	0.00	0.00	7716.16	45.60	554.64	3.28	328.27	1.94	8599.07	50.82	8321.92	49.18
25.	पश्चिम बंगाल	208.22	1.06	0.00	0.00	5905.25	30.04	89.86	0.46	407.63	2.07	6402.74	32.57	13253.12	67.43
26.	अखिल भारत	7009.08	5.73	0.00	0.00	44573.08	36.45	6572.64	5.38	3319.57	2.71	54465.29	44.54	67805.00	55.46

बेचे गए अधिशेष की तुलना में विपणन योग्य अधिशेष – छोटे वर्ग के किसान

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

('000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	उपयोग में लाई गई कुल मात्रा		बेचा गया अधिशेष		विपणन योग्य अधिशेष		अन्तर	
			मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	आन्ध्र प्रदेश	6728.36	3361.31	49.96	3337.93	49.61	3367.05	50.04	29.12	0.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	66.34	41.03	61.85	15.29	23.05	25.31	38.15	10.02	15.10
3.	असम	2604.51	1396.6	53.62	773.77	29.71	1207.91	46.38	434.14	16.67
4.	बिहार	3615.72	3104.13	85.85	670.53	18.54	511.59	14.15	-158.94	-4.40
5.	गोवा	127.12	104.96	82.57	31.88	25.08	22.16	17.43	-9.72	-7.65
6.	गुजरात	545.76	168.11	30.8	312.53	57.27	377.65	69.2	65.12	11.93
7.	हरियाणा	1537.83	172.58	11.22	1259.48	81.90	1365.25	88.78	105.77	6.88
8.	हिमाचल प्रदेश	64.82	105.61	162.93	0	0.00	-40.79	-62.93	-40.79	-62.93
9.	जम्मू और कश्मीर	285.44	210.71	73.82	79.21	27.75	74.73	26.18	-4.48	-1.57
10.	कर्नाटक	2292.55	672.35	29.33	1350.79	58.92	1620.2	70.67	269.41	11.75

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	केरल	400.53	288.79	72.1	116.34	29.05	111.74	27.9	-4.6	-1.15
12.	मध्य प्रदेश	4081.28	1875.91	45.96	1869.23	45.80	2205.37	54.04	336.14	8.24
13.	महाराष्ट्र	1351.3	2121.21	156.9 8	36.92	2.73	-769.91	-56.98	-806.83	-59.71
14.	मणिपुर	222.9	172.14	77.23	40.4	18.12	50.76	22.77	10.36	4.65
15.	मेघालय	127.93	95.69	74.8	32.24	25.20	32.24	25.2	0	0.00
16.	मिजोराम	80.39	49.42	61.48	19.58	24.36	30.97	38.52	11.39	14.17
17.	नागालैण्ड	115.39	82.46	71.46	33.29	28.85	32.93	28.54	-0.36	-0.31
18.	उड़ीसा	3554.83	2879.98	81.02	1044.06	29.37	674.85	18.98	-369.21	-10.39
19.	पंजाब	4149.95	262.92	6.34	3755.5	90.50	3887.03	93.66	131.53	3.17
20.	राजस्थान	156.96	17.88	11.39	132.6	84.48	139.08	88.61	6.48	4.13
21.	सिक्किम	13.79	8.09	58.67	4.96	35.97	5.7	41.33	0.74	5.37
22.	तमिलनाडु	3390.88	3015.49	88.93	899.6	26.53	375.39	11.07	-524.21	-15.46
23.	त्रिपुरा	361.75	314.92	87.05	60.78	16.80	46.83	12.95	-13.95	-3.86
24.	उत्तर प्रदेश	8517.53	5037.1	59.14	3285.17	38.57	3480.43	40.86	195.26	2.29
25.	पश्चिम बंगाल	7634.81	3060.38	40.08	3616.37	47.37	4574.43	59.92	958.06	12.55
26.	अखिल भारत	52028.67	28619.76	55.01	22778.45	43.78	23408.91	44.99	630.46	1.21

बेचे गए अधिशेष की तुलना में विपणन योग्य अधिशेष – मध्यम वर्ग के किसान

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	उपयोग में लाई गई कुल मात्रा		बेचा गया अधिशेष		विपणन योग्य अधिशेष		अन्तर	
			मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	आन्ध्र प्रदेश	5597.11	2051.77	36.66	3377.30	60.34	3545.34	63.34	168.04	3.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	49.07	27.65	56.35	13.87	28.27	21.42	43.65	7.55	15.39
3.	असम	1671.42	670.43	40.11	611.84	36.61	1000.99	59.89	389.15	23.28
4.	बिहार	3018.87	1835.02	60.78	1031.01	34.15	1183.85	39.22	152.84	5.06
5.	गोवा	39.41	25.6	64.96	8.79	22.30	13.81	35.04	5.02	12.74
6.	गुजरात	421.22	106.82	25.36	266.15	63.19	314.4	74.64	48.25	11.45
7.	हरियाणा	1266.52	119.36	9.42	1135.31	89.64	1147.16	90.58	11.85	0.94
8.	हिमाचल प्रदेश	38.77	49.91	128.73	0.00	0.00	-11.14	-28.73	-11.14	-28.73
9.	जम्मू और कश्मीर	197.74	127.64	64.55	71.58	36.20	70.1	35.45	-1.48	-0.75
10.	कर्नाटक	1021.98	422.63	41.35	412.96	40.41	599.35	58.65	186.39	18.24

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	केरल	332.8	173.67	52.18	129.31	38.86	159.13	47.82	29.82	8.96
12.	मध्य प्रदेश	2214.41	941.45	42.51	1045.35	47.21	1272.96	57.49	227.61	10.28
13.	महाराष्ट्र	1010.55	973.06	96.29	74.81	7.40	37.49	3.71	-37.32	-3.69
14.	मणिपुर	201.08	101.01	50.23	64.88	32.27	100.07	49.77	35.19	17.50
15.	मेघालय	61.03	32.27	52.88	18.90	30.97	28.76	47.12	9.86	16.16
16.	मिजोराम	58.05	30.3	52.2	17.47	30.09	27.75	47.8	10.28	17.71
17.	नागालैण्ड	83.17	42.05	50.56	37.85	45.51	41.12	49.44	3.27	3.93
18.	उड़ीसा	2644.44	1509.83	57.09	1137.60	43.02	1134.61	42.91	-2.99	-0.11
19.	पंजाब	3490.87	171.37	4.91	3213.35	92.05	3319.5	95.09	106.15	3.04
20.	राजस्थान	5.77	0.57	9.88	4.87	84.40	5.2	90.12	0.33	5.72
21.	सिक्किम	5.97	2.48	41.54	2.50	41.88	3.49	58.46	0.99	16.58
22.	तमिलनाडु	2307.5	1611.45	69.84	944.92	40.95	696.05	30.16	-248.87	-10.79
23.	त्रिपुरा	278.83	152.14	54.56	128.12	45.95	126.69	45.44	-1.43	-0.51
24.	उत्तर प्रदेश	4277.6	2063.13	48.23	2117.76	49.51	2214.47	51.77	96.71	2.26
25.	पश्चिम बंगाल	6378.17	2027.08	31.78	3752.59	58.83	4351.09	68.22	598.50	9.38
26.	अखिल भारत	36672.35	15268.7	41.64	19619.09	53.50	21403.65	58.36	1784.56	4.87

बेचे गए अधिशेष की तुलना में विपणन योग्य अधिशेष – बड़े वर्ग के किसान

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	उपयोग में लाई गई कुल मात्रा		बेचा गया अधिशेष		विपणन योग्य अधिशेष		अन्तर	
			मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	आन्ध्र प्रदेश	4231.08	983.84	23.25	3220.07	76.11	3247.24	76.75	27.17	0.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	49.67	26.37	53.09	15.93	32.07	23.3	46.91	7.37	14.84
3.	असम	1512.43	355.41	23.5	718.59	47.51	1157.02	76.5	438.43	28.99
4.	बिहार	2639.73	1426.56	54.04	1166.13	44.18	1213.17	45.96	47.04	1.78
5.	गोवा	24.09	15.19	63.06	5.62	23.33	8.9	36.94	3.28	13.62
6.	गुजरात	300.58	51.7	17.2	193.4	64.34	248.88	82.8	55.48	18.46
7.	हरियाणा	1269.04	110.9	8.74	1123.99	88.57	1158.14	91.26	34.15	2.69
8.	हिमाचल प्रदेश	42.4	37.04	87.36	0	0.00	5.36	12.64	5.36	12.64
9.	जम्मू और कश्मीर	204.83	79.54	38.83	111.64	54.50	125.29	61.17	13.65	6.66
10.	कर्नाटक	836.02	325.17	38.9	367.3	43.93	510.85	61.1	143.55	17.17

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	केरल	334.39	121.22	36.25	181.59	54.30	213.17	63.75	31.58	9.44
12.	मध्य प्रदेश	2264.42	831.6	36.72	1508.54	66.62	1432.82	63.28	-75.72	-3.34
13.	महाराष्ट्र	831.4	652.72	78.51	82.38	9.91	178.68	21.49	96.3	11.58
14.	मणिपुर	195.99	72.58	37.03	76.67	39.12	123.41	62.97	46.74	23.85
15.	मेघालय	55.59	26.74	48.1	17.85	32.11	28.85	51.9	11	19.79
16.	मिजोराम	47.57	24.23	50.94	17.15	36.05	23.34	49.06	6.19	13.01
17.	नागालैण्ड	94.69	41.46	43.78	49.12	51.87	53.23	56.22	4.11	4.34
18.	उड़ीसा	2670.24	1055.87	39.54	1439.46	53.91	1614.37	60.46	174.91	6.55
19.	पंजाब	3279.21	173.98	5.31	3083.51	94.03	3105.23	94.69	21.72	0.66
20.	राजस्थान	90.12	6.81	7.56	75.74	84.04	83.31	92.44	7.57	8.40
21.	सिक्किम	8.32	3.19	38.34	3.54	42.55	5.13	61.66	1.59	19.11
22.	तमिलनाडु	2536.98	1225.58	48.31	1282.2	50.54	1311.4	51.69	29.2	1.15
23.	त्रिपुरा	281.74	115	40.82	155.66	55.25	166.74	59.18	11.08	3.93
24.	उत्तर प्रदेश	4125.86	1498.84	36.33	2237.89	54.24	2627.02	63.67	389.13	9.43
25.	पश्चिम बंगाल	5642.88	1315.28	23.31	4010.14	71.07	4327.6	76.69	317.46	5.63
26.	अखिल भारत	33569.27	10576.83	31.51	21144.11	62.99	22992.44	68.49	1848.33	5.51

अनुलग्नक-LXVIIIबेचे गए अधिशेष की तुलना में विपणन योग्य अधिशेष – सभी वर्गों के किसान

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	उपयोग में लाई गई कुल मात्रा		बेचा गया अधिशेष		विपणन योग्य अधिशेष		अन्तर	
			मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	आन्ध्र प्रदेश	16556.55	6396.92	38.64	9935.30	60.01	10159.63	61.36	224.33	1.35
2.	अरुणाचल प्रदेश	165.08	95.05	57.58	45.09	27.31	70.03	42.42	24.94	15.11
3.	असम	5788.36	2422.44	41.85	2104.20	36.35	3365.92	58.15	1261.72	21.80
4.	बिहार	9274.32	6365.71	68.64	2867.67	30.92	2908.61	31.36	40.94	0.44
5.	गोवा	190.62	145.75	76.46	46.29	24.28	44.87	23.54	-1.42	-0.74
6.	गुजरात	1267.56	326.63	25.77	772.08	60.91	940.93	74.23	168.85	13.32
7.	हरियाणा	4073.39	402.84	9.89	3518.78	86.38	3670.55	90.11	151.77	3.73
8.	हिमाचल प्रदेश	145.99	192.56	131.90	0.00	0.00	-46.57	-31.90	-46.57	-31.90
9.	जम्मू और कश्मीर	688.01	417.89	60.74	262.43	38.14	270.12	39.26	7.69	1.12
10.	कर्नाटक	4150.55	1420.15	34.22	2131.05	51.34	2730.40	65.78	599.35	14.44

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	केरल	1067.72	583.68	54.67	427.24	40.01	484.04	45.33	56.80	5.32
12.	मध्य प्रदेश	8560.11	3648.96	42.63	4423.12	51.67	4911.15	57.37	488.03	5.70
13.	महाराष्ट्र	3193.25	3746.99	117.34	194.11	6.08	-553.74	-17.34	-747.85	-23.42
14.	मणिपुर	619.97	345.73	55.77	181.95	29.35	274.24	44.23	92.29	14.89
15.	मेघालय	244.55	154.70	63.26	68.99	28.21	89.85	36.74	20.86	8.53
16.	मिजोराम	186.01	103.95	55.88	54.20	29.14	82.06	44.12	27.86	14.98
17.	नागालैण्ड	293.25	165.97	56.60	120.26	41.01	127.28	43.40	7.02	2.39
18.	उड़ीसा	8869.51	5445.68	61.40	3621.12	40.83	3423.83	38.60	-197.29	-2.22
19.	पंजाब	10920.03	608.27	5.57	10052.36	92.05	10311.76	94.43	259.40	2.38
20.	राजस्थान	252.85	25.26	9.99	213.21	84.32	227.59	90.01	14.38	5.69
21.	सिक्किम	28.08	13.76	49.00	11.00	39.17	14.32	51.00	3.32	11.82
22.	तमिलनाडु	8235.36	5852.52	71.07	3126.72	37.97	2382.84	28.93	-743.88	-9.03
23.	त्रिपुरा	922.32	582.06	63.11	344.56	37.36	340.26	36.89	-4.30	-0.47
24.	उत्तर प्रदेश	16920.99	8599.07	50.82	7640.82	45.16	8321.92	49.18	681.10	4.03
25.	पश्चिम बंगाल	19655.86	6402.74	32.57	11379.10	57.89	13253.12	67.43	1874.02	9.53
26.	अखिल भारत	122270.29	54465.29	44.54	63541.65	51.97	67805.00	55.46	4263.35	3.49

विपणन योग्य अधिशेष, बेचे गए अधिशेष और धान की फसलोत्तर हानियों के आकलन के लिए मानक त्रुटियाँ

(वर्ष 1998-99 को समाप्त त्रिवार्षिक अवधि के लिए)

(‘000 टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	विपणन योग्य अधिशेष	बेचा गया अधिशेष	फसलोत्तर हानि
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.56	0.69	0.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.46	0.89	0.13
3.	असम	0.62	0.58	0.14
4.	बिहार	0.42	0.36	0.03
5.	गोवा	1.90	0.27	0.10
6.	गुजरात	1.44	1.29	0.24
7.	हरियाणा	0.92	0.42	0.06
8.	हिमाचल प्रदेश	2.10	0.54	0.10
9.	जम्मू और कश्मीर	1.09	0.94	0.09
10.	कर्नाटक	1.18	1.03	0.16

1.	2.	3.	4.	5.
11.	केरल	0.68	0.75	0.02
12.	मध्य प्रदेश	1.12	0.91	0.92
13.	महाराष्ट्र	1.09	0.55	0.21
14.	मणिपुर	1.25	1.13	0.05
15.	मेघालय	1.17	0.69	0.10
16.	मिजोराम	0.20	0.90	0.32
17.	नागालैण्ड	1.69	1.19	0.09
18.	उड़ीसा	0.65	0.58	0.05
19.	पंजाब	0.75	0.44	0.05
20.	राजस्थान	5.37	13.72	0.51
21.	सिक्किम	2.82	2.43	0.20
22.	तमिलनाडु	0.63	0.65	0.08
23.	त्रिपुरा	1.39	1.37	0.13
24.	उत्तर प्रदेश	0.54	0.47	0.04
25.	पश्चिम बंगाल	1.03	0.62	0.03
26.	अखिल भारत	0.76	0.62	0.15

संदर्भ

1. भारत में धान की फसलोत्तर हानियाँ और विपणन योग्य अधिशेष, 1979, पेज 160.
2. भारत में गेहूँ की फसलोत्तर हानियाँ और विपणन योग्य अधिशेष, 1986, पेज 105.
3. भारत में ज्वार की फसलोत्तर हानियाँ और विपणन योग्य अधिशेष, 1984, पेज 129.
4. भारत में बाजरा की फसलोत्तर हानियाँ और विपणन योग्य अधिशेष, 1985, पेज 129.
5. भारत में मक्के की फसलोत्तर हानियाँ और विपणन योग्य अधिशेष, 1987, पेज 187.
6. पी.एच.पाण्डे, “पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस टैक्नोलॉजी”, प्रिंसीपल्स एण्ड प्रैक्टिस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलॉजी (1998), पेज 3.
7. ए वर्ल्ड बैंक ऑपरेशंस इवेल्यूएसन स्टडी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, दी वर्ल्ड बैंक एक्सपीरियेंस (1974-85) पेज 42.
8. नेशनल एकादमी ऑफ साइन्स (1978), “चुनिंदा देशों में फसलोत्तर सिस्टम में चावल की हानि” पेज 65.
9. आर.ए.बोक्साल, एट.अल, “द प्रीवेंशन ऑफ फार्म-लेवल फूड ग्रेन स्टोरेज लॉसेस इन इण्डिया, ए सोसल कॉस्ट-लाभ विश्लेषण” आई डी एस रिसर्च रिपोर्ट (1978) पेज 58.
10. टी.सिंह, आर.पी.एस त्यागी और जी.के.गिरीश (1979-86) “पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम ऑफ पैडी/राइस इन इण्डिया”, बुलेटिन ऑफ ग्रेन टैक्नोलॉजी, अंक 17-24 पेज संख्या 149-159.
11. एम.जे.एम.रेड्डी (1978) “मार्केटेबल सरप्लस इन पैडी – ए रिग्रेसन एनालिसिस” एग्रीकल्चरल सिचुएसन इन इण्डिया, अंक 41 पेज संख्या 823-825.

12. एम.उपेन्द्र और तिरुपती चन्द, (1998), “मार्केटिड सरप्लस ऑफ पैडी – ए स्टडी एट फार्म-लेवल” दी बिहार जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, अंक VI सं.3, पेज 249-262.
13. आर.एस.तोमर, जे.पी.भाटी और आर.स्वरूप (1978), “क्रॉप प्रोडक्टिविटी एण्ड मार्केटेबल सरप्लस इन पोंटा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश”, एग्रीकल्चरल सिचुएसन इन इण्डिया, अंक 33, सं.1, पेज 9-15.
14. टी.एस.देवराज (1999) “ए स्टडी ऑन मार्केटेबल सरप्लस ऑफ पैडी इन हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक”, एग्रीकल्चरल सिचुएसन इन इण्डिया, अंक 56, सं.3, पेज 113-115.
15. के.एस.गिल, डी.एस.सिद्धू एण्ड एम.एस.सिद्ध (1988), “स्टोरेज लौसेस ऑफ फूडग्रेस एट फार्म लेवल इन पंजाब”, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, अंक 30 सं.4, पेज 29-34.
16. ए.अहमद और वी.पी.एस.अरोरा, (1990), “ए स्टडी ऑन मार्केटिड सरप्लस एण्ड इट्स फार्म लेवल ऑफ पैडी इन आसाम”, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, अंक 33 सं.2, पेज 12-16.
17. पी.पी.पवार, बी.एन.तगड एण्ड डी.एल.साले (1990), “मार्केटेबल सरप्लस ऑफ सेरील्स इन मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट”, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, अंक 32 सं.4, पेज 8-9.
18. पी.एस.रांगी (1993), “प्रोडक्शन एण्ड मार्केटिंग प्रोबलम्स ऑफ राइस इन पंजाब स्टेट”, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, अंक 35 सं.4, पेज 4-7.
19. डी.पी.मलिक, एस.एन.सिंह और के.एन.राय (1992), “फैक्टर्स अफैक्टिंग दी मार्केटिड एण्ड मार्केटेबिल सरप्लस ऑफ व्हीट एण्ड पैडी इन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा”, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, अंक 35 सं. 2, पेज 21-26.
20. एस.एस.चव्वाण, एन.के.पाटिल, एस.एस.भोसले और वी.एन.पवार (1999) मार्केटिड सरप्लस ऑफ पैडी इन कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट”, दी बिहार जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, अंक 7 सं.3, पेज 334-337.

21. फूड डाईजेस्ट, अक्टूबर-दिसंबर, 1998, अंक 21 सं.4, पेज 203-204.
22. के.कृष्णामूर्ति (1973-76) “पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन फूड ग्रैस”, बुलेटिन ऑफ ग्रैस टेक्नोलॉजी, अंक 11-14 पेज संख्या 33-49.
23. प्रमोद कुमार (1999) मार्केटिड सरप्लस ऑफ डिफरेंट क्रॉस एक्रॉस फार्म साइज : ए स्टडी इन हरियाणा”, इण्डियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स, अंक 54 सं.4, पेज 500-521.

सहयोग के लिए धन्यवाद

मुख्य परियोजना समन्वयक

1. डॉ.जी.आर.भाटिया,
अपर कृषि विपणन सलाहकार (14.01.2001 से)
2. श्री एच.पी.सिंह,
संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार (10.11.2001 से)
3. श्री आर.जे.वर्मा,
संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार (13.01.2002 तक)

परियोजना समन्वयक

4. श्री बी.डी.शेरकर,
उप कृषि विपणन सलाहकार (01.09.2002 से)
5. श्री आर.ए.खानोरकर,
उप कृषि विपणन सलाहकार (31.08.2002 तक)

क्षेत्रीय / उप-कार्यालय स्तर के परियोजना समन्वयक

1. श्री संत्री प्रसाद, उप कृषि विपणन सलाहकार, नई दिल्ली
2. श्री डी.पी.सिंह, उप कृषि विपणन सलाहकार, नई दिल्ली
3. श्री हर प्रसाद, उप कृषि विपणन सलाहकार, चण्डीगढ़
4. डॉ जमनलाल, उप कृषि विपणन सलाहकार, जयपुर
5. श्री आर.एम.करपटे, उप कृषि विपणन सलाहकार, कोलकता
6. श्री एस.के.मलिक, उप कृषि विपणन सलाहकार, कोलकता
7. डॉ बी.के.सिन्हा, उप कृषि विपणन सलाहकार, गुवाहाटी
8. श्री एस.डी.फडके, उप कृषि विपणन सलाहकार, भोपाल
9. डॉ एस.एस.पी.राव, उप कृषि विपणन सलाहकार, भोपाल
10. डॉ शनमुगम, उप कृषि विपणन सलाहकार, चेन्नई
11. डॉ नारायण सिंह, उप कृषि विपणन सलाहकार, कोचीन
12. श्री आर.एस.सिंह, उप कृषि विपणन सलाहकार, मुंबई
13. श्री के.पी.सिंह, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, जम्मू
14. श्री शफीक अहमद, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, जम्मू
15. श्री एच.एन.अब्बासी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, पटना
16. श्री वी.एन.वैरागर, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, पटना
17. श्री ई.मोहन नायडू, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, हैदराबाद
18. डॉ सजनी कुमार, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, बेंगलूर
19. श्री ई.एस.पॉलोस, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, बेंगलूर
20. श्री टी.के.रे, वरिष्ठ विपणन अधिकारी
21. श्री एन.एल.सिंह, विपणन अधिकारी
22. श्री एम.एस.बनकर, विपणन अधिकारी
23. श्री पी.डी.कथालकर, विपणन अधिकारी
24. श्री पी.जी.चौधरी, विपणन अधिकारी
25. श्री एम.पी.पाराशर, विपणन अधिकारी

26. श्री मनोज कुमार, विपणन अधिकारी
27. श्री मनीश चौधरी, विपणन अधिकारी
28. श्री भावेश कुमार जोशी, विपणन अधिकारी

सहायक परियोजना समन्वयक (राज्य-स्तर)

(पुनः तैनात किए गए अधिकारी)

29. श्री सी.नंदैया, विपणन अधिकारी, हैदराबाद
30. श्री ए.के.दास, विपणन अधिकारी, कोलकता
31. श्री एन.जी.दास, विपणन अधिकारी, कोलकता
32. श्री जयप्रकाश, विपणन अधिकारी, पटना
33. श्री एम.के. वृद्धविदी, विपणन अधिकारी, पटना
34. श्री एम.जगन मोहनराव, विपणन अधिकारी, गोवा
35. श्री एच.सी.वत्सल, विपणन अधिकारी, अहमदाबाद
36. श्री आर.के.मीना, विपणन अधिकारी, चण्डीगढ़
37. श्री के.सी.राऊत, विपणन अधिकारी, चण्डीगढ़
38. श्री आर.आर.एस.राठौर, विपणन अधिकारी, चण्डीगढ़
39. श्री ए.एस.शर्मा, विपणन अधिकारी, जम्मूतवी
40. श्री एन.के.मिश्रा, विपणन अधिकारी, जम्मूतवी
41. श्री बी.पुरोहित, विपणन अधिकारी, बेंगलूर
42. श्री एस.नुहु कन्नू, विपणन अधिकारी, केरल
43. श्री आर.एस.सिंह, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, भोपाल
44. श्री आर.एस.सिंह, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, पुणे
45. श्री वी.एस.हेडारू, विपणन अधिकारी, मुंबई
46. श्री एस.ओ.गानोरकर, विपणन अधिकारी, नासिक
47. श्री पी.पी.मुखोपाध्याय, विपणन अधिकारी, कोलकता
48. श्री जी.बी.डांडी, विपणन अधिकारी, कोलकता

49. श्री आर.सी.पंडा, विपणन अधिकारी, भुवनेश्वर
50. श्री सी.जेना, विपणन अधिकारी, भुवनेश्वर
51. श्री एम.एल.मीना, विपणन अधिकारी, जयपुर
52. श्री राजा राम रावत, विपणन अधिकारी, जयपुर
53. श्री के.जयानंदन, विपणन अधिकारी, चेन्नई
54. श्री आर.बी.एस.यादव, विपणन अधिकारी, लखनऊ
55. श्री जी.बी.रब्बानी, विपणन अधिकारी, लखनऊ
56. श्री एच.एन.राय, विपणन अधिकारी, लखनऊ
57. श्री आर.जी.सिंह, विपणन अधिकारी, नई दिल्ली
58. श्री एच.सी.हल्दर, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, कोलकता

सचिवालयीन सहयोग

59. श्रीमती प्रेमलता के.चावला, आशुलिपिक
60. श्री एस.एल.सोलंकी, अवर श्रेणी लिपिक
61. श्रीमती इंदिरा हेडाऊ, प्रवर श्रेणी लिपिक
62. श्रीमती आशा गोटाफोडे, प्रवर श्रेणी लिपिक
63. श्रीमती एस.आर.पेंदाम, प्रवर श्रेणी लिपिक
64. कु.कल्पना मेश्राम, सांख्यिकीय सहायक
65. श्री विपलव मेश्राम, सांख्यिकीय सहायक
66. श्री विजय कुम्भारे, अवर श्रेणी लिपिक
67. श्री शेखर पौनीकर, अवर श्रेणी लिपिक
68. श्री सी.जी.नीनावे, अवर श्रेणी लिपिक
